

विनियोग लेखे

वर्ष 2012-13 के लिए

बिहार सरकार

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
विषय सूची	i-ii
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv-xvi
भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र	xvii-xix
विनियोग लेखे	
1. कृषि विभाग	01-11
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	12-20
3. भवन निर्माण विभाग	21-34
4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	35-39
5. राज्यपाल सचिवालय	40-41
6. निर्वाचन विभाग	42-43
7. निगरानी विभाग	44-45
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	46-49
9. सहकारिता विभाग	50-54
10. ऊर्जा विभाग	55-59
11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	60-61
12. वित्त विभाग	62-68
13. सूद भुगतान	69-71
14. ऋण अदायगियाँ	72-74
15. पेशन	75-79
16. पंचायती राज विभाग	80-85
17. वाणिज्य-कर विभाग	86-87
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	88-90
19. पर्यावरण एवं वन विभाग	91-95
20. स्वास्थ्य विभाग	96-106
21. शिक्षा विभाग	107-119
22. गृह विभाग	120-131
23. उद्योग विभाग	132-136
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	137-138
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग	139-142
26. श्रम संसाधन विभाग	143-149
27. विधि विभाग	150-152
28. उच्च न्यायालय	153-154
29. खान एवं भूतत्व विभाग	155-156

	पृष्ठ संख्या
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	157-160
31. संसदीय कार्य विभाग	161-162
32. विधान मंडल	163-165
33. सामान्य प्रशासन विभाग	166-169
34. बिहार लोक सेवा आयोग	170
35. योजना एवं विकास विभाग	171-176
36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	177-183
37. ग्रामीण कार्य विभाग	184-186
38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	187-189
39. आपदा प्रबंधन विभाग	190-202
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	203-207
41. पथ निर्माण विभाग	208-213
42. ग्रामीण विकास विभाग	214-218
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	219-222
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	223-227
45. गन्ना उद्योग विभाग	228-230
46. पर्यटन विभाग	231
47. परिवहन विभाग	232-234
48. नगर विकास एवं आवास विभाग	235-244
49. जल संसाधन विभाग	245-255
50. लघु जल संसाधन विभाग	256-261
51. समाज कल्याण विभाग	262-271
परिशिष्ट	272-277

प्रस्तावना

वर्ष 2012-13 के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है ।

टिप्पणी

इन लेखाओं में :

- | | |
|------------|--|
| “मूल” | मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है । |
| “अनुपूरक” | अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है । |
| “पुनर्वि०” | सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है । |

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं ।

विनियोग लेखे का

अनुदान / विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान / विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

1. कृषि विभाग दत्तमत	28,88,05,65	70,00,00	20,70,77,31	24,80,66
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दत्तमत	9,62,45,79	7,35,50	5,35,97,29
3. भवन निर्माण विभाग दत्तमत	3,22,96,74	10,41,47,62	2,52,56,44	3,19,40,31
4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग दत्तमत	1,17,18,27	33,70,50	85,99,57	26,75,14
5. राज्यपाल सचिवालय प्रभारित	7,78,71	8,03,08
6. निर्वाचन विभाग दत्तमत	72,15,11	51,26,87
7. निगरानी विभाग दत्तमत	24,60,94	22,38,28
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दत्तमत	83,56,11	60,16,43
9. सहकारिता विभाग दत्तमत	6,60,42,39	1,18,92,00	4,21,44,55	70,59,19
10. ऊर्जा विभाग दत्तमत	33,15,92,54	28,54,14,45	32,25,81,10	12,57,98,01

सारांश - क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

8,17,28,34	45,19,34
4,26,48,50	7,35,50
70,40,30	7,22,07,31
31,18,70	6,95,36
.....	24,37
		(24,36,822)	
20,88,24
2,22,66
23,39,68
2,38,97,84	48,32,81
90,11,44	15,96,16,44

विनियोग लेखे का

अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग				
दत्तमत	8,84,58,81	2,87,00	8,47,61,84	2,87,00
12. वित्त विभाग				
दत्तमत	4,00,56,61	22,72,99,00	2,20,29,90	17,43,03
प्रभारित	2,98,00,00	2,54,95,36
13. सूद भुगतान				
प्रभारित	51,89,65,47	46,32,85,13
14. ऋण अदायगियाँ				
प्रभारित	30,83,07,78	30,69,95,70
15. पेंशन				
दत्तमत	1,00,34,78,45	83,68,22,44
प्रभारित	8,29,84	78,31
16. पंचायती राज विभाग				
दत्तमत	32,76,74,99	2,50,00,00	25,91,06,09
17. वाणिज्य-कर विभाग				
दत्तमत	1,37,77,12	78,00,58
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
दत्तमत	5,85,08,24	10,00,00,00	4,86,62,22	9,30,00,00
19. पर्यावरण एवं वन विभाग				
दत्तमत	1,94,55,11	5,20,00	1,68,82,78	5,19,96
20. स्वास्थ्य विभाग				
दत्तमत	25,59,21,96	7,21,90,00	19,89,43,81	5,62,89,27
21. शिक्षा विभाग				
दत्तमत	1,67,62,68,25	3,40,00,00	1,39,78,82,25	2,86,62,58

सारांश - क्रमशः

कुल अनुदान/ विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

36,96,97
1,80,26,71	22,55,55,97
43,04,64
5,56,80,34
.....	13,12,08
16,66,56,01
7,51,53
6,85,68,90	2,50,00,00
59,76,54
98,46,02	70,00,00
25,72,33	4
5,69,78,15	1,59,00,73
27,83,86,00	53,37,42

विनियोग लेखे का

अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
22. गृह विभाग दत्तमत	40,16,23,25	6,15,46,44	35,69,83,03	3,27,01,52
23. उद्योग विभाग दत्तमत	5,26,59,84	33,00,00	4,57,26,82	30,00,00
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दत्तमत	84,01,18	74,29,04
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग दत्तमत	2,03,98,13	47,00,00	80,99,35	18,80,63
26. श्रम संसाधन विभाग दत्तमत	1,95,27,24	10,50,00	1,78,47,57	7,33,70
27. विधि विभाग दत्तमत	5,79,43,58	4,28,13,08
28. उच्च न्यायालय प्रभारित	1,01,78,91	77,40,08
29. खान एवं भूतत्व विभाग दत्तमत	16,99,31	12,68,33
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दत्तमत	1,50,44,94	4,50,60,00	57,79,27	1,14,43,56
31. संसदीय कार्य विभाग दत्तमत	1,59,72	1,34,34

सारांश - क्रमशः

कुल अनुदान/ विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

4,46,40,22	2,88,44,92
69,33,02	3,00,00
9,72,14
1,22,98,78	28,19,37
16,79,67	3,16,30
1,51,30,50
24,38,83
4,30,98
92,65,67	3,36,16,44
25,38

विनियोग लेखे का

अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

32. विधान मंडल				
दत्तमत	1,11,37,61	99,56,47
प्रभारित	67,16	51,92
33. सामान्य प्रशासन विभाग				
दत्तमत	3,87,30,24	2,77,21,07
प्रभारित	3,94,51	3,41,03
34. बिहार लोक सेवा आयोग				
प्रभारित	14,03,56	13,67,65
35. योजना एवं विकास विभाग				
दत्तमत	8,19,37,41	15,45,02,60	1,51,12,71	3,86,02,60
36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग				
दत्तमत	3,89,35,44	5,23,98,31	3,29,09,62	2,58,50,93
37. ग्रामीण कार्य विभाग				
दत्तमत	5,62,27,76	19,27,12,01	4,23,00,08	16,39,22,73
38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग				
दत्तमत	1,16,25,04	88,43,72
39. आपदा प्रबंधन विभाग				
दत्तमत	8,31,01,35	3,00,00	3,46,46,23	31,21
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग				
दत्तमत	4,84,77,95	48,22,21	4,12,25,66	17,47,90
41. पथ निर्माण विभाग				
दत्तमत	6,64,50,79	43,36,30,63	5,55,18,85	32,91,11,34

सारांश - क्रमशः

कुल अनुदान/ विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

11,81,14
15,24
1,10,09,17
53,48
35,91
6,68,24,70	11,59,00,00
60,25,82	2,65,47,38
1,39,27,68	2,87,89,28
27,81,32
4,84,55,12	2,68,79
72,52,29	30,74,31
1,09,31,94	10,45,19,29

विनियोग लेखे का

अनुदान / विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान / विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
42. ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत	18,75,80,30	5,00,00	14,53,36,25	3,02,68
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत	67,36,25	1,73,97,00	63,52,45	80,58,08
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दत्तमत	11,72,13,17	1,00,00	9,20,55,87	1,00,00
45. गन्ना उद्योग विभाग दत्तमत	1,18,54,82	22,58,16	81,66,04	8,94,96
46. पर्यटन विभाग दत्तमत	27,86,52	79,06,66	26,86,26	78,59,18
47. परिवहन विभाग दत्तमत	33,24,21	13,68,31	26,60,97	4,99,57
48. नगर विकास एवं आवास विभाग दत्तमत	16,68,43,60	2,00,00	12,63,71,93	2,00,00
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत	8,09,23,23	24,48,79,14	6,64,70,33	17,76,06,16
50. लघु जल संसाधन विभाग दत्तमत	3,57,16,16	2,94,14,48	2,64,35,63	1,66,90,66
51. समाज कल्याण विभाग दत्तमत	38,18,86,97	2,34,45,07	29,26,83,08
कुल दत्तमत :	6,33,72,79,09	2,15,33,47,09	5,06,90,63,80	1,17,16,92,56
कुल प्रभारित :	56,24,18,16	30,83,07,78	49,91,62,56	30,69,95,70
कुल जोड़ :	6,89,96,97,25	2,46,16,54,87	5,56,82,26,36	1,47,86,88,26

सारांश - क्रमशः

कुल अनुदान/ विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
4,22,44,05	1,97,32
3,83,80	93,38,92
2,51,57,30
36,88,78	13,63,20
1,00,26	47,48
6,63,24	8,68,74
4,04,71,67
1,44,52,90	6,72,72,98
92,80,53	1,27,23,82
8,92,03,89	2,34,45,07
1,26,82,15,29	98,16,54,53
6,32,79,97	13,12,08	24,37
1,33,14,95,26	98,29,66,61	24,37

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों/प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है:-

संख्या एवं अनुदान/विनियोग का नाम

अनुभाग

05. राज्यपाल का सचिवालय

राजस्व (प्रभारित)

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

विनियोग लेखे का सारांश में दिखाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि के अग्रिम लेकर किए गए वैसे खर्च शामिल नहीं है जिनकी वर्ष के अंत तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई। व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

अनुदान /विनियोग संख्या	लेखा का मुख्य वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम की शीर्ष राशि लेकिन जिन्हें वर्ष 2012-13 के अन्त तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।
------------------------	--

(₹ हजार में)

कुल

शून्य

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमांत

चूँकि अनुदान और विनियोग व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2012-13 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	5,06,90,63,80	1,17,16,92,56	49,91,62,56	30,69,95,70
घटायें- कुल वसूलियाँ	10,11,57,57	46,45,73	2,04,54,25
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दिखाया गया है।	4,96,79,06,23	1,16,70,46,83	47,87,08,31	30,69,95,70

ऊपर वर्णित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण—पत्र

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ—साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।


लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियाँ के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक :

स्थान : नई दिल्ली



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुदान संख्या – 01 – कृषि विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2401	फसल कृषि-कर्म			
2402	मृदा तथा जल संरक्षण			
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल	15,30,21,08	28,88,05,65	20,70,77,31	(-) 8,17,28,34
अनुपूरक	13,57,84,57			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				7,69,38,05

पूँजी
मुख्य शीर्ष

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	70,00,00	70,00,00	24,80,66	(-) 45,19,34
अनुपूरक	शून्य			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				45,19,34

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 8,17,28.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 10,85,40.01 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 2,20,51.30 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 51,93.26 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,57,84.57 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,69,38.05 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,17,28.34 लाख) से ₹ 47,90.29 लाख कम था ।

अनुदान संख्या – 01 – क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2401 फसल कृषि-कर्म			
00			
001 निदेशन एवं प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0102 कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	5,35.75	5,35.75	0.00
मूल 10,50.00			
पुनर्वि० (-) 5,14.25			
प्रत्याशित बचत योजना की पूरी राशि की स्वीकृति नहीं मिलने एवं योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
0106 परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं सूत्रीकरण (नई राज्य योजना कार्यक्रम)	3,19.32	3,18.66	(-) 0.66
मूल 4,00.00			
अनुपूरक 50.00			
पुनर्वि० (-) 1,30.68			
0112 वेयरहाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	20,11.54	19,64.20	(-) 47.34
मूल 25,20.00			
पुनर्वि० (-) 5,08.46			
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत योजना की पूरी राशि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
103 बीज			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0417 गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण	8,67.41	8,65.33	(-) 2.08
मूल 5,00.00			
अनुपूरक 11,16.04			
पुनर्वि० (-) 7,48.63			
प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा पूरी राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0614 समेकित सिरियल विकास कार्यक्रम (मैक्रोमोड 90:10)	0.00	0.00	0.00
मूल 12,00.00			
पुनर्वि० (-) 12,00.00			
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा पूरी राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या – 01 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0104 समेकित सिरियल विकास कार्यक्रम (मैक्रोमोड राज्यांश 10:90)	0.00	0.00	0.00
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	(-) 2,00.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
105 खाद तथा उर्वरक योजना (राज्य योजना)			
0105 उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट	2,33.46	2,33.46	0.00
मूल	8,30.00		
पुनर्वि०	(-) 5,96.54		
प्रत्याशित बचत योजना की पूरी राशि की स्वीकृति नहीं मिलने तथा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
107 पौधा संरक्षण योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम (मैक्रोमोड 90:10)	0.00	0.00	0.00
मूल	3,60.00		
पुनर्वि०	(-) 3,60.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा पूरी राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई ।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम (मैक्रोमोड 10:90)	0.00	0.00	0.00
मूल	40.00		
पुनर्वि०	(-) 40.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
108 वाणिज्यिक फसलें (गैर-योजना)			
0001 पाट विकास योजना	3,89.12	3,81.97	(-) 7.15
मूल	4,33.83		
पुनर्वि०	(-) 44.71		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या – 01 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0615 इंटिग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड, पल्सेज, पाम ऑयल एवं मेज (आईसोपोम 75:25) नई योजना	9,84.22	9,56.11	(-) 28.11
मूल	6,00.00		
अनुपूरक	17,12.85		
पुनर्वि०	(-) 13,28.63		
प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा योजना की पूरी राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0617 जूट टेक्नोलॉजी मिशन	21.69	21.69	0.00
मूल	1,80.00		
पुनर्वि०	(-) 1,58.31		
प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा पूरी राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई।			
योजना (राज्य योजना)			
0114 इन्टिग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड, पल्सेज, पाम ऑयल एवं मेज (आईसोपोम 25:75) नई योजना	3,17.63	3,09.84	(-) 7.79
मूल	2,00.00		
अनुपूरक	3,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,82.37		
0116 टाल और दियारा विकास योजना	7,92.59	7,59.10	(-) 33.49
मूल	9,96.00		
पुनर्वि०	(-) 2,03.41		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 प्रमण्डलीय, जिला एवं अनुमण्डलीय स्थापना	1,06,12.17	1,05,33.63	(-) 78.54
मूल	1,24,10.73		
पुनर्वि०	(-) 17,98.56		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 बाढ़ एवं सुखाड़ की आपातकालीन योजना	1,72,58.44	1,35,24.78	(-) 37,33.66
अनुपूरक	6,19,75.00		
पुनर्वि०	(-) 4,47,16.56		

अनुदान संख्या – 01 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0106 इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना)	33,33.12	32,39.88	(-) 93.24
मूल	20,75.00		
अनुपूरक	19,09.00		
पुनर्वि०	(-) 6,50.88		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत योजना की पूरी राशि की स्वीकृति नहीं मिलने तथा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0111 सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स	46,99.25	46,99.25	0.00
मूल	29,05.00		
अनुपूरक	29,05.00		
पुनर्वि०	(-) 11,10.75		
प्रत्याशित बचत योजना की पूरी राशि की स्वीकृति नहीं मिलने तथा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
0114 एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (इ0ए0पी0)	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 10,00.00		
0115 कृषि रोड मैप कॉर्पस (नई योजनाएं)	0.00	0.00	0.00
मूल	70,00.00		
पुनर्वि०	(-) 70,00.00		
उपयुक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण तथा योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
113 कृषि अभियंत्रण योजना			
(केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0614 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कशॉप (मैक्रोमोड 90:10)	27,76.52	26,85.24	(-) 91.28
मूल	30,00.00		
अनुपूरक	5,19.26		
पुनर्वि०	(-) 7,42.74		
प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा पूरी राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या – 01 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0104 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कशॉप (मैक्रोमोड राज्यांश 10:90)	32,56.35	32,54.01	(-) 2.34
मूल	5,00.00		
अनुपूरक	34,44.00		
पुनर्वि०	(-) 6,87.65		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0115 कृषि में नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा (मैक्रोमोड राज्यांश 10:90)	0.00	0.00	0.00
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 10,00.00		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 वेयर हाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	1,95.79	1,95.11	(-) 0.68
मूल	4,80.00		
पुनर्वि०	(-) 2,84.21		
0104 जैविक खेती का उन्नयन	43,22.73	42,91.80	(-) 30.93
मूल	11,20.00		
अनुपूरक	44,80.00		
पुनर्वि०	(-) 12,77.27		
0105 सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स	8,46.46	8,46.07	(-) 0.39
मूल	5,60.00		
अनुपूरक	5,60.00		
पुनर्वि०	(-) 2,73.54		
उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0106 इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना)	4,96.90	4,96.90	0.00
मूल	4,00.00		
अनुपूरक	3,68.00		
पुनर्वि०	(-) 2,71.10		
प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण तथा योजना की पूरी राशि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या – 01 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0113 टाल और दियारा विकास योजना मूल 1,92.00 पुनर्वि० (-) 76.28 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	1,15.72	1,15.72	0.00
0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम मूल 4,64.00 अनुपूरक 1,38.72 पुनर्वि० (-) 89.22 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	5,13.50	5,12.99	(-) 0.51
0121 उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मूल 1,60.00 पुनर्वि० (-) 1,21.49 प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।	38.51	38.51	0.00
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0132 जैविक खेती का उन्नयन मूल 70.00 अनुपूरक 2,80.00 पुनर्वि० (-) 1,12.27 प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।	2,37.73	2,37.73	0.00
0134 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलेपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना) मूल 25.00 अनुपूरक 23.00 पुनर्वि० (-) 37.10 प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण तथा योजना की पूरी राशि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	10.90	10.80	(-) 0.10
0143 प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन मूल 55.00 अनुपूरक 60.00 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	1,15.00	54.19	(-) 60.81

अनुदान संख्या - 01 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2402	मृदा तथा जल संरक्षण		
00			
102	मृदा संरक्षण		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0601	पुनपुन एवं कोशी(एफ०आर०आर०) (मैक्रोमोड 90:10)	0.00	0.00
	मूल 90.00		
	पुनर्वि० (-) 90.00		
0602	एन०डब्लू०डी०पी०आर०ए० (मैक्रोमोड 90:10)	0.00	0.00
	मूल 4,50.00		
	पुनर्वि० (-) 4,50.00		
	उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा पूरी राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0103	एन०डब्लू०डी०पी०आर०ए० (मैक्रोमोड 10:90)	0.00	0.00
	मूल 50.00		
	पुनर्वि० (-) 50.00		
0109	कृषि हेतु जल छाजन विकास कार्यक्रम	0.00	0.00
	मूल 13,29.06		
	पुनर्वि० (-) 13,29.06		
	उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।		
0112	भूमि संरक्षण कार्य	20,00.29	19,98.77
	मूल 4,15.00		
	अनुपूरक 29,64.76		
	पुनर्वि० (-) 13,79.47		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	भूमि संरक्षण कार्य	3,86.84	3,86.04
	मूल 80.00		
	अनुपूरक 5,71.52		
	पुनर्वि० (-) 2,64.68		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

अनुदान संख्या – 01 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		
01	फसल कृषि-कर्म		
004	अनुसंधान (गैर-योजना)		
0006	मिट्टी जांच एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की योजना	4,23.78	4,12.75
	मूल 4,62.47		
	पुनर्वि० (-) 38.69		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
277	शिक्षा		
योजना	(राज्य योजना)		
0111	कृषि महाविद्यालय, किशनगंज	0.00	0.00
	अनुपूरक 20,50.00		
	पुनर्वि० (-) 20,50.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
07	बागान		
277	शिक्षा		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	उद्यान महाविद्यालय, नालंदा	0.00	0.00
	मूल 8,40.00		
	पुनर्वि० (-) 8,40.00		
80	सामान्य		
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	उद्यान महाविद्यालय, नालंदा	0.00	0.00
	मूल 1,60.00		
	पुनर्वि० (-) 1,60.00		
	उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।		
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम		
01	विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण		
101	विपणन सुविधाएं		
योजना	(राज्य योजना)		
0102	बीज प्रमाणक एजेंसी	0.00	0.00
	मूल 1,20.00		
	पुनर्वि० (-) 1,20.00		
	संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।		

अनुदान संख्या – 01 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102	श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधायें (गैर-योजना)		
0003	बीज परीक्षण प्रयोगशाला	3,42.88	3,43.18
	मूल	3,88.34	
	अनुपूरक	14.40	
	पुनर्वि०	(-) 59.89	
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
00			
090	सचिवालय (गैर-योजना)		
0007	कृषि विभाग	2,48.18	2,33.93
	मूल	2,70.39	
	अनुपूरक	21.84	
	पुनर्वि०	(-) 44.05	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		
00			
106	भार एवं माप का विनियमन (गैर-योजना)		
0001	माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना	7,16.51	7,07.29
	मूल	9,86.61	
	अनुपूरक	0.13	
	पुनर्वि०	(-) 2,70.23	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

अनुदान संख्या – 01 – क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹ 45,19.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 70,00.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

051 निर्माण

योजना (राज्य योजना)

0101	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	24,80.66	24,80.66	0.00
------	--------------------------------	----------	----------	------

मूल 70,00.00

पुनर्वि० (-) 45,19.34

प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।

**अनुदान संख्या - 02 - पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2403 पशुपालन			
2404 डेरी विकास			
2405 मछली पालन			
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			

दत्तमत :

मूल	4,45,86,12	9,62,45,79	5,35,97,29	(-) 4,26,48,50
अनुपूरक	5,16,59,67			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				4,28,87,81

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय				
6405 मछली पालन के लिए कर्ज				

दत्तमत :

मूल	शून्य	7,35,50	0.00	(-) 7,35,50
अनुपूरक	7,35,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				7,35,50

टीका एवं टिप्पणियाँ -

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 4,26,48.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 4,46,98.49 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 69,61.18 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,16,59.67 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,28,87.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,26,48.50 लाख) से ₹ 2,39.31 लाख अधिक था ।

अनुदान संख्या - 02 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2403 पशुपालन			
00			
101 पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य योजना (राज्य योजना)			
0101 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना	8,12.17	8,02.64	(-) 9.53
मूल	36,07.69		
अनुपूरक	69,00.00		
पुनर्वि०	(-) 96,95.52		
प्रत्याशित बचत नवसृजित 300 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के प्रारंभ नहीं होने, 4259 पशुमित्रों का नियोजन नहीं होने तथा 575 एम्बुलेट्री भान के क्रय से संबंधित योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0107 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3,90.00	3,90.00	0.00
मूल	6,00.00		
पुनर्वि०	(-) 2,10.00		
प्रत्याशित बचत सरकारी आदेश में अपेक्षित संशोधन नहीं होने के कारण हुई।			
102 पशु तथा भैंस विकास योजना (राज्य योजना)			
0101 फ्रोजेन सीमेन बैंक	75,00.00	75,00.23	(+) 0.23
मूल	1,00.80		
अनुपूरक	1,05,00.00		
पुनर्वि०	(-) 31,00.80		
प्रत्याशित बचत स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0110 गोशाला के विकास की योजना	1,05.55	38.39	(-) 67.16
मूल	1,05.55		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
103 कुक्कुट विकास (गैर-योजना)			
0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	5,26.96	5,41.20	(+) 14.24
मूल	4,21.86		
अनुपूरक	2,34.71		
पुनर्वि०	(-) 1,29.61		

प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत पदाधिकारियों के स्थानान्तरण होने तथा अन्यान्य मद में वित्त विभाग के पत्रांक-115(वि0) दिनांक-04/02/2013 द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 02 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0610 ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट	0.00	0.00	0.00
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	(-) 7,00.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत स्वीकृत्यादेश में अपेक्षित संशोधन नहीं होने के कारण हुई ।			
योजना (राज्य योजना)			
0106 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	78.03	41.69	(-) 36.34
मूल	3,50.00		
अनुपूरक	58,00.00		
पुनर्वि०	(-) 60,71.97		
प्रत्याशित बचत कुक्कुट विकास की योजना की आंशिक स्वीकृति मिलने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0109 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,50.00		
पुनर्वि०	(-) 1,50.00		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत आबंटन विलम्ब से प्राप्त होने तथा संबंधित स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
104 भेड़ एवं ऊन विकास योजना (राज्य योजना)			
0102 अवि एवं अजा का पोषण एवं विकास	11.50	11.50	0.00
मूल	3,40.00		
अनुपूरक	80,00.00		
पुनर्वि०	(-) 83,28.50		
प्रत्याशित बचत कुल उपबंधित राशि में से केवल ₹ 1,21.54 लाख की स्वीकृति मिलने के कारण हुई ।			
0105 राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,30.06		
पुनर्वि०	(-) 1,30.06		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
106 अन्य पशु-धन विकास योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0605 दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन के उत्पादन व सर्वेक्षण की योजना	48.34	48.40	(+) 0.06
मूल	80.00		
पुनर्वि०	(-) 31.66		
प्रत्याशित बचत पदाधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 02 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0607 पशु रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	6,99.82	6,99.82	0.00
मूल	20,80.65		
पुनर्वि०	(-) 13,80.83		
प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 दुग्ध, अण्डा, मांस एवं ऊन के उत्पादन एवं सर्वेक्षण की योजना	49.43	48.19	(-) 1.24
मूल	80.00		
पुनर्वि०	(-) 30.57		
प्रत्याशित बचत पदाधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0104 पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम	2,56.72	2,56.79	(+) 0.07
मूल	7,56.15		
अनुपूरक	(-) 4,99.43		
प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
107 चारा एवं चारागाह का विकास योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0606 चारा बीज उत्पादन क्रय एवं वितरण की योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,00.00		
योजना (राज्य योजना)			
0106 चारा, बीज उत्पादन क्रय एवं वितरण की योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	25.00		
पुनर्वि०	(-) 25.00		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
109 विस्तार तथा प्रशिक्षण योजना (राज्य योजना)			
0106 राज्य पशुपालन प्रशिक्षण कॉम्प्लेक्स	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	2,68.00		
पुनर्वि०	(-) 2,68.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 02 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
113 योजना	प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी (राज्य योजना)		
0104	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मूल 3,89.00 पुनर्वि० (-) 3,89.00	0.00	0.00
789 योजना	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)		
0101	बैकयार्ड बकरी पालन योजना मूल 5,00.00 पुनर्वि० (-) 5,00.00	0.00	0.00
0102	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई । बैकयार्ड मुर्गी पालन योजना मूल 5,00.00 पुनर्वि० (-) 4,57.29	42.71	0.00
2404	प्रत्याशित बचत मदर यूनिट संचालक द्वारा निविदा नहीं डाले जाने के कारण हुई । डेरी विकास		
00			
109 योजना	विस्तार तथा प्रशिक्षण (राज्य योजना)		
0102	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मूल 1,25.00 पुनर्वि० (-) 38.31	86.69	0.00
2405	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। मछली पालन		
00			
001	निर्देशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	मत्स्य विकास योजना मूल 13,57.54 अनुपूरक 58.20 पुनर्वि० (-) 2,20.19	11,95.55	(-) 0.01
योजना	प्रत्याशित बचत षष्ठम पुनरीक्षण वेतनमान, ए०सी०पी० के अंतर वेतन, मशीन, उपस्कर तथा सामग्री आपूर्ति इकाई की राशि की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। (राज्य योजना)		
0101	मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन मूल 4,69.44 पुनर्वि० (-) 1,80.53	2,88.91	(-) 0.38
	प्रत्याशित बचत व्यय में कटौती के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

अनुदान संख्या - 02 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0102 मत्स्य प्रसार	1,44.16	1,43.03	(-) 1.13
मूल 10,09.56			
पुनर्वि० (-) 8,65.40			
प्रत्याशित बचत योजना समय पर स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
101 अन्तर्देशीय मछली पालन (गैर-योजना)			
0001 मत्स्य पालक विकास अभिकरण	5,14.70	5,08.94	(-) 5.76
मूल 5,61.27			
अनुपूरक 52.10			
पुनर्वि० (-) 98.67			
प्रत्याशित बचत षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान एवं ए0सी0पी0 के अंतर वेतन की निकासी नहीं किए जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0603 मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.00	0.00	0.00
मूल 60.00			
पुनर्वि० (-) 60.00			
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0612 मत्स्य विपणन योजना	0.00	0.00	0.00
मूल 5,85.00			
पुनर्वि० (-) 5,85.00			
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 मन मत्स्य का विकास	70.51	70.51	0.00
मूल 35.00			
अनुपूरक 70.00			
पुनर्वि० (-) 34.49			
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0106 मछुआरों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएं	0.00	0.00	0.00
मूल 5,00.00			
पुनर्वि० (-) 5,00.00			
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई ।			
0107 मत्स्य अनुसंधान योजना	0.00	0.00	0.00
मूल 60.00			
पुनर्वि० (-) 60.00			
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 02 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0112	मत्स्य विपणन योजना	0.00	0.00
	मूल 65.00		
	पुनर्वि० (-) 65.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई।		
0116	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	20,80.64	20,05.64 (-) 75.00
	मूल 24,96.00		
	अनुपूरक 2,50.00		
	पुनर्वि० (-) 6,65.36		
	प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
120	मछली पालन सहकारी समितियाँ		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0601	मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य नागरिक सुविधाएं	0.00	0.00
	मूल 5,00.00		
	पुनर्वि० (-) 5,00.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	मछुआरों को सहायता	0.00	0.00
	मूल 5,11.00		
	पुनर्वि० (-) 5,11.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई।		
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		
03	पशुपालन		
277	शिक्षा		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.00	0.00
	अनुपूरक 20,00.00		
	पुनर्वि० (-) 20,00.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई।		

अनुदान संख्या - 02 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
01	जनगणना			
001	निदेशन तथा प्रशासन			
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602	पशु गणना	9,16.40	7,15.95	(-)2,00.45
	मूल	5,00.00		
	अनुपूरक	17,70.91		
	पुनर्वि०	(-) 13,54.51		

प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग के पत्रांक -115 (वि0)दिनांक 04/02/13 द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 02 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 7,35.50 लाख का प्रावधान जो इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अन्तर्गत अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधानित किया गया था, न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि पूरे वर्ष के दौरान उसका उपयोग नहीं हुआ ।
- (v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
109 विस्तार और प्रशिक्षण योजना			
(राज्य योजना)			
0101 राज्य पशुपालन प्रशिक्षण कॉम्प्लेक्स	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	7,32.00		
पुनर्वि०	(-) 7,32.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 03 - भवन निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2059 लोक निर्माण कार्य			
2216 आवास			
3053 नागर विमानन			
दत्तमत :			
मूल	3,17,25,73	3,22,96,74	2,52,56,44 (-)70,40,30
अनुपूरक	5,71,01		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			63,89,85

पूँजी मुख्य शीर्ष			
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
4408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	6,69,44,45	10,41,47,62	3,19,40,31 (-) 7,22,07,31
अनुपूरक	3,72,03,17		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			6,88,80,73

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 70,40.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 61.00 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 5,10.00 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,71.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 63,89.85 लाख), अंतिम बचत (₹ 70,40.30 लाख) से ₹ 6,50.45 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2059 लोक निर्माण कार्य			
01 कार्यालय भवन			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0008 ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र भवनों का संधारण	94.64	69.42	(-) 25.22
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,05.36		
0014 कृषि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	1,02.64	99.01	(-) 3.63
मूल	1,50.00		
पुनर्वि०	(-) 47.36		
0016 शिक्षा विभाग के भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु	84.65	74.36	(-) 10.29
मूल	1,50.00		
पुनर्वि०	(-) 65.35		
0017 विधि विभाग के भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु	6,41.77	5,75.32	(-) 66.45
मूल	7,71.60		
पुनर्वि०	(-) 1,29.83		
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0118 वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	61.00		
पुनर्वि०	(-) 61.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक-2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण के कारण हुई।			
0122 लघु जल संसाधन विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	1,53.00	1,20.14	(-) 32.86
मूल	3,53.00		
पुनर्वि०	(-) 2,00.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक-2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
103 साज-सामान (गैर-योजना)			
0001 सचिवालय भवनों का साज-सामान	26.53	19.98	(-) 6.55
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 73.47		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत(-)	
60	अन्य भवन			
053	रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0013	कारा विभाग के भवन का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु मूल 5,20.00 पुनर्वि० (-) 2,00.07	3,19.93	2,41.17	(-) 78.76
0014	एस०सी०/एस०टी० कल्याण विभाग के भवन के मरम्मती हेतु मूल 3,00.00 पुनर्वि० (-) 1,21.08	1,78.92	1,63.74	(-) 15.18
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
103	साज-सामान (गैर-योजना)			
0001	बिहार विधान मण्डल भवनों का साज-सामान मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-) 1,44.81	55.19	49.14	(-) 6.05
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
80	सामान्य			
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0004	निष्पादन मूल 98,67.40 पुनर्वि० (-) 18,28.95	80,38.45	77,80.24	(-) 2,58.21
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0011	उद्यान स्थापना मूल 22,82.49 पुनर्वि० (-) 2,03.28	20,79.21	20,53.44	(-) 25.77
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
051	निर्माण (गैर-योजना)			
0001	अन्य प्रशासनिक सेवाएं मूल 9,00.00 पुनर्वि० (-) 3,50.47	5,49.53	4,97.97	(-) 51.56
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
053	रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)		
0001	रख-रखाव तथा मरम्मत मूल 1,15,00.00 पुनर्वि० (-) 19,12.66 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	95,87.34	95,41.21
0002	कार्यभारित स्थापना मूल 10,00.00 पुनर्वि० (-) 83.80 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	9,16.20	8,90.28
0006	नगर निगम एवं नगरपालिका कर मूल 75.00 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	75.00	50.33
0010	मरम्मत - राज भवन के लिए मूल 1,50.00 पुनर्वि० (-) 1,02.01 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	47.99	30.13
103	साज-सामान (गैर-योजना)		
0005	राजभवन का साज-सामान मूल 30.00 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	30.00	2.33
2216	आवास		
01	सरकारी रिहायशी भवन		
053	रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)		
0001	अन्य रख-रखाव व्यय-प्रखण्ड के भवनों हेतु मूल 5,50.00 पुनर्वि० (-) 3,28.21 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	2,21.79	1,99.88
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)		
0012	विधायकों, राज्य मंत्रियों, मंत्रियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के आवास का साज-सामान मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 87.71 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	12.29	8.00

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 7,22,07.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 1,93,00.50 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 1,63,50.66 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 15,52.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,72,03.17 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,88,80.73 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,22,07.31 लाख) से ₹ 33,26.58 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

00

051 निर्माण

योजना (राज्य योजना)

0101	वाणिज्य-कर विभाग के भवन	1,42.16	1,40.11	(-) 2.05
	मूल	3,18.40		
	पुनर्वि०	(-) 1,76.24		

प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने तथा विभागीय पत्रांक - 2566 दिनांक 28/02/2013 के आलोक में व्यय में पुनरीक्षण होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

0105	कोषागार कार्यालयों में अतिरिक्त संसाधनों का अधिष्ठापन	6,53.94	3,83.28	(-) 2,70.66
	मूल	19,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 12,46.06		

प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने तथा विभागीय पत्रांक - 2566 दिनांक 28/02/2013 के आलोक में व्यय में पुनरीक्षण होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 कार्यालय भवन

051 निर्माण

योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)

0605	पशु चिकित्सालय सुदृढीकरण योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	75.00		
	पुनर्वि०	(-) 75.00		

सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

योजना (राज्य योजना)

0101	भवन	54,42.13	52,36.49	(-) 2,05.64
	मूल	70,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 15,57.87		

प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक - 2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा व्यय में पुनरीक्षण होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0104	समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण-सामान्य प्रशासन विभाग के लिए मूल 20,00.00 पुनर्वि० (-) 61.23	19,38.77	10,94.55	(-) 8,44.22
	प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक - 2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा व्यय में पुनरीक्षण होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0105	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवनों का निर्माण मूल 29,25.00 पुनर्वि० (-) 29,25.00	0.00	0.00	0.00
0106	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लिये अभिलेख प्रकोष्ठ सह कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार मूल 65.00 पुनर्वि० (-) 65.00	0.00	0.00	0.00
	उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0107	वित्त विभाग के भवन मूल 3,00.00 पुनर्वि० (-) 1,73.11	1,26.89	1,02.31	(-) 24.58
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0110	निबंधन विभाग के भवन मूल 2,36.49 पुनर्वि० (-) 43.07	1,93.42	1,69.69	(-) 23.73
	प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक - 2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा व्यय में पुनरीक्षण होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0111	उत्पाद विभाग के भवन मूल 2,36.49 पुनर्वि० (-) 1,03.50	1,32.99	1,32.72	(-) 0.27
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0112	पशु चिकित्सालय की सुदृढीकरण योजना मूल 25.00 पुनर्वि० (-) 25.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक -2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण होने के कारण हुई ।			
0113	सहकारिता विभाग के भवन अनुपूरक 3,71.50 पुनर्वि० (-) 25.15	3,46.35	2,39.72	(-) 1,06.63
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0115 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवन मूल 19,00.00 अनुपूरक 67,79.34 पुनर्वि० (-) 85,41.55 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	1,37.79	1,37.79	0.00
0116 संयुक्त श्रम भवन का निर्माण मूल 4,74.71 पुनर्वि० (-) 4,74.71 सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक -2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण होने के कारण हुई ।	0.00	0.00	0.00
0117 प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) मूल 75,00.00 पुनर्वि० (-) 68,19.05 प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक - 2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	6,80.95	2,80.32	(-) 4,00.63
60 अन्य भवनें			
051 निर्माण योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0611 बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना मूल 27,00.00 पुनर्वि० (-) 27,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।	0.00	0.00	0.00
योजना (राज्य योजना)			
0101 सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 92.09 प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	7.91	11.48	(+) 3.57
0105 केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण गृह (कारा) विभाग मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 18.12 प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक - 2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	81.88	30.92	(-) 50.96
0106 स्टेडियम एवं खेल संरचना मूल 12,60.00 अनुपूरक 3,00.00 पुनर्वि० (-) 2,13.64 प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक - 2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	13,46.36	11,22.37	(-) 2,23.99

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0107	सांस्कृतिक संरचना	24,79.25	24,79.66	(+) 0.41
	मूल	4,68.00		
	अनुपूरक	23,52.00		
	पुनर्वि०	(-) 3,40.75		
	प्रत्याशित तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0108	विरासत संरक्षण-वित्त अयोग	0.00	0.00	0.00
	मूल	21,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 21,00.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0110	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)	0.00	0.00	0.00
	मूल	23,60.00		
	पुनर्वि०	(-) 23,60.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0111	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	15,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 15,00.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0112	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन	3,41.80	3,41.80	0.00
	मूल	6,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 2,58.20		
0113	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण (वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में)	4,15.13	4,15.13	0.00
	मूल	20,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 15,84.87		
	उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक - 2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण होने के कारण हुई ।			
0114	अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार भवन	23,96.62	15,21.58	(-) 8,75.04
	मूल	32,12.88		
	अनुपूरक	90.00		
	पुनर्वि०	(-) 9,06.26		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 योजना	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)		
0101	स्टेडियम एवं खेल संरचना मूल 2,40.00 पुनर्वि० (-) 1,12.77	1,27.23	1,17.20
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		(-) 10.03
0103	विरासत संरक्षण-वित्त आयोग मूल 4,00.00 पुनर्वि० (-) 4,00.00	0.00	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।		0.00
80	सामान्य		
051	निर्माण (गैर-योजना)		
0001	अन्य प्रशासनिक सेवाएं मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-) 1,86.06	13.94	13.94
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		0.00
0002	लघु निर्माण मूल 3,75.00 पुनर्वि० (-) 3,75.00	0.00	0.00
	संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		0.00
0004	मुख्य निर्माण मूल 4,00.00 पुनर्वि० (-) 60.56	3,39.44	2,61.23
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		(-) 78.21
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0604	न्यायिक भवनें मूल 2,17.66 पुनर्वि० (-) 2,17.66	0.00	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।		0.00
योजना	(राज्य योजना)		
0105	न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) मूल 50,17.19 अनुपूरक 17,61.99 पुनर्वि० (-) 32,01.35	35,77.83	35,70.96
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(-) 6.87

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0110	न्यायिक भवनों (भवन निर्माण विभाग) मूल 2,17.66 पुनर्वि० (-) 70.04	1,47.62	1,40.98	(-) 6.64
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0116	राजभवन के भवनों का निर्माण अनुपूरक 2,84.32 पुनर्वि० (-) 2.15	2,82.17	2,47.69	(-) 34.48
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0117	इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के लिए भवनों (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) मूल 86,59.91 पुनर्वि० (-) 27,98.52	58,61.39	45,61.43	(-) 12,99.96
	प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक-2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0118	पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01	सरकारी रिहायशी भवन			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0102	आवासीय भवनों का निर्माण- सामान्य प्रशासन विभाग के लिए मूल 12,18.58 पुनर्वि० (-) 2,33.76	9,84.82	9,64.31	(-) 20.51
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
700	अन्य आवास (गैर-योजना)			
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602	न्यायिक आवासीय भवनों मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0101 अन्य आवास	2,21.63	2,21.63	0.00
मूल	9,00.00		
पुनर्वि०	(-) 6,78.37		
0102 न्यायिक आवासीय भवनों	17.44	17.44	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 82.56		

उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत विभागीय पत्रांक - 2566 दिनांक 28/02/2013 द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण होने के कारण हुई ।

4408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय

02 भंडारण तथा भांडागार

101 ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम

योजना (राज्य योजना)

0101 लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न का भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम	42,78.95	34,72.22	(-) 8,06.73
मूल	49,52.00		
अनुपूरक	2,47,64.00		
पुनर्वि०	(-) 2,54,37.05		

सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत प्रशासनिक विभाग से स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

(vii) अधिक व्यय (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

2059 लोक निर्माण कार्य

80 सामान्य

053 रखरखाव तथा मरम्मत

(गैर-योजना)

0004 विद्युत कार्य के लिए	4,62.15	5,09.92	(+) 47.77
मूल	2,60.00		
पुनर्वि०	2,02.15		

₹ 2,02.15 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2216 आवास			
01 सरकारी रिहायशी भवन			
053 रखरखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	1,09.45	1,42.35	(+) 32.90
ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र / उपकेन्द्र के भवनों हेतु			
मूल	2,25.00		
पुनर्वि०	(-) 1,15.55		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0003 निबंधन विभाग के आवासीय भवन	21.91	60.02	(+) 38.11
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	(-) 2,78.09		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0004 मुख्यमंत्री आवास संख्या 1, अणे मार्ग, पटना	14.32	24.60	(+) 10.28
में साज-सामान एवं पैनेलिंग आदि की मरम्मती			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 85.68		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
(viii) अधिक व्यय (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
60 अन्य भवन			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0104 परिसदन का निर्माण एवं संधारण	10,90.00	17,92.25	(+) 7,02.25
मूल	11,00.00		
पुनर्वि०	(-) 10.00		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01 सरकारी रिहायशी भवन			
700 अन्य आवास			
योजना (राज्य योजना)			
0105 न्यायाधीशों के आवास (विधि विभाग)	1,15.79	3,46.16	(+) 2,30.37
अनुपूरक	5,00.01		
पुनर्वि०	(-) 3,84.22		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 03 - क्रमशः

(ix) उच्चत लन-देन :-(क) इस शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित लन-देन, यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किये गये हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघु शीर्ष उच्चत के चार उप-प्रभाग होते हैं; यथा -(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उच्चत।

इनमें से प्रत्येक उप-प्रभाग के लन-देन की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

(i) स्टॉक - इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गई सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक के अंतर्गत रखी गयी सामग्रियों का सूचक है।

(ii) क्रय - जब मास के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किए बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मूल्य यथास्थिति लेखे के उस विशिष्ट "कार्य" शीर्ष में या "स्टॉक" उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर "क्रय" में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि को "क्रय" शीर्ष में नामे डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है जो प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लन-देनों को शीर्ष "8658-उच्चत लेखा, 129-सामग्री क्रय पर परिनिर्धारण उच्चत लेखा" के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा-भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पूर्व के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार की राशि, जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गयी राशि, बट्टे-खाते में डाली गयी रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(iv) कार्यशाला उच्चत -(क) लोक निर्माण कार्य के लिए विभागीय कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें प्रत्येक उप-प्रभागों के अंतर्गत 2012-13 के दौरान हुए लन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष तथा अंतशेष नीचे दिये गये हैं :-

शीर्ष	01 अप्रैल 2012 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2013 को अंतशेष
(₹ लाख में)					
2059 लोक निर्माण कार्य					
क्रय	(-) 27,77.22	(-) 27,77.22
स्टॉक	13,49.82	13,49.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	29,15.70	7,22.29	7,22.29	36,37.99
कुल	14,88.30	7,22.29	7,22.29	22,10.59

अनुदान संख्या - 03 - क्रमांत

(x) भवन निर्माण एवं आवास विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की समीक्षा - लोक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किये गये कार्य के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती हैं तथा शेष प्रभार को लेखा के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अंतर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2010-11 से 2012-13 के इन प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय के साथ उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी एवं उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
2010-11	10,07,46.67	1,20,43.82	11.95	3.14	0.00
2011-12	8,03,09.82	48,18.58	5.99	44.31	0.00
2012-13	4,04,09.31	24,24.56	6.00	62.26	0.15

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या - 04 - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2013 मंत्रिपरिषद्			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
3053 नागर विमानन			
दत्तमत :			
मूल	1,16,07,92	1,17,18,27	85,99,57 (-) 31,18,70
अनुपूरक	1,10,35		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			28,97,45

पूँजी

मुख्य शीर्ष

5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	8,70,50	33,70,50	26,75,14 (-) 6,95,36
अनुपूरक	25,00,00		

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

1,34,33

(31 मार्च 2013)

टीका एवं टिप्पणियाँ -

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 31,18.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 (₹ 56.35 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 54.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,10.35 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 28,97.45 लाख), अंतिम बचत (₹ 31,18.70 लाख) से ₹ 2,21.25 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 04 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

2013 मंत्रिपरिषद्

00

101 मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन
(गैर-योजना)

0001 मंत्रिगण 11,68.18 11,72.40 (+) 4.22

मूल 13,73.43

पुनर्वि० (-) 2,05.25

प्रत्याशित बचत मंत्रियों के निजी कर्मचारी का पद रिक्त रहने से वेतन-भत्ते की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

00

090 सचिवालय
(गैर-योजना)

0001 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 5,38.62 5,40.69 (+) 2.07
(मुख्यमंत्री सचिवालय)

मूल 6,14.38

अनुपूरक 0.70

पुनर्वि० (-) 76.46

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।
योजना (राज्य योजना)

0101 राजभाषा 8.94 9.25 (+) 0.31

मूल 96.00

पुनर्वि० (-) 87.06

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

0147 सचिवालय ग्रंथागार का आधुनिकीकरण एवं 1.62 1.62 0.00
पुस्तकों का क्रय

मूल 25.00

पुनर्वि० (-) 23.38

प्रत्याशित बचत जीर्णोद्धार कार्य जारी रहने से कर्णांकित योजनाओं पर व्यय नहीं होने के कारण हुई ।

092 अन्य कार्यालय
योजना (राज्य योजना)

0103 20 सूत्री कार्यक्रम-कार्यकारी उपाध्यक्ष, 20.27 20.27 0.00
राज्यस्तरीय समिति एवं उनके निजी
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते

मूल 50.00

पुनर्वि० (-) 29.73

प्रत्याशित बचत उपाध्यक्ष का एक पद रिक्त रहने तथा आकस्मिक मद में व्यय नहीं होने के कारण हुई ।

अनुदान संख्या - 04 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2053 जिला प्रशासन			
00			
093 जिला स्थापना योजना (राज्य योजना)			
0106 20 सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यालय मूल 1,55.00	1,55.00	8.97	(-) 1,46.03
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0103 जनशिकायत निवारण व्यवस्था मूल 3,00.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-) 3,00.00			
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
106 सिविल रक्षा (गैर-योजना)			
0003 बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् मूल 2,24.55	85.18	85.04	(-) 0.14
पुनर्वि० (-) 1,39.37			
114 वाहन का क्रय एवं रख-रखाव (गैर-योजना)			
0001 सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण मूल 23,99.57	9,12.43	9,11.66	(-) 0.77
पुनर्वि० (-) 14,87.14			
115 अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि (गैर-योजना)			
0002 बिहार भवन स्थापना मूल 5,95.64	5,49.42	5,22.02	(-) 27.40
अनुपूरक (-) 46.22			
उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 04 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2205 कला एवं संस्कृति			
00			
104 अभिलेखागार योजना (राज्य योजना)			
0102 अभिलेखागार के संरक्षण एवं आधुनिकीकरण	36.44	36.44	0.00
मूल	60.00		
पुनर्वि०	(-) 23.56		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0103 बिहार का गौरव श्रृंखला के प्रकाशनार्थ	43.10	25.56	(-) 17.54
मूल	75.00		
पुनर्वि०	(-) 31.90		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
3053 नागर विमानन			
80 सामान्य			
003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा (गैर-योजना)			
0001 प्रशिक्षण तथा शिक्षा	2,08.21	2,09.77	(+) 1.56
मूल	3,01.81		
पुनर्वि०	(-) 93.60		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 04 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 6,95.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 25,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,34.33 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,95.36 लाख) से ₹ 5,61.03 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

योजना (राज्य योजना)

0101	हवाई अड्डा	32,36.17	26,75.14	(-) 5,61.03
	मूल	8,70.50		
	अनुपूरक	25,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 1,34.33		

प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

विनियोग संख्या - 05 - राज्यपाल सचिवालय
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
प्रभारित :			
मूल	7,51,10	7,78,71	8,03,08
अनुपूरक	27,61		(+)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			14,30
(31 मार्च 2013)			

टीका एवं टिप्पणियाँ -

राजस्व (प्रभारित)

- (i) कुल प्रावधानित विनियोग उपबंध से ₹ 24.37 लाख का अधिक व्यय हुआ, जिसका नियमितकरण अपेक्षित है ।
- (ii) ₹ 24.37 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए 31 मार्च 2013 को ₹ 14.30 लाख का प्रत्यर्पण न्यायसंगत नहीं है ।

विनियोग संख्या - 05 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
110 राजकीय वाहन और मोटर कार (गैर-योजना)			
0001 नई मोटर गाड़ी का क्रय अनुपूरक	15.11 15.11	0.00	(-) 15.11
संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

(iv) अधिक व्यय (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
103 पारिवारिक स्थापना (गैर-योजना)			
0009 बाग की मरम्मती एवं अनुरक्षण मूल	41.11 41.11	52.49	(+) 11.38
अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
104 आतिथ्य भत्ता (गैर-योजना)			
0001 सत्कार भत्ता मूल	1.50 1.50	14.66	(+) 13.16
अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
105 चिकित्सा सुविधाएँ (गैर-योजना)			
0001 अन्य शुल्क-चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मूल	33.12 33.12	53.63	(+) 20.51
अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

**अनुदान संख्या - 06 - निर्वाचन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2015 निर्वाचन			
दत्तमत:			
मूल	71,77,05	72,15,11	(-) 20,88,24
अनुपूरक	38,06		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			19,89,55

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 20,88.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 37.66 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 0.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 38.06 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 19,89.55 लाख), अंतिम बचत (₹ 20,88.24 लाख) से ₹ 98.69 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 06 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2015 निर्वाचन			
00			
103 निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण (गैर-योजना)			
0001 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	31,92.94	31,34.56	(-) 58.38
मूल	37,10.00		
पुनर्वि०	(-) 5,17.06		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0002 विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	0.00	0.00	0.00
मूल	15.00		
पुनर्वि०	(-) 15.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार (गैर-योजना)			
0001 लोक सभा का आम चुनाव	55.42	51.16	(-) 4.26
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	(-) 4,44.58		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार (गैर-योजना)			
0001 राज्य विधान सभा का आम चुनाव	2,20.99	2,13.21	(-) 7.78
मूल	3,77.00		
पुनर्वि०	(-) 1,56.01		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
108 मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना (गैर-योजना)			
0001 मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय	3,29.84	3,14.42	(-) 15.42
मूल	12,10.00		
पुनर्वि०	(-) 8,80.16		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 07 - निगरानी विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
दत्तमत:			
मूल	24,31,30	24,60,94	(-) 2,22,66
अनुपूरक	29,64		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			2,69,29

टीका एवं टिप्पणियाँ -

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 2,22.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 29.64 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,69.29 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,22.66 लाख) से ₹ 46.63 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 07 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00			
104 सतर्कता (गैर-योजना)			
0002 मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग	2,84.38	2,89.11	(+) 4.73
मूल	3,23.31		
अनुपूरक	0.41		
पुनर्वि०	(-) 39.34		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0005 विद्युत निगरानी ऊर्जा चोरी निरोध कोषांग	4,11.40	4,11.05	(-) 0.35
मूल	4,75.45		
पुनर्वि०	(-) 64.05		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0010 घूस की राशि की प्रतिपूर्ति	8.92	9.78	(+) 0.86
मूल	20.00		
पुनर्वि०	(-) 11.08		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 08 - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत:			
मूल	73,38,06	83,56,11	60,16,43 (-) 23,39,68
अनुपूरक	10,18,05		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			22,74,78

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 23,39.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012(₹ 9,10.02 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 8.00 लाख) तथा मार्च 2013(₹ 1,00.03 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,18.05 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 22,74.78 लाख), अंतिम बचत (₹ 23,39.68 लाख) से ₹ 64.90 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 08 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं		
00			
101	व्यायाम शिक्षा (गैर-योजना)		
0001	व्यायाम शिक्षा	2,12.30	2,07.46
	मूल 3,44.65		
	पुनर्वि० (-) 1,32.35		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
102	विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम (गैर-योजना)		
0001	राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन	5,12.00	5,12.00
	मूल 6,35.15		
	पुनर्वि० (-) 1,23.15		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0002	राष्ट्रीय कैडेट कोर-वरीय शाखा	6,24.92	6,11.70
	मूल 9,25.16		
	पुनर्वि० (-) 3,00.24		
0003	राष्ट्रीय कैडेट कोर-कनीय शाखा	5,41.51	5,21.96
	मूल 7,07.98		
	पुनर्वि० (-) 1,66.47		
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0601	छात्रों के लिए युवा कल्याण	14.65	6.04
	मूल 50.00		
	पुनर्वि० (-) 35.35		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
104	खेल-कूद (गैर-योजना)		
0001	खेल-कूद	3,98.65	3,87.35
	मूल 4,60.79		
	पुनर्वि० (-) 62.14		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0602	राष्ट्रीय सेवा योजना	1,39.10	1,39.10
	मूल 2,33.80		
	पुनर्वि० (-) 94.70		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

शीर्ष		अनुदान संख्या - 08 - क्रमशः		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना	(राज्य योजना)					
0102	खेल-कूद		4,90.57		4,87.89	(-) 2.68
	मूल	8,24.88				
	अनुपूरक	3,00.02				
	पुनर्वि०	(-) 6,34.33				
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।					
789	अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना					
योजना	(राज्य योजना)					
0101	खेल-कूद		57.06		57.06	0.00
	मूल	1,57.12				
	पुनर्वि०	(-) 1,00.06				
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।					
2205	कला एवं संस्कृति					
00						
102	कला एवं संस्कृति का संवर्धन					
योजना	(राज्य योजना)					
0101	कला एवं संस्कृति का संवर्धन		4,27.61		4,07.68	(-) 19.93
	मूल	4,75.80				
	अनुपूरक	0.01				
	पुनर्वि०	(-) 48.20				
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।					
103	पुरातत्व विज्ञान					
	(गैर-योजना)					
0001	पुरातत्व विज्ञान निदेशालय		1,31.27		1,31.27	0.00
	मूल	1,63.01				
	अनुपूरक	8.00				
	पुनर्वि०	(-) 39.74				
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।					
योजना	(राज्य योजना)					
0101	पुरातत्व विज्ञान निदेशालय		2,59.26		2,57.42	(-) 1.84
	मूल	3,58.40				
	पुनर्वि०	(-) 99.14				

अनुदान संख्या - 08 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
107 संग्रहालय (गैर-योजना)			
0001 संग्रहालय	6,33.63	6,21.75	(-) 11.88
मूल	8,54.13		
पुनर्वि०	(-) 2,20.50		
योजना (राज्य योजना)			
0101 संग्रहालय	11,36.96	11,22.67	(-) 14.29
मूल	5,79.00		
अनुपूरक	7,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,42.04		

उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 09 - सहकारिता विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2401 फसल कृषि-कर्म			
2408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार			
2425 सहकारिता			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	4,08,15,76	6,60,42,39	4,21,44,55
अनुपूरक	2,52,26,63		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			2,38,09,89

पूँजी
मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
6408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
6425 सहकारिता के लिए कर्ज			

दत्तमत :			
मूल	47,84,00	1,18,92,00	70,59,19
अनुपूरक	71,08,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			48,32,81

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 2,38,97.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 26,26.01 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 82,66.27 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 1,43,34.35 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,52,26.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,38,09.89 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,38,97.84 लाख) से ₹ 87.95 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 09 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2401 फसल कृषि-कर्म			
00			
110 फसल बीमा योजना			
(राज्य योजना)			
0101 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-) 50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक -185 दिनांक-11/01/2013 द्वारा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
0104 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत किसानों को विमित्त फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि	0.00	0.00	0.00
मूल	1,50,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,50,00.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक -185 दिनांक-11/01/2013, पत्रांक-2728 दिनांक-12/07/2012 तथा पत्रांक-3192 दिनांक-09/08/2012 द्वारा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
0107 पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान	1,24,95.00	1,24,95.00	0.00
मूल	1,25,00.00		
अनुपूरक	64,00.00		
पुनर्वि०	(-) 64,05.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
2425 सहकारिता			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0101 निदेशन	3,01.21	3,01.21	0.00
मूल	3,74.33		
पुनर्वि०	(-) 73.12		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 09 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
107 योजना	क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता (राज्य योजना)		
0141	पैक्सों को उर्वरक भंडारण एवं कारोबार हेतु अनुपूरक 15,00.00 पुनर्वि० (-) 5,26.50	9,73.50	9,73.50
	प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक -185 दिनांक-11/01/2013 द्वारा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।		0.00
108 योजना	अन्य सहकारी समितियों को सहायता (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0604	समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान मूल 10,12.17 पुनर्वि० (-) 3,53.99	6,58.18	6,58.18
	प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।		0.00
योजना	(राज्य योजना)		
0107	समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान मूल 5,00.00 पुनर्वि० (-) 3,67.05	1,32.95	1,32.95
	प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक -837 दिनांक-18/02/2013 द्वारा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।		0.00
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
00			
090	सचिवालय (गैर-योजना)		
0005	सहकारिता विभाग मूल 3,81.16 अनुपूरक 21.34 पुनर्वि० (-) 18.43	3,84.07	3,34.57
	प्रत्याशित बचत सेवानिवृत्ति तथा मितव्ययिता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(-) 49.50
योजना	(राज्य योजना)		
0101	सहकारिता विभाग मूल 4,00.00 अनुपूरक 3,50.00 पुनर्वि० (-) 7,50.00	0.00	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-186 दिनांक-11/01/2013 तथा सहकारिता विभाग के पत्रांक-837 दिनांक 18.02.2013 द्वारा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।		0.00

अनुदान संख्या - 09 - क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 48,32.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 16,00.00 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 45,00.00 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 10,08.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 71,08.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

00

051 निर्माण

योजना (राज्य योजना)

0102 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत गोदाम

निर्माण	24,08.00	24,08.00	0.00
---------	----------	----------	------

मूल	18,23.90		
-----	----------	--	--

अनुपूरक	10,08.00		
---------	----------	--	--

पुनर्वि०	(-) 4,23.90		
----------	-------------	--	--

प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-185 दिनांक-11/01/2013 द्वारा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।

108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश

योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)

0610 समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए

केन्द्रीय सहकारी बैंकों को हिस्सा पूँजी में अंशदान	1,85.25	1,85.25	0.00
--	---------	---------	------

मूल	2,87.80		
-----	---------	--	--

पुनर्वि०	(-) 1,02.55		
----------	-------------	--	--

प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।

6408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

02 भंडारण तथा भांडागार

190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

योजना (राज्य योजना)

0101 भंडार के निर्माण के लिए बिहार राज्य

भंडार निगम को अनुदान	0.00	0.00	0.00
----------------------	------	------	------

अनुपूरक	16,00.00		
---------	----------	--	--

पुनर्वि०	(-) 16,00.00		
----------	--------------	--	--

संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना समिति की दिनांक-04/07/2012 की अनुशंसा, तदनुसार योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-2728 दिनांक 12/07/2012 के कारण हुई ।

अनुदान संख्या – 09 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6425 सहकारिता के लिए कर्ज			
00			
107 जमा सहकारी समितियों को कर्ज			
योजना (राज्य योजना)			
0106 पैक्सों की उर्वरक भंडारण एवं कारोबार हेतु	29,20.50	29,20.50	0.00
अनुपूरक	45,00.00		
पुनर्वि०	(-) 15,79.50		
प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-185 दिनांक-11/01/2013 द्वारा योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
108 अन्य सहकारी समितियों को कर्ज			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0612 समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए			
केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण	15,45.44	15,45.44	0.00
मूल	26,71.30		
पुनर्वि०	(-) 11,25.86		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या – 10 – ऊर्जा विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2059 लोक निर्माण कार्य			
2801 बिजली			
2810 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	22,05,77,28	33,15,92,54	32,25,81,10
अनुपूरक	11,10,15,26		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-) 90,11,44 89,89,00

पूँजी
मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
दत्तमत :			
मूल	20,56,20,67	28,54,14,45	12,57,98,01
अनुपूरक	7,97,93,78		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-) 15,96,16,44 15,95,69,40

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 90,11.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 87,89.00 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 10,22,26.26 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,10,15.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 89,89.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 90,11.44 लाख) से ₹ 22.44 लाख कम था।

अनुदान संख्या – 10 – क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2801 बिजली			
80 सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता (गैर-योजना)			
0002 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं सम विकास योजना	11,17.28	11,17.28	0.00
अनुपूरक	87,89.00		
पुनर्वि०	(-) 76,71.72		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
2810 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत			
60 अन्य			
600 ऊर्जा के अन्य स्रोत योजना (राज्य योजना)			
0101 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	3,59.00	3,59.00	0.00
मूल	13,68.03		
पुनर्वि०	(-) 10,09.03		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	0.00	0.00	0.00
मूल	2,60.57		
पुनर्वि०	(-) 2,60.57		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या – 10 – क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 15,96,16.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 (₹ 58,00.00 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 7,39,93.78 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,97,93.78 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 15,95,69.40 लाख), अंतिम बचत (₹ 15,96,16.44 लाख) से ₹ 47.04 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80	सामान्य			
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	विद्युत निष्पादन	3,46.14	3,46.14	0.00
	मूल	6,05.00		
	पुनर्वि०	(-) 2,58.86		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
05	संचरण तथा वितरण			
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश योजना (राज्य योजना)			
0101	पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष योजना	1,73,63.43	1,73,63.43	0.00
	मूल	8,58,88.39		
	पुनर्वि०	(-) 6,85,24.96		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
00				
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज (गैर-योजना)			
0002	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि० से लिये गए ऋण के सूद का भुगतान	32,00.37	32,00.37	0.00
	मूल	44,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 11,99.63		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0003	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु केन्द्रीय प्रकोष्ठ के विद्युत संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई राशि के विरुद्ध बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण मूल 20,69.41 पुनर्वि० (-) 18,46.92 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	2,22.49	2,22.49	0.00
0006	बिहार स्टेट पावर (होलिंडग) कंपनी लिमिटेड को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन से लिये गए ऋण के सूद का भुगतान हेतु ऋण अनुपूरक मूल 11,99.63 पुनर्वि० (-) 1,48.32 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	10,51.31	10,51.31	0.00
योजना	(राज्य योजना)			
0101	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण तथा वितरण परियोजना (वाह्य संपोषित योजना) मूल 60,00.00 पुनर्वि० (-) 45,58.23	14,41.77	14,41.77	0.00
0104	बिहार राज्य विद्युत पर्षद को परियोजनाओं हेतु ऋण मूल 7,88,70.96 पुनर्वि० (-) 5,07,58.96	2,81,12.00	2,81,12.00	0.00
0105	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण ए०पी०डी०आर०पी० मूल 53,81.88 पुनर्वि० (-) 53,81.88	0.00	0.00	0.00
0108	बिहार स्टेट पावर (होलिंडग) कंपनी लि० की संचरण तथा वितरण परियोजना (वाह्य संपोषित योजना) मूल 45,58.23 पुनर्वि० (-) 21,47.77	24,10.46	24,10.46	0.00
0110	बिहार स्टेट पावर (होलिंडग) कंपनी लि० को ऋण ए०पी०डी०आर०पी० मूल 53,81.88 पुनर्वि० (-) 27,40.88 उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	26,41.00	26,41.00	0.00

अनुदान संख्या - 10 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
201 पनबिजली उत्पादन योजना			
0101 बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण अनुपूरक	12,00.00	12,00.00	0.00
पुनर्वि०	58,00.00 (-) 46,00.00		
0105 बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड)	45,77.17	45,77.17	0.00
मूल	63,56.87		
पुनर्वि०	(-) 17,79.70		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 बिहार राज्य विद्युत पर्षद को परियोजनाओं हेतु ऋण	0.00	0.00	0.00
मूल	1,50,23.04		
पुनर्वि०	(-) 1,50,23.04		
0103 बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण ए०पी०डी०आर०पी०	0.00	0.00	0.00
मूल	10,25.12		
पुनर्वि०	(-) 10,25.12		
0105 बिहार स्टेट पावर (होल्लिंडग) कंपनी लि० को ऋण ए०पी०डी०आर०पी०	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	10,25.12		
पुनर्वि०	(-) 10,25.12		
उपर्युक्त तीन मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 11 - पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व मुख्य शीर्ष			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत:			
मूल	1,26,30,60	8,84,58,81	8,47,61,84
अनुपूरक	7,58,28,21		(-) 36,96,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			14,07,84

पूँजी
मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत:			
मूल	2,87,00	2,87,00	2,87,00
अनुपूरक	शून्य		0.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 36,96.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 7,42,00.00 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 0.04 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 16,28.17 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,58,28.21 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,07.84 लाख), अंतिम बचत (₹ 36,96.97 लाख) से ₹ 22,89.13 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 11 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
03	<i>पिछड़े वर्गों का कल्याण</i>		
277	शिक्षा (गैर-योजना)		
0010	पिछड़ी जातियों के लिये बारह आवासीय कन्या उच्च विद्यालयों का संधारण		
	5,46.89	5,46.89	0.00
	मूल 7,87.99		
	पुनर्वि० (-) 2,41.10		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0602	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति)		
	2,48.23	2,45.24	(-) 2.99
	मूल 3,90.00		
	पुनर्वि० (-) 1,41.77		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0606	छात्रों हेतु छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य		
	0.00	0.00	0.00
	मूल 1,00.00		
	पुनर्वि० (-) 1,00.00		
0607	छात्राओं हेतु छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य		
	0.00	0.00	0.00
	मूल 1,00.00		
	पुनर्वि० (-) 1,00.00		
योजना	(राज्य योजना)		
0107	छात्रों हेतु छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (50:50)		
	0.00	0.00	0.00
	मूल 1,00.00		
	पुनर्वि० (-) 1,00.00		
0108	छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य राज्यांश (50:50)		
	0.00	0.00	0.00
	मूल 1,00.00		
	पुनर्वि० (-) 1,00.00		
	उपर्युक्त चार मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
00			
090	सचिवालय (गैर-योजना)		
0024	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग		
	1,48.59	1,47.56	(-) 1.03
	मूल 1,84.21		
	अनुपूरक 0.04		
	पुनर्वि० (-) 35.66		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

अनुदान संख्या - 12 - वित्त विभाग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
2075	विविध सामान्य सेवाएं		
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
दत्तमत :			
मूल	3,75,38,44	4,00,56,61	2,20,29,90 (-) 1,80,26,71
अनुपूरक	25,18,17		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			1,64,95,30
प्रभारित :			
मूल	2,98,00,00	2,98,00,00	2,54,95,36 (-) 43,04,64
अनुपूरक	शून्य		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			43,05,00
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4058	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय		
7610	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि		
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		
दत्तमत :			
मूल	22,00,00	22,72,99,00	17,43,03 (-) 22,55,55,97
अनुपूरक	22,50,99,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			4,59,22
टीका एवं टिप्पणियाँ -			
राजस्व (दत्तमत)			
(i)	₹ 1,80,26.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 15,43.81 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 73.84 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 9,00.52 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 25,18.17 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।		
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,64,95.30 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,80,26.71 लाख) से ₹ 15,31.41 लाख कम था।		

अनुदान संख्या – 12 – क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
00			
103	अल्प बचतों की अभिवृद्धि (गैर-योजना)		
0002	3,34.34	3,32.95	(-) 1.39
	मूल 4,04.55		
	पुनर्वि० (-) 70.21		
	प्रत्याशित बचत वेतनादि में शार्ट फॉल होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
00			
090	सचिवालय (गैर-योजना)		
0015	89.38	88.85	(-) 0.53
	मूल 1,16.02		
	पुनर्वि० (-) 26.64		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
092	अन्य कार्यालय (गैर-योजना)		
0005	13,98.12	13,98.43	(+) 0.31
	मूल 17,69.17		
	अनुपूरक 5.50		
	पुनर्वि० (-) 3,76.55		
	प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0010	49.09	49.09	0.00
	मूल 19.70		
	अनुपूरक 58.04		
	पुनर्वि० (-) 28.65		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
00			
095	लेखा तथा खजाना निदेशालय (गैर-योजना)		
0002	11,45.34	11,38.75	(-) 6.59
	मूल 13,19.92		
	अनुपूरक 2,52.18		
	पुनर्वि० (-) 4,26.76		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

अनुदान संख्या – 12 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0102 भविष्य निधि लेखा का संधारण	75.00	75.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 25.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0103 बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट	4,81.10	4,77.91	(-) 3.19
(ब्रेन प्रोजेक्ट एवं मिशन मोड प्रोजेक्ट)			
मूल	14,00.00		
अनुपूरक	11,40.00		
पुनर्वि०	(-) 20,58.90		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
097 खजाना स्थापना			
(गैर-योजना)			
0001 कोषागार एवं अन्य उप-कोषागार	26,62.94	26,07.38	(-) 55.56
मूल	28,85.33		
अनुपूरक	1,25.00		
पुनर्वि०	(-) 3,47.39		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा			
(गैर-योजना)			
0001 स्थानीय निधि अंकेक्षण	26,35.07	11,39.44	(-) 14,95.63
मूल	26,35.07		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
00			
101 लेखन सामग्री भंडार क्रय तथा पूर्ति			
(गैर-योजना)			
0001 लेखन सामग्री कार्यालय	10.54	10.49	(-) 0.05
मूल	3,10.50		
पुनर्वि०	(-) 2,99.96		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
102 फार्मों का मुद्रण, भंडारण तथा वितरण			
(गैर-योजना)			
0001 फार्म प्रेस, गया	3,50.99	3,50.70	(-) 0.29
मूल	5,95.82		
पुनर्वि०	(-) 2,44.83		
प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं कागज क्रय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103	सरकारी मुद्रणालय (गैर-योजना)		
0001	राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग मूल 12,08.67 पुनर्वि० (-) 2,70.41	9,38.26	9,32.93
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(-) 5.33
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
00			
004	अनुसंधान एवं अनुसंधान विकास (गैर-योजना)		
0001	लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र मूल 60.00 अनुपूरक 36.31 पुनर्वि० (-) 36.31	60.00	60.00
	प्रत्याशित बचत नियुक्ति में प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण हुई।		0.00
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)		
0008	विविध तथा आकस्मिक व्यय मूल 2,50.00 पुनर्वि० (-) 2,17.50	32.50	34.51
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(+) 2.01
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
00			
102	सामुदायिक विकास (राज्य योजना)		
0114	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित) मूल 1,29,83.00 पुनर्वि० (-) 71,19.00	58,64.00	58,63.99
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(-) 0.01
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)		
0101	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित) मूल 69,08.00 पुनर्वि० (-) 36,47.00	32,61.00	32,61.00
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		0.00

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796	जनजातीय क्षेत्र उप योजना (राज्य योजना)		
0114	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	2,87.00	2,87.00
	मूल	6,09.00	
	पुनर्वि०	(-) 3,22.00	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

राजस्व (प्रभारित)

(iv) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन		
00			
101	निक्षेप निधि (गैर-योजना)		
0001	शोधन निधि	2,54,95.00	2,54,95.00
	मूल	2,98,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 43,05.00	

प्रत्याशित बचत शोधन निधि में कुल लोक ऋण का केवल 0.5 प्रतिशत निवेश किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

- (v) ₹ 22,55,55.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 22,50,99.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित रखा जा सकता था।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,59.22 लाख), अंतिम बचत (₹ 22,55,55.97 लाख) से ₹ 22,50,96.75 लाख कम था।
- (vii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7610	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि		
00	00		
201	भवन निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)		
0002	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम		
	0.00	0.00	0.00
	मूल 50.00		
	पुनर्वि० (-) 50.00		
	संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।		
202	मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)		
0001	सरकारी सेवकों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम		
	5,01.68	4,52.92	(-) 48.76
	मूल 4,00.00		
	पुनर्वि० 1,01.68		
	₹ 101.68 के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि करने तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0002	सरकारी सेवकों को मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम		
	18.30	18.17	(-) 0.13
	मूल 50.00		
	पुनर्वि० (-) 31.70		
	प्रत्याशित बचत समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0003	मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम		
	61.63	61.63	0.00
	मूल 1,00.00		
	पुनर्वि० (-) 38.37		
	प्रत्याशित बचत समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।		
0004	विधान मंडल के सदस्यों को मोटर-गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम		
	2,83.90	2,43.90	(-) 40.00
	मूल 7,00.00		
	पुनर्वि० (-) 4,16.10		
	प्रत्याशित बचत समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

अनुदान संख्या - 12 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
204	कंप्यूटरों का क्रय करने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)		
0001	पदाधिकारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	1,32.01	1,36.50 (+) 4.49
	मूल	2,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 67.99	

प्रत्याशित बचत समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

(viii) अधिक व्यय (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
00			
090	सचिवालय (गैर-योजना)		
0008	वित्त विभाग	29,84.03	30,18.88 (+) 34.85
	मूल	39,43.59	
	पुनर्वि०	(-) 9,59.56	

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

विनियोग संख्या - 13 - सूद भुगतान
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व मुख्य शीर्ष			
2049 ब्याज अदायगियाँ			
प्रभारित :			
मूल	51,86,00,10	51,89,65,47	46,32,85,13 (-) 5,56,80,34
अनुपूरक	3,65,37		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			1,73,51
टीका एवं टिप्पणियाँ- राजस्व (प्रभारित)			

- (i) ₹ 5,56,80.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 3,65.37 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,73.51 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,56,80.34 लाख) से ₹ 5,55,06.83 लाख कम था।

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2049 ब्याज अदायगियाँ			
01 आंतरिक ऋण पर ब्याज			
115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज (गैर-योजना)			
0001 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	3,00.00	0.00	(-) 3,00.00
मूल	3,00.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज (गैर-योजना)			
0002 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा केन्द्रीय भंडागार के लिए गये ऋण पर ब्याज	5,11.49	5,11.49	0.00
मूल	3,00.00		
अनुपूरक	3,65.37		
पुनर्वि०	(-) 1,53.88		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
305 ऋण प्रबन्ध (गैर-योजना)			
0001 पुराने ऋणों से संबंधित व्यय	5,00.00	4,10.80	(-) 89.20
मूल	5,00.00		
0002 नये कर्ज से संबंधित व्यय	3,00.00	48.75	(-) 2,51.25
मूल	3,00.00		
03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज (गैर-योजना)			
0001 सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	6,34,46.00	3,26,29.14	(-) 3,08,16.86
मूल	6,34,46.00		

विनियोग संख्या - 13 - क्रमांत

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
04	केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज		
103	केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)		
0001	केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	1,96.37	57.22 (-) 1,39.15
	मूल	1,96.37	
60	अन्य दायित्वों पर ब्याज		
701	विविध (गैर-योजना)		
0002	जमींदारों को दिए गए मुआवजा बंध-पत्रों पर ब्याज	50.29	1.56 (-) 48.73
	मूल	50.29	
0003	विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय	4,00.00	2,46.29 (-) 1,53.71
	मूल	4,00.00	
	उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0008	भू-अर्जन मामलों में ब्याज का भुगतान	50.00	0.00 (-) 50.00
	मूल	50.00	
	सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

विनियोग संख्या - 14 - ऋण अदायगियाँ

(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
पूँजी मुख्य शीर्ष			
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
प्रभारित			
मूल	30,54,47,90	30,83,07,78	(-) 13,12,08
अनुपूरक	28,59,88		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			9,00,01

टीका एवं टिप्पणियाँ-
पूँजी (प्रभारित)

- (i) ₹ 13,12.08 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 (₹ 7,75.16 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 20,84.72 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 28,59.88 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,00.01 लाख), अंतिम बचत (₹ 13,12.08 लाख) से ₹ 4,12.07 लाख कम था ।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण		
00			
101	बाजार कर्ज (गैर-योजना)		
0044	एम 0027 7.80 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2012	1,84,30.00	0.00 (-) 1,84,30.00
	मूल 1,84,30.00		
0045	एम 0028 7.80 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2012, II (एस०आर०)	3,27,11.00	0.00 (-) 3,27,11.00
	मूल 3,27,11.00		
0046	एम 0029 6.80 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2012	2,27,08.55	0.00 (-) 2,27,08.55
	मूल 2,27,08.55		
0047	एम 0030 6.95 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2013	2,99,00.00	0.00 (-) 2,99,00.00
	मूल 2,99,00.00		
0048	एम 0031 6.75 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2013	2,97,97.00	0.00 (-) 2,97,97.00
	मूल 2,97,97.00		
0091	एन 0048 11.50 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2011	26.34	0.00 (-) 26.34
	मूल 26.34		
	उपर्युक्त छः मामलों में संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
106	प्रतिकर तथा अन्य बंध-पत्र (गैर-योजना)		
0002	जमींदारी उन्मूलन हेतु मुआवजा बंध-पत्र	2,00.00	29.87 (-) 1,70.13
	मूल 2,00.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
108	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज (गैर-योजना)		
0001	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार	5,75.15	5,75.15 0.00
	मूल 7,00.00		
	अनुपूरक 7,75.16		
	पुनर्वि० (-) 9,00.01		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

विनियोग संख्या - 14 - क्रमशः

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
03	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज		
800	अन्य कर्ज (गैर-योजना)		
0012	बोकारो स्टील प्लांट को तेनुघाट बाँध से जलापूर्ति मूल 58.48 अनुपूरक 0.50	58.98	29.74 (-) 29.24
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण		
00			
101	बाजार कर्ज (गैर-योजना)		
0025	9.45 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2011 मूल 0.00	0.00	44.00 (+) 44.00
0027	7.80 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2012 मूल 0.00	0.00	1,84,30.00 (+) 1,84,30.00
0028	7.80 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2012(II) मूल 0.00	0.00	3,27,11.00 (+) 3,27,11.00
0029	6.80 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2012 मूल 0.00	0.00	2,27,08.55 (+) 2,27,08.55
0030	6.95 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2013 मूल 0.00	0.00	2,99,00.00 (+) 2,99,00.00
0031	6.75 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2013 मूल 0.00	0.00	2,97,97.00 (+) 2,97,97.00

उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

अनुदान संख्या - 15 - पेंशन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
दत्तमत :			
मूल	1,00,34,72,45	1,00,34,78,45	83,68,22,44 (-) 16,66,56,01
अनुपूरक	6,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			14,21
प्रभारित :			
मूल	8,29,84	8,29,84	78,31 (-) 7,51,53
अनुपूरक	शून्य		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			74
टीका एवं टिप्पणियाँ -			
राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 16,66,56.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 6.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14.21 लाख), अंतिम बचत (₹ 16,66,56.01 लाख) से ₹ 16,66,41.80 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01 सिविल			
101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते (गैर-योजना)			
0001 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को भुगतान	44,28,44.47	7,44,41.50	(-) 36,84,02.97
मूल 49,28,44.47			
पुनर्वि० (-) 5,00,00.00			
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0005 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया पेंशन का भुगतान	44.01	0.00	(-) 44.01
मूल 44.01			
संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य (गैर-योजना)			
0001 उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	22,60.34	8,34.11	(-) 14,26.23
मूल 22,60.34			
104 उपदान (गैर-योजना)			
0002 उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भुगतान	13,95,74.43	9,65,06.47	(-) 4,30,67.96
मूल 13,95,74.43			
105 परिवार पेंशन (गैर-योजना)			
0001 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पारिवारिक पेंशन	94,20.92	33,80.29	(-) 60,40.63
मूल 94,20.92			
उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन (गैर-योजना)			
0001 गैर-सरकारी विद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन	1,11.09	0.00	(-) 1,11.09
मूल 1,11.09			
सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
111 विधायकों को पेंशन (गैर-योजना)			
0001 बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को पेंशन	25,09.41	13,13.66	(-) 11,95.75
मूल 25,09.41			
0002 बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्यगण को पेंशन	3,50.00	1,92.87	(-) 1,57.13
मूल 3,50.00			
115 छुट्टी नकदीकरण हितलाभ (गैर-योजना)			
0001 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतये अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि	93,21.04	47,25.35	(-) 45,95.69
मूल 93,21.04			
उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
117 निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान (गैर-योजना)			
0001 अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान	1,56,87.20	0.00	(-) 1,56,87.20
मूल 1,56,87.20			
संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
<i>01 सिविल</i>			
101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते (गैर-योजना)			
0002 उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पेंशन भुगतान मूल 25,65,94.40	25,65,94.40	46,64,79.98	(+) 20,98,85.58
102 पेंशन का संराशिकृत मूल्य (गैर-योजना)			
0002 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान मूल 4,68,35.71	4,68,35.71	5,35,43.26	(+) 67,07.55
105 परिवार पेंशन (गैर-योजना)			
0002 उत्तरवर्ती बिहार से सेवानिवृत्त कर्मियों से संबंधित पारिवारिक पेंशन भुगतान मूल 1,99,34.37	1,99,34.37	4,62,64.89	(+) 2,63,30.52
उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
115 छुट्टी नकदीकरण हितलाभ (गैर-योजना)			
0002 15/11/2000 के बाद सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतये अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि मूल 41,84.17 पुनर्वि० 5,00,00.00	5,41,84.17	6,76,93.92	(+) 1,35,09.75
₹ 5,00,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0001 अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान मूल 0.00	0.00	1,75,34.72	(+) 1,75,34.72
बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 15 - क्रमांत

राजस्व (प्रभारित)

(v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2071 पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति हितलाभ			
<i>01 सिविल</i>			
106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार (गैर-योजना)			
0001 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय अंशदान-प्रभृत	7,51.40	14.19	(-) 7,37.21
मूल 7,51.40			
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0002 सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/ न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर हुए चिकित्सा व्यय	77.70	64.12	(-) 13.58
मूल 78.44			
पुनर्वि० (-) 0.74			
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 16 - पंचायती राज विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2015	निर्वाचन		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
दत्तमत :			
मूल	29,06,40,99	32,76,74,99	25,91,06,09
अनुपूरक	3,70,34,00		(-) 6,85,68,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			5,59,35,85
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय		
दत्तमत :			
मूल	2,50,00,00	2,50,00,00	0.00
अनुपूरक	शून्य		(-) 2,50,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			2,50,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ -

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 6,85,68.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 3,70,34.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,59,35.85 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,85,68.90 लाख) से ₹ 1,26,33.05 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2015	निर्वाचन		
00			
109	पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार (गैर-योजना)		
0002	जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	8,18.87	5,78.97
	मूल	10,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 1,81.13	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
00			
003	प्रशिक्षण (गैर-योजना)		
0001	कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत	2,25.95	2,09.35
	मूल	2,21.61	
	अनुपूरक	34.00	
	पुनर्वि०	(-) 29.65	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)		
101	पंचायती राज		
योजना	(राज्य योजना)		
0110	पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास	0.00	0.00
	मूल	52,18.39	
	पुनर्वि०	(-) 52,18.39	
	संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।		
0111	पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	4,26,53.00	4,26,33.00
	मूल	6,66,96.00	
	पुनर्वि०	(-) 2,40,43.00	
	प्रत्याशित बचत बी०आर०जी०एफ० योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)		
0112	सीवान जिला हेतु पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	0.00	0.00
	मूल	13,21.65	
	पुनर्वि०	(-) 13,21.65	
	प्रत्याशित बचत बी०आर०जी०एफ० योजना के अंतर्गत सीवान जिला को शामिल किये जाने के कारण हुई ।		

अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
196	जिला परिषदों/जिला-स्तर की पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0003	पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	1,15,13.77	1,08,29.25	(-) 6,84.52
	मूल	1,05,42.60		
	अनुपूरक	27,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 17,28.83		
	प्रत्याशित बचत भारत सरकार से परफॉरमेन्स ग्राण्ट की द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0005	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु सहायता	4,99.57	4,99.57	0.00
	मूल	0.01		
	पुनर्वि०	4,99.56		
	₹ 499.56 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना	(राज्य योजना)			
0106	जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	88.08	25.65	(-) 62.43
	मूल	47.87		
	अनुपूरक	40.21		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
197	ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	2,30,27.53	2,20,09.83	(-) 10,17.70
	मूल	2,10,85.20		
	अनुपूरक	54,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 34,57.67		
	प्रत्याशित बचत भारत सरकार से परफॉरमेन्स ग्राण्ट की द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	7,08.46	5,77.43	(-) 1,31.03
	मूल	3,85.03		
	अनुपूरक	3,23.43		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
198	ग्राम पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)		
0001	पंचायती राज संस्थाओं को सहायता मूल 7,37,98.20 अनुपूरक 1,89,00.00 पुनर्वि० (-) 1,21,01.84	8,05,96.36 7,41,38.24	(-) 64,58.12
	प्रत्याशित बचत भारत सरकार से परफॉरमेन्स ग्राण्ट की द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0010	ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु मूल 45,58.68 पुनर्वि० (-) 3,30.93	42,27.75 37,61.52	(-) 4,66.23
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। योजना (राज्य योजना)		
0105	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु मूल 18,67.51 अनुपूरक 15,68.71	34,36.22 26,21.65	(-) 8,14.57
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0106	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु मूल 18,67.50 अनुपूरक 15,68.70 पुनर्वि० (-) 1,18.55	33,17.65 30,67.82	(-) 2,49.83
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0111	मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम मूल 9,17.07 अनुपूरक 41,50.00	50,67.07 45,39.48	(-) 5,27.59
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)		
0102	पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना मूल 1,25,76.00 पुनर्वि० (-) 48,91.00	76,85.00 72,79.92	(-) 4,05.08
	प्रत्याशित बचत बी०आर०जी०एफ० योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0103	ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु मूल 3,72.52 अनुपूरक 3,12.91 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	6,85.43	5,69.07	(-) 1,16.36
0104	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु मूल 3,72.52 अनुपूरक 3,12.92 पुनर्वि० (-) 53.40 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	6,32.04	5,73.67	(-) 58.37
0107	पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास मूल 7,81.61 पुनर्वि० (-) 7,81.61 सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	0.00	0.00	0.00
0109	सीवान जिला हेतु पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना मूल 1,70.70 पुनर्वि० (-) 1,70.70 प्रत्याशित बचत बी०आर०जी०एफ० योजना के अंतर्गत सीवान जिला को शामिल किये जाने के कारण हुई ।	0.00	0.00	0.00
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0115	पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना मूल 7,28.00 पुनर्वि० (-) 1,31.00 प्रत्याशित बचत बी०आर०जी०एफ० योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	5,97.00	5,28.00	(-) 69.00
800	अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0112	ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु अनुपूरक 8,00.00 पुनर्वि० (-) 2,94.33 प्रत्याशित बचत निधि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	5,05.67	4,63.23	(-) 42.44

अनुदान संख्या - 16 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(iv) इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 2,50,00.00 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं किया गया ।

(v) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

**4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर
पूँजीगत परिव्यय**

00

101 पंचायती राज

योजना (राज्य योजना)

0104	पंचायत सरकार भवन-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में	0.00	0.00	0.00
------	--	------	------	------

मूल 2,08,42.50

पुनर्वि० (-) 2,08,42.50

789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

योजना (राज्य योजना)

0102	पंचायत सरकार भवन-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में	0.00	0.00	0.00
------	--	------	------	------

मूल 41,57.50

पुनर्वि० (-) 41,57.50

उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत परियोजना पर व्यय नहीं होने तथा पंचायती राज विभाग के राज्यादेश सं०-09 दिनांक-31/08/2012 एवं सहायक निदेशक के पीत पत्र सं०-782 दिनांक 12/10/2012 के अनुपालन के कारण हुई ।

अनुदान संख्या - 17 - वाणिज्य-कर विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व मुख्य शीर्ष			
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
दत्तमत :			
मूल	87,76,62	1,37,77,12	78,00,58 (-) 59,76,54
अनुपूरक	50,00,50		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			59,95,22

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 59,76.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 50,00.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 59,95.22 लाख), अंतिम बचत (₹ 59,76.54लाख) से ₹ 18.68 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 17 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
00			
001 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन	6,09.20	6,26.90	(+) 17.70
मूल	8,29.57		
पुनर्वि०	(-) 2,20.37		
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर निर्धारित प्रतिशत रोक के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0004 वाणिज्य कर प्राधिकार	62.01	61.93	(-) 0.08
मूल	1,05.16		
अनुपूरक	0.50		
पुनर्वि०	(-) 43.65		
प्रत्याशित बचत अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0005 मिशन मोड प्रोजेक्ट	1,31.00	1,30.21	(-) 0.79
मूल	10,44.90		
पुनर्वि०	(-) 9,13.90		
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
101 संग्रहण प्रभार (गैर-योजना)			
0001 जिला प्रभार	67,96.51	67,99.51	(+) 3.00
मूल	64,86.99		
अनुपूरक	50,00.00		
पुनर्वि०	(-) 46,90.48		
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 मिशन मोड प्रोजेक्ट	1,82.57	1,82.03	(-) 0.54
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,17.43		
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 18 - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं				
3456 सिविल पूर्ति				
दत्तमत :				
मूल	4,60,41,13	5,85,08,24	4,86,62,22	(-) 98,46,02
अनुपूरक	1,24,67,11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				71,22,16

पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
6408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज				
दत्तमत :				
मूल	शून्य	10,00,00,00	9,30,00,00	(-) 70,00,00
अनुपूरक	10,00,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				70,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ-
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 98,46.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 17,63.25 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 56,44.50 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 50,59.36 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,24,67.11 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 71,22.16 लाख), अंतिम बचत (₹ 98,46.02 लाख) से ₹ 27,23.86 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3451 सचिवालय - आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0011 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	4,96.36	5,34.22	(+37.86)
मूल	6,24.05		
अनुपूरक	6.00		
पुनर्वि०	(-) 1,33.69		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
3456 सिविल पूर्ति			
00			
001 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 जिला प्रभार	4,31.22	4,33.93	(+2.71)
मूल	26,80.50		
अनुपूरक	20,10.00		
पुनर्वि०	(-) 42,59.28		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0003 मुख्यालय प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)	11,48.90	11,32.81	(-)16.09
मूल	8,40.50		
अनुपूरक	4,26.50		
पुनर्वि०	(-) 1,18.10		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
102 सिविल पूर्ति योजना (राज्य योजना)			
0103 जिला प्रभार- जनवितरण प्रणाली व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण	10,75.21	7,19.98	(-) 3,55.23
मूल	11,31.00		
पुनर्वि०	(-) 55.79		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
191 नगर निगम को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 निगरानी और अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00
मूल	48.00		
पुनर्वि०	(-) 48.00		

अनुदान संख्या - 18 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 निगरानी और अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	(-) 7,00.00		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र के समितियों या उनके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 निगरानी और अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का बैठक एवं यात्रा भत्ता	12.33	0.00	(-) 12.33
मूल	7,25.00		
पुनर्वि०	(-) 7,12.67		
प्रत्याशित एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
198 ग्राम पंचायतों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 निगरानी और अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 10,00.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 19 - पर्यावरण एवं वन विभाग
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल		1,89,48,03	1,94,55,11	1,68,82,78 (-) 25,72,33
अनुपूरक		5,07,08		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				23,73,00

पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :				
मूल		3,20,00	5,20,00	5,19,36 (-) 4
अनुपूरक		2,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				4

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 25,72.33 लाख की अंतिम बचत को देखाते हुए, अगस्त 2012 (₹ 7.04 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 5,00.04 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,07.08 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 23,73.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 25,72.33 लाख) से ₹ 1,99.33 लाख कम था ।

अनुदान संख्या – 19 – क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

01 वानिकी

003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण
(गैर-योजना)

0001	प्रशिक्षण, जनसंपर्क एवं शोध हेतु	1,41.27	1,19.99	(-) 21.28
	मूल	99.34		
	पुनर्वि०	41.93		

₹ 41.93 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

070 संचार तथा भवन
(गैर-योजना)

0002	भवन	1,18.18	98.24	(-) 19.94
	मूल	1,30.00		
	पुनर्वि०	(-) 11.82		

प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण
योजना (राज्य योजना)

0109	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	34,17.06	34,17.06	0.00
	मूल	26,06.71		
	अनु०	4,83.29		
	पुनर्वि०	3,27.06		

₹ 3,27.06 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

0110	वनों का संरक्षण एवं ढाँचागत सुदृढीकरण (वित्त आयोग)	3,03.07	3,03.07	0.00
------	---	---------	---------	------

मूल	7,68.00
पुनर्वि०	(-) 4,64.93

प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

0126	राष्ट्रीय सम विकास योजना (पिछड़ा क्षेत्र सहायता कोष)	0.00	0.00	0.00
------	---	------	------	------

मूल	4,83.29
पुनर्वि०	(-) 4,83.29

संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

अनुदान संख्या – 19 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 योजना	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)		
0104	वनों का संरक्षण एवं ढाँचागत सुदृढीकरण मूल 1,92.00 पुनर्वि० (-) 77.16	1,14.84	77.15
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		(-) 37.69
800 योजना	अन्य व्यय (राज्य योजना)		
0101	नहर तट फार्म मूल 18,63.20 पुनर्वि० (-) 5,55.87	13,07.33	12,98.69
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		(-) 8.64
0105	पथ तट फार्म मूल 19,43.20 पुनर्वि० (-) 2,70.95	16,72.25	16,72.25
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		0.00
02	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव		
110	वन्य जीव परिरक्षण (गैर-योजना)		
0003	अभ्यारण्य मूल 4,22.28 पुनर्वि० (-) 28.83	3,93.45	3,78.04
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		(-) 15.41
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0603	अन्य उद्यान-संजय गाँधी जैविक उद्यान (शत-प्रतिशत के०प्रा०यो०) मूल 50.00 पुनर्वि० (-) 50.00	0.00	0.00
	संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।		0.00
0605	आश्रणियों का विकास (शत-प्रतिशत के०प्रा०यो०) मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 52.29	47.71	47.71
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		0.00
0612	बाल्मिकी नगर ब्याघ्र योजना (50:50) मूल 1,50.00 पुनर्वि० (-) 27.67	1,22.33	1,22.33
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		0.00

अनुदान संख्या – 19 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0615	बाल्मिकी नगर ब्याघ्र योजना-इको डेवलपमेण्ट (शत-प्रतिशत के०प्रा०यो०)	0.00	0.00
	मूल 25.00		
	पुनर्वि० (-) 25.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।		
0618	समेकित वन संरक्षण योजना (75:25)	11.45	(-) 2.58
	मूल 2,10.00		
	पुनर्वि० (-) 1,98.55		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)		
0619	वेस्टलैंड का विकास	0.00	0.00
	मूल 50.00		
	पुनर्वि० (-) 50.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।		
0620	आश्रणियों का विकास	0.00	0.00
	मूल 20.00		
	पुनर्वि० (-) 20.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)		
योजना	(राज्य योजना)		
0106	बाल्मिकी नगर ब्याघ्र योजना (राज्य सरकार का 50 प्रतिशत)	1,22.33	(-) 3.40
	मूल 1,50.00		
	पुनर्वि० (-) 27.67		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)		
0109	संजय गाँधी जैविक उद्यान (50:50)- केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित योजना	0.00	0.00
	मूल 50.00		
	पुनर्वि० (-) 50.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)		
0110	समेकित वन संरक्षण योजना (75:25)	5.53	0.00
	मूल 70.00		
	पुनर्वि० (-) 64.47		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)		
0120	आश्रणियों का विकास	0.00	0.00
	मूल 20.00		
	पुनर्वि० (-) 20.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)		

अनुदान संख्या – 19 – क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
111 चिड़ियाघर योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0601 अन्य उद्यान	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-) 50.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0006 पर्यावरण एवं वन विभाग	3,00.09	2,97.74	(-) 2.35
मूल	3,56.81		
अनुपूरक	7.00		
पुनर्वि०	(-) 63.72		
प्रत्याशित बचत मितव्ययिता तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 20 - स्वास्थ्य विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
दत्तमत :			
मूल	25,53,08,83	25,59,21,96	19,89,43,81 (-) 5,69,78,15
अनुपूरक	6,13,13		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			4,79,48,92
पूंजी			
मुख्य शीर्ष			
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
दत्तमत :			
मूल	5,32,90,00	7,21,90,00	5,62,89,27 (-) 1,59,00,73
अनुपूरक	1,89,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			1,63,75,16
टीका एवं टिप्पणियाँ -			
राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 5,69,78.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 8.09 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 0.02 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 6,05.02 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,13.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,79,48.92 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,69,78.15 लाख) से ₹ 90,29.23 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 अधीक्षण	10,45.62	10,46.32	(+) 0.70
मूल	19,86.74		
पुनर्वि०	(-) 9,41.12		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 कर्मचारी राज्य बीमा योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	25.00		
पुनर्वि०	(-) 25.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
110 अस्पताल तथा औषधालय (गैर-योजना)			
0001 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	95,86.80	95,86.79	(-) 0.01
मूल	1,12,05.54		
पुनर्वि०	(-) 16,18.74		
0002 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा	46,81.34	45,99.30	(-) 82.04
मूल	51,80.69		
पुनर्वि०	(-) 4,99.35		
0006 मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	18,87.22	15,30.40	(-) 3,56.82
मूल	25,82.05		
पुनर्वि०	(-) 6,94.83		
उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0008 श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	28,25.97	28,25.97	0.00
मूल	35,43.28		
पुनर्वि०	(-) 7,17.31		
0010 इन्दिरा गाँधी हृदयरोग संस्थान, पटना	16,92.64	16,92.64	0.00
मूल	25,42.93		
पुनर्वि०	(-) 8,50.29		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0012	राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	1,99.68	1,99.68	0.00
	मूल	3,48.40		
	पुनर्वि०	(-) 1,48.72		
0016	मानसिक आरोग्यशाला	2,00.00	2,00.00	0.00
	मूल	13,00.00		
	अनुपूरक	0.01		
	पुनर्वि०	(-) 11,00.01		
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0019	रोगी कल्याण समिति	2,86.50	82.63	(-) 2,03.87
	मूल	3,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 13.50		
200	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं (गैर-योजना)			
0002	कुष्ठ निरोध कार्यक्रम	43,70.23	38,20.75	(-) 5,49.48
	मूल	54,71.23		
	पुनर्वि०	(-) 11,01.00		
0005	अन्यान्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	11,18.33	10,93.16	(-) 25.17
	मूल	17,52.79		
	पुनर्वि०	(-) 6,34.46		
	उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0008	रक्त भंडार	1,94.70	1,94.70	0.00
	मूल	3,64.60		
	पुनर्वि०	(-) 1,69.90		
	प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			
02	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101	आयुर्वेद (गैर-योजना)			
0001	देशी आयुर्वेद विज्ञान निदेशालय	11,71.51	11,36.35	(-) 35.16
	मूल	16,53.21		
	पुनर्वि०	(-) 4,81.70		
0004	राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना	3,00.07	2,98.94	(-) 1.13
	मूल	3,76.00		
	पुनर्वि०	(-) 75.93		
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
101	स्वास्थ्य उप-केन्द्र (गैर-योजना)			
0003	स्वास्थ्य उप-केन्द्र	55,27.53	45,66.30	(-) 9,61.23
	मूल	59,55.63		
	पुनर्वि०	(-) 4,28.10		
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)			
0001	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	7,27,86.53	6,67,86.54	(-) 59,99.99
	मूल	7,92,16.36		
	पुनर्वि०	(-) 64,29.83		
110	अस्पताल तथा औषधालय (गैर-योजना)			
0001	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	61,95.67	56,08.27	(-) 5,87.40
	मूल	65,54.04		
	अनु०	0.01		
	पुनर्वि०	(-) 3,58.38		
	उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
04	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101	आयुर्वेद (गैर-योजना)			
0002	ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय	7,10.22	6,98.17	(-) 12.05
	मूल	9,17.28		
	पुनर्वि०	(-) 2,07.06		
102	होमियोपैथी (गैर-योजना)			
0001	होमियोपैथी औषधालय	2,74.71	2,72.11	(-) 2.60
	मूल	3,34.41		
	पुनर्वि०	(-) 59.70		
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
103	यूनानी (गैर-योजना)			
0001	यूनानी औषधालय	2,15.59	2,15.59	0.00
	मूल	3,16.40		
	पुनर्वि०	(-) 1,00.81		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
102 होमियोपैथी (गैर-योजना)			
0001 होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	3,33.38	3,33.38	0.00
मूल	3,87.41		
पुनर्वि०	(-) 54.03		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
105 एलोपैथी (गैर-योजना)			
0001 पटना मेडिकल कॉलेज	41,90.94	41,90.94	0.00
मूल	51,98.92		
पुनर्वि०	(-) 10,07.98		
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			
0003 दरभंगा मेडिकल कॉलेज	35,43.80	35,30.73	(-) 13.07
मूल	44,48.15		
पुनर्वि०	(-) 9,04.35		
0007 मगध मेडिकल कॉलेज, गया	15,05.39	12,45.39	(-) 2,60.00
मूल	18,56.86		
पुनर्वि०	(-) 3,51.47		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0008 श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	14,37.47	14,37.47	0.00
मूल	25,93.68		
पुनर्वि०	(-) 11,56.21		
0009 दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	2,96.22	2,96.22	0.00
मूल	4,76.97		
पुनर्वि०	(-) 1,80.75		
0010 भागलपुर मेडिकल कॉलेज	6,93.37	6,93.37	0.00
मूल	19,98.58		
पुनर्वि०	(-) 13,05.21		
0012 नर्स प्रशिक्षण	3,81.64	3,81.64	0.00
मूल	5,50.91		
पुनर्वि०	(-) 1,69.27		
0013 फार्मसी प्रशिक्षण	82.77	82.77	0.00
मूल	1,57.78		
पुनर्वि०	(-) 75.01		

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0022	वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी	7,61.06	7,61.06	0.00
	मूल	9,73.75		
	पुनर्वि०	(-) 2,12.69		
0024	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा	62.87	62.87	0.00
	मूल	7,31.70		
	पुनर्वि०	(-) 6,68.83		
	उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			
200	अन्य पद्धतियाँ			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	0.00	0.00	0.00
	मूल	93,90.81		
	पुनर्वि०	(-) 93,90.81		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
06	लोक स्वास्थ्य			
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	अधीक्षण	5,44.77	4,86.87	(-) 57.90
	मूल	5,98.41		
	पुनर्वि०	(-) 53.64		
101	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण (गैर-योजना)			
0003	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	23,56.44	23,15.40	(-) 41.04
	मूल	26,41.39		
	पुनर्वि०	(-) 2,84.95		
0012	महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	4,58.00	1,05.93	(-) 3,52.07
	मूल	5,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 42.00		
104	औषध नियंत्रण (गैर-योजना)			
0001	औषध नियंत्रण स्थापना	9,45.01	8,23.92	(-) 1,21.09
	मूल	10,82.77		
	अनुपूरक	8.10		
	पुनर्वि०	(-) 1,45.86		

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
107 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (गैर-योजना)			
0001 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ	3,19.01	2,96.54	(-) 22.47
मूल	3,36.80		
पुनर्वि०	(-) 17.79		
उपर्युक्त पाँच मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
2211 परिवार कल्याण			
00			
003 प्रशिक्षण योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0605 प्रशिक्षण और अनुसंधान-क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	1,91.98	1,88.45	(-) 3.53
मूल	2,63.89		
पुनर्वि०	(-) 71.91		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0012 मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष	0.00	0.00	0.00
मूल	25,00.00		
पुनर्वि०	(-) 25,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या – 20 – क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 1,59,00.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 1,00,00.00 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 89,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,89,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,63,75.16 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,59,00.73 लाख) से ₹ 4,74.43 लाख अधिक था।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110 अस्पताल तथा औषधालय योजना (राज्य योजना)			
0103 नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	83.43	83.43	0.00
मूल	1,35.00		
पुनर्वि०	(-) 51.57		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0104 भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	0.00	0.00	0.00
मूल	85.00		
पुनर्वि०	(-) 85.00		
0105 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	0.00	0.00	0.00
मूल	85.00		
पुनर्वि०	(-) 85.00		
0107 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा	0.00	00.00	0.00
मूल	1,05.00		
पुनर्वि०	(-) 1,05.00		
0108 मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	0.00	0.00	0.00
मूल	85.00		
पुनर्वि०	(-) 85.00		
0110 इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	0.00	0.00	0.00
मूल	5,35.00		
पुनर्वि०	(-) 5,35.00		
उपरोक्त पाँच मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों हेतु	1,13.03	1,13.03	0.00
मूल	39,15.00		
पुनर्वि०	(-) 38,01.97		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
03	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
050	भूमि		
योजना	(राज्य योजना)		
0102	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए भूमि अर्जन	0.00	0.00
	मूल 5,00.01		
	पुनर्वि० (-) 5,00.01		
105	एलोपैथी		
योजना	(राज्य योजना)		
0102	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा	0.00	0.00
	मूल 1,36.50		
	पुनर्वि० (-) 1,36.50		
	उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0103	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	1,00.00	1,00.00
	मूल 2,46.25		
	पुनर्वि० (-) 1,46.25		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0104	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना (कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एण्ड अक्युपेशनल थेरेपी)	0.00	0.00
	मूल 95.00		
	पुनर्वि० (-) 95.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0105	अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, गया	35.00	35.00
	मूल 1,05.00		
	पुनर्वि० (-) 70.00		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0106	श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00
	मूल 2,40.00		
	पुनर्वि० (-) 2,40.00		
0107	भागलपुर मेडिकल मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	0.00	0.00
	मूल 2,80.25		
	पुनर्वि० (-) 2,80.25		
	उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0108	स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम-इ०ए०पी०	46,20.00	46,20.00
	मूल 1,40,00.00		
	पुनर्वि० (-) 93,80.00		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)		
0101	मेडिकल कॉलेजों हेतु	0.00	0.00
	मूल 5,72.99		
	पुनर्वि० (-)5,72.99		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
05	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
050	भूमि (राज्य योजना)		
0101	तिब्बी कॉलेज, पटना के लिए भू-अर्जन	50.00	49.98 (-) 0.02
	मूल 1,50.00		
	पुनर्वि० (-) 1,00.00		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0102	होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर के लिए भू-अर्जन	0.00	0.00
	मूल 71.00		
	पुनर्वि० (-) 71.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
(vii)	अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:		
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी		
110	अस्पताल तथा औषधालय (गैर-योजना)		
0004	नालांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	37,09.69	39,69.69 (+) 2,60.00
	मूल 52,71.51		
	पुनर्वि० (-) 15,61.82		
	प्रत्याशित बचत एवं अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0009	भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	24,25.65	27,02.94 (+) 2,77.29
	मूल 33,12.51		
	पुनर्वि० (-) 8,86.86		
	प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0013	सदर तथा अनुमंडल अस्पताल,	1,70,84.99	1,73,58.31 (+) 2,73.32
	मूल 1,53,19.43		
	अनुपूरक 5,75.00		
	पुनर्वि० 11,90.56		
	₹ 11,90.56 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

अनुदान संख्या - 20 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2211	परिवार कल्याण		
00			
001	निदेशन और प्रशासन		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0602	तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण-राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो	5,87.51	6,27.67 (+) 40.16
	मूल	8,63.04	
	पुनर्वि०	(-) 2,75.53	
0603	तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण-जिला कल्याण ब्यूरो	15,32.87	15,54.69 (+) 21.82
	मूल	28,33.31	
	पुनर्वि०	(-) 13,00.44	
003	प्रशिक्षण		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0604	प्रशिक्षण और अनुसंधान ए०एन०एम० स्कूल/ एल०एच०भी० स्कूल	6,73.29	6,80.14 (+) 6.85
	मूल	13,92.31	
	पुनर्वि०	(-) 7,19.02	
101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (गैर-योजना)		
0001	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	40,84.11	43,19.27 (+) 2,35.16
	मूल	57,72.57	
	पुनर्वि०	(-) 16,88.46	
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0602	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	2,43,17.22	2,45,75.82 (+) 2,58.60
	मूल	3,15,48.80	
	पुनर्वि०	(-) 72,31.58	
102	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0601	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	1,69.96	1,73.72 (+) 3.76
	मूल	2,83.90	
	पुनर्वि०	(-) 1,13.94	
103	मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (गैर-योजना)		
0001	मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	2,77.90	2,93.83 (+) 15.93
	मूल	3,34.91	
	पुनर्वि०	(-) 57.01	

उपर्युक्त सात मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 21 - शिक्षा विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2202 सामान्य शिक्षा			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	1,48,14,12,24	1,67,62,68,25	1,39,78,82,25 (-) 27,83,86,00
अनुपूरक	19,48,56,01		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			18,26,78,98
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	2,40,00,00	3,40,00,00	2,86,62,58 (-) 53,37,42
अनुपूरक	1,00,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			36,19,98
टीका एवं टिप्पणियाँ -			
राजस्व (दत्तमत)			
(i)	₹ 27,83,86.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 15,33,06.90 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 2,55,49.05 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 1,60,00.06 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 19,48,56.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।		
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 18,26,78.98 लाख), अंतिम बचत (₹ 27,83,86.00 लाख) से ₹ 9,57,07.02 लाख कम था।		

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2202 सामान्य शिक्षा			
01 प्रारंभिक शिक्षा			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	2,47.15	2,47.15	0.00
मूल	2,08.16		
पुनर्वि०	38.99		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 शैक्षणिक विकास हेतु विशेषज्ञों की सेवा	2,02.53	2,01.82	(-) 0.71
मूल	5,46.68		
पुनर्वि०	(-) 3,44.15		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0104 मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण	1,00.00	42.84	(-) 57.16
मूल	1,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0105 शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	8,28.84	8,28.05	(-) 0.79
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	3,28.84		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	3,49.82	3,04.85	(-) 44.97
मूल	6,00.00		
पुनर्वि०	(-) 2,50.18		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0601 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	9,98,89.68	9,98,89.68	0.00
मूल	12,71,65.72		
पुनर्वि०	(-) 2,72,76.04		
योजना (राज्य योजना)			
0111 औजार	2,53.93	2,53.93	0.00
मूल	4,92.00		
पुनर्वि०	(-) 2,38.08		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	45,47.27	32,96.69	(-) 12,50.58
मूल	49,68.83		
पुनर्वि०	(-) 4,21.56		
योजना (राज्य योजना)			
0102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि	2,70.22	1,77.74	(-) 92.48
मूल	5,25.00		
पुनर्वि०	(-) 2,54.78		
107 अध्यापक प्रशिक्षण योजना (केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना)			
0601 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	1,72.06	1,55.43	(-) 16.63
मूल	1,74,31.03		
पुनर्वि०	(-) 1,72,58.97		
			उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।
109 छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन (गैर-योजना)			
0003 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	0.00	0.00	0.00
मूल	28,72.40		
पुनर्वि०	(-) 28,72.40		
			संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।
0004 प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव	27,89.17	27,87.78	(-) 1.39
मूल	0.01		
पुनर्वि०	27,89.16		
			पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।
योजना (राज्य योजना)			
0103 मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण	25,00.70	14,61.75	(-)10,38.95
मूल	20,00.00		
अनुपूरक	9,00.00		
पुनर्वि०	(-) 3,99.30		
112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0002 मध्याह्न भोजन योजना-स्थापना	2,65.24	2,62.90	(-) 2.34
मूल	3,16.54		
पुनर्वि०	(-) 51.30		

शीर्ष	अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल अनुदान			
191	नगर निगम को सहायता (गैर-योजना)			
0001	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	12,75.30	12,05.20	(-) 70.10
	मूल	14,29.20		
	पुनर्वि०	(-) 1,53.90		
192	नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	27,29.54	11,24.55	(-) 16,04.99
	मूल	68,40.00		
	पुनर्वि०	(-) 41,10.46		
193	नगरपंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता (गैर-योजना)			
0001	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	17,50.03	10,07.03	(-) 7,43.00
	मूल	27,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 9,49.97		
198	ग्राम पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0002	पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	86,72.40	76,61.64	(-) 10,10.76
	मूल	1,04,82.30		
	पुनर्वि०	(-) 18,09.90		
	उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0101	औजार	0.00	0.00	0.00
	मूल	1,08.00		
	पुनर्वि०	(-) 1,08.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
02	माध्यमिक शिक्षा			
001	निदेशन और प्रशासन (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0606	समन्वित विकलांग शिक्षा परियोजना	2,82,55.19	0.00	(-) 2,82,55.19
	मूल	2,82,55.19		
	संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	4,18.53	2,26.64	(-) 1,91.89
मूल	13,25.00		
पुनर्वि०	(-) 9,06.47		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।			
0106 समन्वित विकलांग शिक्षा परियोजना	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-) 50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
103 अनौपचारिक शिक्षा (राज्य-योजना)			
0101 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	4,50.00	4,50.00	0.00
मूल	0.01		
पुनर्वि०	4,49.99		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
107 छात्रवृत्तियां योजना (राज्य योजना)			
0105 मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	1,41,22.35	1,30,78.50	(-) 10,43.85
मूल	1,52,08.10		
पुनर्वि०	(-) 10,85.75		
0106 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	1,36,37.83	1,33,39.24	(-) 2,98.59
मूल	1,81,97.50		
पुनर्वि०	(-) 45,59.67		
0107 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	1,21,25.62	1,03,46.07	(-) 17,79.55
मूल	0.01		
अनुपूरक	2,20,00.00		
पुनर्वि०	(-) 98,74.39		
उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0605 आई०सी०टी० परियोजना	9,33.33	0.00	(-) 9,33.33
मूल	9,33.33		
0606 छात्राओं के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना	13,38.15	0.00	(-) 13,38.15
मूल	13,38.15		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल अनुदान			
0607	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1,99,59.63	15,65.30	(-) 1,83,94.33
	मूल	7,35,77.33		
	पुनर्वि०	(-) 5,36,17.70		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना	(राज्य योजना)			
0105	आई०सी०टी० परियोजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	53,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 53,00.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
110	अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
0006	आवासीय विद्यालय, सिमुलतल्ला	5,00.00	2,50.00	(-) 2,50.00
	मूल	5,00.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0007	गैर-सरकारी विद्यालयों को सहायता	0.00	0.00	0.00
	मूल	2,85,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 2,85,00.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
191	नगर निगम को सहायता (गैर-योजना)			
0001	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	5,79.86	3,64.22	(-) 2,15.64
	मूल	7,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 1,20.14		
0002	नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	7,88.43	6,27.65	(-) 1,60.78
	मूल	8,25.00		
	पुनर्वि०	(-) 36.57		
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0003	पुस्तकालयाध्यक्षों के समेकित भुगतान हेतु	40.09	40.09	0.00
	मूल	40.00		
	अनुपूरक	50.81		
	पुनर्वि०	(-) 50.72		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल अनुदान			
192	नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान हेतु	5,80.48	4,43.39	(-)1,37.09
	मूल	7,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 1,19.52		
0002	नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	5,95.33	4,43.98	(-) 1,51.35
	मूल	6,50.00		
	अनुपूरक	41.78		
	पुनर्वि०	(-) 96.45		
193	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता (गैर-योजना)			
0001	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	6,63.41	5,89.50	(-) 73.91
	मूल	8,50.00		
	पुनर्वि०	(-) 1,86.59		
0002	नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3,68.95	2,97.08	(-)71.87
	मूल	4,10.00		
	पुनर्वि०	(-) 41.05		
196	जिला परिषदों/जिला-स्तरीय पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1,14,74.85	93,90.90	(-) 20,83.95
	मूल	1,44,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 29,25.15		
0002	जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	27,97.79	23,83.03	(-) 4,14.76
	मूल	35,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 7,02.21		
0003	पुस्तकालयाध्यक्षों के समेकित भुगतान हेतु	9,56.92	9,00.19	(-) 56.73
	मूल	10,00.00		
	अनुपूरक	98.94		
	पुनर्वि०	(-) 1,42.02		

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	24,11.95	22,95.11	(-) 1,16.84
मूल	28,00.00		
पुनर्वि०	(-) 3,88.05		
0102 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	20,81.20	19,72.38	(-) 1,08.82
मूल	24,00.00		
पुनर्वि०	(-) 3,18.80		
उपर्युक्त नौ मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0003 सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन	6,51.91	6,51.91	0.00
मूल	8,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,48.09		
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102 विश्वविद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
0008 बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा (सहायक अनुदान)	2,12,23.12	2,12,23.12	0.00
मूल	2,11,67.45		
अनुपूरक	25,87.26		
पुनर्वि०	(-) 25,31.59		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0012 कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	98,08.30	98,08.30	0.00
मूल	79,98.49		
अनुपूरक	6,73.11		
पुनर्वि०	11,36.70		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0118 राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन संस्थान हेतु	4,00.00	4,00.00	0.00
मूल	15,00.00		
पुनर्वि०	(-) 11,00.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 राजकीय महाविद्यालय एवं संस्थान (गैर-योजना)			
0004 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	2,69.48	2,57.20	(-) 12.28
मूल	1,57.92		
पुनर्वि०	1,11.56		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 राजकीय महिला महाविद्यालय	0.00	0.00	0.00
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	(-) 2,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
05 भाषा विकास			
103 संस्कृत शिक्षा (गैर-योजना)			
0002 राजकीय संस्कृत विद्यालय	2,02.04	1,95.66	(-) 6.38
मूल	3,37.62		
पुनर्वि०	(-) 1,35.58		
0003 गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय	37,53.25	29,76.29	(-) 7,76.96
मूल	40,00.00		
पुनर्वि०	(-) 2,46.75		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
107 छात्रवृत्तियां योजना (राज्य योजना)			
0104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	46,19.14	27,48.00	(-) 18,71.14
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	46,19.13		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
200 अन्य भाषाओं की शिक्षा (गैर-योजना)			
0002 गैर-सरकारी मदरसा	78,97.73	58,41.28	(-) 20,56.45
मूल	80,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,02.27		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
80 सामान्य			
001 निदेशन और प्रशासन योजना			
0102 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	4,95.66	4,98.41	(+) 2.75
मूल	40,00.00		
पुनर्वि०	(-) 35,04.34		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
004 अनुसंधान (गैर-योजना)			
0018 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	5,68.66	4,56.18	(-) 1,12.48
मूल	5,75.06		
पुनर्वि०	(-) 6.40		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0112 जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,00.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0121 बिहार राजभाषा अकादमी	44.54	44.53	(-) 0.01
मूल	10,00.00		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	(-) 9,55.47		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
2205 कला एवं संस्कृति			
00			
105 सार्वजनिक पुस्तकालय (गैर-योजना)			
0001 सार्वजनिक पुस्तकालय	88.02	80.10	(-) 7.92
मूल	1,40.24		
पुनर्वि०	(-) 52.22		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0011 राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	0.00	0.00	0.00
एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि में राज्य सरकार का अनुदान			
मूल	40.00		
पुनर्वि०	(-) 40.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2202 सामान्य शिक्षा			
01 प्रारंभिक शिक्षा			
104 निरीक्षण (गैर-योजना)			
0001 निरीक्षण	81,32.95	82,75.90	(+) 1,42.95
मूल	73,24.08		
अनुपूरक	0.02		
पुनर्वि०	8,08.85		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
02 माध्यमिक शिक्षा			
101 निरीक्षण (गैर-योजना)			
0001 निरीक्षिका	3,71.61	9,33.16	(+) 5,61.55
मूल	3,37.52		
पुनर्वि०	34.09		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
107 छात्रवृत्तियां योजना (राज्य योजना)			
0108 अन्य विद्यालय	36,10.60	50,97.30	(+) 14,86.70
मूल	45,00.00		
पुनर्वि०	(-) 8,89.40		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय योजना (राज्य योजना)			
0107 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1,19,54.65	1,34,18.95	(+) 14,64.30
मूल	2,05,49.97		
पुनर्वि०	(-) 85,95.32		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)		
0103	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	0.00	44,76.67 (+) 44,76.67
03	<i>विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा</i>		
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	निदेशन और प्रशासन मूल 2,08.77 पुनर्वि० 17.66 पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	2,26.43	2,41.57 (+) 15.14
103	राजकीय महाविद्यालय एवं संस्थान (गैर- योजना)		
0003	राजकीय महिला महाविद्यालय मूल 5,80.83 पुनर्वि० 62.55 पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	6,43.38	6,64.76 (+) 21.38
80	<i>सामान्य</i>		
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	मुख्यालय स्थापना मूल 4,60.73 पुनर्वि० (-) 1,83.11 प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	2,77.62	3,39.89 (+) 62.27
004	अनुसंधान (गैर-योजना)		
0001	राष्ट्रभाषा पर्षद मूल 1,60.04 अनुपूरक 0.01 पुनर्वि० 36.17 पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।	1,96.22	2,73.01 (+) 76.79

अनुदान संख्या - 21 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

- (v) ₹ 53,37.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 36,19.98 लाख), अंतिम बचत (₹ 53,37.42 लाख) से ₹ 17,17.44 लाख कम था ।
- (vii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

योजना (राज्य योजना)

0103	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण	1,63,80.02	1,46,62.58	(-) 17,17.44
------	---	------------	------------	--------------

मूल 2,00,00.00

पुनर्वि० (-) 36,19.98

प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 22 - गृह विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2055 पुलिस			
2056 जेल			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
दत्तमत :			
मूल	39,96,74,62	40,16,23,25	35,69,83,03 (-) 4,46,40,22
अनुपूरक	19,48,63		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			3,93,46,13

पूँजी
मुख्य शीर्ष

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	5,13,09,48	6,15,46,44	3,27,01,52 (-) 2,88,44,92
अनुपूरक	1,02,36,96		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			1,76,57,31

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 4,46,40.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 7,13.58 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 4,00.18 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 8,34.87 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 19,48.63 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,93,46.13 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,46,40.22 लाख) से ₹ 52,94.09 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

00

090 सचिवालय
(गैर-योजना)

0002	गृह (विशेष) विभाग	8,14.95	8,15.96	(+) 1.01
	मूल	10,42.79		
	अनुपूरक	7.20		
	पुनर्वि०	(-) 2,35.04		

प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

0049	जे०पी० सेनानी सम्मान योजना के तहत सलाहकार पर्षद	34.30	32.84	(-) 1.46
	मूल	91.60		
	पुनर्वि०	(-) 57.30		

प्रत्याशित बचत, सलाहकार पर्षद के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

2055 पुलिस

00

001 निदेशन और प्रशासन
(गैर-योजना)

0001	अधीक्षण	23,99.29	23,62.42	(-) 36.87
	मूल	28,24.84		
	पुनर्वि०	(-) 4,25.55		

0003	केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	56,78.24	55,21.54	(-) 1,56.70
	मूल	77,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 20,21.76		

उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

0006	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.00	0.00	0.00
	मूल	43.00		
	पुनर्वि०	(-) 43.00		

संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

शीर्ष	अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0008	सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद मूल 12,72.50 पुनर्वि० (-) 1,78.69 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	10,93.81	10,93.81	0.00
0009	अर्द्धसैनिक बलों के प्रतिनियुक्ति पर व्यय मूल 30,00.00 अनुपूरक 53.45 पुनर्वि० (-) 6,27.69 प्रत्याशित बचत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	24,25.76	17,52.63	(-) 6,73.13
003	शिक्षा तथा प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0002	प्रशिक्षण विद्यालय, नाथगर मूल 9,19.48 पुनर्वि० (-) 84.84 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	8,34.64	8,25.59	(-) 9.05
0004	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से) मूल 30.00 पुनर्वि० (-) 25.00 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	5.00	5.00	0.00
0005	राज्य के बाहर विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 6.93	93.07	6.93	(-) 86.14
0006	बिहार पुलिस अकादमी मूल 5,42.30 अनुपूरक 4,94.00 पुनर्वि० (-) 27.32 उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	10,08.98	5,84.66	(-) 4,24.32

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
101	आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता (गैर-योजना)			
0001	आपराधिक जाँच विभाग	1,07,66.44	1,02,95.74	(-) 4,70.70
	मूल	92,72.33		
	पुनर्वि०	14,94.11		
	पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
109	जिला पुलिस (गैर-योजना)			
0003	वामपंथी उग्रवादियों का प्रत्यर्पण	73.69	73.69	0.00
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 26.31		
0004	उग्रवाद प्रभावित गाँवों में विशेष पुलिस पदाधिकारियों हेतु मानदेय	3,19.00	3,19.00	0.00
	मूल	6,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 2,81.00		
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0005	स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस हेतु	1,13,24.75	1,13,00.72	(-) 24.03
	मूल	1,63,39.50		
	पुनर्वि०	(-) 50,14.75		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0006	एस०आर०ई० स्कीम के तहत उग्रवाद प्रभावित थानों/ओ०पी० के सुदृढीकरण हेतु	5,77.00	5,77.00	0.00
	मूल	21,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 15,23.00		
0007	एस०आर०ई० योजना से आच्छादित जिलों में स्थानीय जनता के बीच सामुदायिक पुलिसिंग पर व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	46.80	46.80	0.00
	मूल	75.00		
	पुनर्वि०	(-) 28.20		

शीर्ष	अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल अनुदान			
0009	एस०आर०ई० योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराये पर लिए जाने वाले वाहनों /हेलिकॉप्टरों/संचार संसाधन हेतु (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	8.00	8.00	0.00
	मूल 13,00.00 पुनर्वि० (-) 12,92.00			
	उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0012	थानों के लिए व्यय	54.53	53.58	(-) 0.95
	मूल 4,49.00 पुनर्वि० (-) 3,49.47			
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0013	यातायात नियंत्रण एवं व्यवस्था	7.12	7.12	0.00
	मूल 49.28 पुनर्वि० (-) 42.16			
0014	प्रमुख नदियों तथा दियारा क्षेत्र के अपराध नियंत्रण एवं प्राथमिक आपदा प्रबंधन हेतु नदी थाना	1.33	1.33	0.00
	मूल 2,62.00 पुनर्वि० (-) 2,60.67			
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0017	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय	5,69.77	5,63.57	(-) 6.20
	मूल 7,50.00 पुनर्वि० (-) 1,80.23			
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
113	पुलिस कर्मियों का कल्याण (गैर-योजना)			
0001	चिकित्सालय व्यय	5,40.78	5,40.72	(-) 0.06
	मूल 7,48.98 पुनर्वि० (-) 2,08.20			
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0006	अनुग्रह अनुदान	1,11.50	1,11.50	0.00
	मूल 4,00.00 पुनर्वि० (-) 2,88.50			
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
114	बेतार और कम्प्यूटर (गैर-योजना)		
0001	संकेत	50,13.25	48,82.64
	मूल	58,11.01	
	पुनर्वि०	(-) 7,97.76	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
115	पुलिस बल का आधुनिकीकरण (गैर-योजना)		
0001	पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि	14,52.86	14,52.86
	मूल	36,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 21,47.14	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0102	पुलिस प्रशासन का ढाँचागत सुदृढीकरण एवं उन्नयन	36,66.64	16,71.98
	मूल	35,00.00	
	अनुपूरक	1,66.64	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
2056	जेल		
00			
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	जेल निरीक्षणालय	2,71.69	2,71.69
	मूल	3,00.18	
	अनुपूरक	17.86	
	पुनर्वि०	(-) 46.35	
	प्रत्याशित बचत पदाधिकारियों के पदोन्नति/स्थानान्तरण तथा कर्मियों के निलम्बन के कारण हुई ।		
101	जेल (गैर-योजना)		
0001	केन्द्रीय जेल	50,08.67	46,12.07
	मूल	60,34.72	
	पुनर्वि०	(-) 10,26.05	
	प्रत्याशित बचत रिक्त पदों के विरुद्ध कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने, कर्मियों के सेवानिवृत्त होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0002	जिला जेल	59,69.74	56,22.93	(-) 3,46.81
	मूल	63,31.01		
	पुनर्वि०	(-) 3,61.27		
	प्रत्याशित बचत रिक्त पदों के विरुद्ध कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने, कर्मियों के सेवानिवृत्त होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0003	उप-कारा	14,26.17	14,04.78	(-) 21.39
	मूल	19,09.58		
	अनुपूरक	1,06.18		
	पुनर्वि०	(-) 5,89.59		
	प्रत्याशित बचत रिक्त पदों के विरुद्ध कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने, कर्मियों के सेवानिवृत्त होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
102	जेल उत्पाद (गैर-योजना)			
0001	आपराधिक जाँच विभाग	12,63.33	12,58.32	(-) 5.01
	मूल	10,50.00		
	पुनर्वि०	2,13.33		
	पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00				
003	प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0005	गृह रक्षकों को आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण	4,05.39	4,04.88	(-) 0.51
	मूल	12,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 7,94.61		
	प्रत्याशित बचत नये नामांकन तथा निर्धारित कोटा के अनुसार प्रशिक्षण का परिचालन नहीं किए जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
105	विशेष जाँच आयोग (गैर-योजना)			
0014	कोशी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग	76.54	76.86	(+) 0.32
	मूल	48.64		
	अनुपूरक	56.10		
	पुनर्वि०	(-) 28.20		
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
107 होमगार्ड (गैर-योजना)			
0001 ग्रामीण	1,36,22.29	1,34,12.35	(-) 2,09.94
मूल	1,63,74.73		
पुनर्वि०	(-) 27,52.44		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने, मितव्ययिता तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0002 शहरी	1,80.69	1,82.41	(+) 1.72
मूल	2,31.11		
पुनर्वि०	(-) 50.42		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः सेवानिवृत्ति तथा मितव्ययिता के कारण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
108 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण (गैर-योजना)			
0001 अग्नि रक्षा सेवा	19,11.13	18,87.98	(-) 23.15
मूल	21,35.09		
अनुपूरक	72.42		
पुनर्वि०	(-) 2,96.38		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0604 अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं के सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	6,00.00		
पुनर्वि०	(-) 6,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 अग्निशामक उपकरणों का क्रय	8,46.11	8,46.11	0.00
अनुपूरक	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,53.89		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0104 अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं के सुदृढीकरण	1,46.72	1,46.72	0.00
मूल	0.02		
पुनर्वि०	1,46.70		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
01 पुनर्वास			
202 अन्य पुनर्वास योजनाएं (गैर-योजना)			
0004 आत्मसमर्पित अपराधियों एवं उनके परिवार के सर्वांगीण विकास हेतु	0.10	0.10	0.00
मूल	30.00		
पुनर्वि०	(-) 29.90		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
02 समाज कल्याण			
106 सुधारक सेवाएं (गैर-योजना)			
0002 परिवीक्षा सेवाएं	4,26.31	4,21.63	(-) 4.68
मूल	4,93.40		
अनुपूरक	0.02		
पुनर्वि०	(-) 67.11		
प्रत्याशित बचत, ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति में विलम्ब होने, मितव्ययिता तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0003 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता	10,55.92	9,08.95	(-) 1,46.97
मूल	16,30.80		
पुनर्वि०	(-) 5,74.88		
प्रत्याशित बचत, स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों के निधन हो जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत	2,42.87	2,29.01	(-) 13.86
मूल	2,50.00		
अनुपूरक	8.50		
पुनर्वि०	(-) 15.63		
0005 थल, जल और वायु सैनिकों का जिला कल्याण परिषद्	1,21.01	1,20.44	(-) 0.57
मूल	1,15.46		
अनुपूरक	41.65		
पुनर्वि०	(-) 36.10		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0009 जे०पी० सेनानी सम्मान योजना	11,02.83	11,02.83	0.00
मूल	16,00.00		
पुनर्वि०	(-) 4,97.17		
प्रत्याशित बचत, जिला पदाधिकारियों से घोषणा पत्र एवं जे0 पी0 सम्मान योजना के पेंशनधारियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत	1,18.85	1,09.85	(-) 9.00
मूल	1,50.00		
पुनर्वि०	(-) 31.15		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

पूँजीगत (दत्तमत)

- (iv) ₹ 2,88,44.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,02,36.96 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,76,57.31 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,88,44.92 लाख) से ₹ 1,11,87.61 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
050 भूमि योजना			
(राज्य योजना)			
0101 थाना/चौकी के भू-अर्जन हेतु	65,00.00	31,52.81	(-) 33,47.19
मूल	65,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
210 अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण योजना			
(राज्य योजना)			
0101 वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण केन्द्र, आवास का निर्माण	78,00.00	0.00	(-) 78,00.00
मूल	78,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	72.00	0.00	(-) 72.00
मूल	80,00.00		
पुनर्वि०	(-) 79,28.00		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार अग्नि शमन सेवा के लिए भवन निर्माण	7,03.29	7,03.29	0.00
मूल	11,99.97		
अनुपूरक	3,38.96		
पुनर्वि०	(-) 8,35.64		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0103 केन्द्रीय/मंडल/उप-काराओं का भवन निर्माण (गृह कारा विभाग)	13,92.99	13,92.99	0.00
मूल	4,00.00		
अनुपूरक	5,00.00		
पुनर्वि०	4,92.99		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
052 मशीनरी तथा उपस्कर योजना (राज्य योजना)			
0101 काराओं के संयंत्रों हेतु	6,33.08	6,30.34	(-) 2.74
मूल	20,00.00		
पुनर्वि०	(-) 13,66.92		
प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने तथा कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार अग्निशमन सेवा के लिए भवन निर्माण	9,61.03	9,61.03	0.00
मूल	13,00.00		
पुनर्वि०	(-) 3,38.97		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

(vii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी	32,28.73	32,63.05	(+) 34.32
मूल	1,09,09.50		
पुनर्वि०	(-) 76,80.77		
प्रत्याशित तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

**अनुदान संख्या - 23 - उद्योग विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग		
2852	उद्योग		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
दत्तमत :			
मूल	4,88,31,83	5,26,59,84	4,57,26,82
अनुपूरक	38,28,01		(-) 69,33,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			68,26,34
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय		
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय		
6885	उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज		
दत्तमत :			
मूल	33,00,00	33,00,00	30,00,00
अनुपूरक	शून्य		(-) 3,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			3,00,00
टीका एवं टिप्पणियाँ -			
राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 69,33.02 लाख की अंतिम बचत को देखाते हुए, अगस्त 2012 (₹ 35.00 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 19,66.14 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 18,26.87 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 38,28.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 68,26.34 लाख), अंतिम बचत (₹ 69,33.02 लाख) से ₹ 1,06.68 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग		
00			
102	लघु उद्योग (गैर-योजना)		
0001	प्रदर्शन केन्द्र	17,10.43	17,03.92 (-) 6.51
	मूल	13,14.75	
	अनुपूरक	5,88.20	
	पुनर्वि०	(-) 1,92.52	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
योजना	(राज्य योजना)		
0103	जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	20.00	20.00 0.00
	मूल	90.00	
	पुनर्वि०	(-) 70.00	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
103	हस्तकरघा उद्योग (गैर-योजना)		
0001	हस्तकरघा के विकास की योजना	1,09.77	97.24 (-) 12.53
	मूल	2,44.71	
	पुनर्वि०	(-) 1,34.94	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0616	हस्तकरघा उद्योग	17.85	17.85 0.00
	मूल	50.00	
	अनुपूरक	17.85	
	पुनर्वि०	(-) 50.00	
योजना	(राज्य योजना)		
0113	शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	1,19.50	1,19.50 0.00
	मूल	1,79.00	
	पुनर्वि०	(-) 59.50	
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

शीर्ष	अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल अनुदान			
104	हस्तशिल्प उद्योग (गैर-योजना)			
0001	हस्तशिल्प तथा शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास	2,35.22	2,34.37	(-) 0.85
	मूल	2,70.97		
	पुनर्वि०	(-) 35.75		
योजना	(राज्य-योजना)			
0101	हस्तशिल्प का विकास	5,48.92	4,98.55	(-) 50.37
	मूल	6,67.48		
	पुनर्वि०	(-) 1,18.56		
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)			
105	खादी ग्रामोद्योग (राज्य-योजना)			
0101	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00
	मूल	4,89.00		
	पुनर्वि०	(-) 4,89.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)			
107	रेशम उत्पादन उद्योग (गैर-योजना)			
0001	रेशम का विकास	6,95.49	7,00.22	(+) 4.73
	मूल	8,30.59		
	पुनर्वि०	(-) 1,35.10		
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना	(राज्य-योजना)			
0101	पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना - रेशम का विकास	11,30.44	10,98.43	(-) 32.01
	मूल	14,50.80		
	अनुपूरक	1.50		
	पुनर्वि०	(-) 3,21.86		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0104	हस्तकरघा विकास योजना	24.50	24.50	0.00
	मूल	1,04.18		
	पुनर्वि०	(-) 79.68		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2852 उद्योग			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 निदेशन	13,78.40	13,81.97	(+) 3.57
मूल	15,48.17		
पुनर्वि०	(-) 1,69.77		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
102 औद्योगिक उत्पादकता योजना (राज्य योजना)			
0150 केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रावैधिकी संस्थान	0.00	0.00	0.00
मूल	35.00		
अनुपूरक	35.00		
पुनर्वि०	(-) 70.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0159 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन	52,12.00	52,12.00	0.00
मूल	80,00.00		
पुनर्वि०	(-) 27,88.00		
0163 व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसारण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष	2,14.00	2,14.00	0.00
मूल	5,10.00		
पुनर्वि०	(-) 2,96.00		
0164 बिहार फाउण्डेशन	50.00	50.00	0.00
मूल	50.00		
अनुपूरक	68.57		
पुनर्वि०	(-) 68.57		
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(iv) इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 33,00.00 लाख का मूल प्रावधान ₹ 3,00.00 लाख अधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 लघु उद्योग

योजना (राज्य योजना)

0102	टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर	0.00	0.00	0.00
------	-------------------------	------	------	------

मूल 2,50.00

पुनर्वि० (-) 2,50.00

संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

6885 उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज

01 औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज

190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

योजना (राज्य योजना)

0109	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम को ऋण	0.00	0.00	0.00
------	--	------	------	------

मूल 20.00

पुनर्वि० (-) 20.00

0110	बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण	0.00	0.00	0.00
------	--------------------------------	------	------	------

मूल 20.00

पुनर्वि० (-) 20.00

उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 24 - सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2220 सूचना तथा प्रचार			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	72,01,18	84,01,18	(-) 9,72,14
अनुपूरक	12,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			9,83,88
टीका एवं टिप्पणियाँ- राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 9,72.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 12,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,83.88 लाख), अन्तिम बचत (₹ 9,72.14 लाख) से ₹ 11.74 लाख अधिक था ।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

2220 सूचना तथा प्रचार

01 फिल्म

001 निदेशन और प्रशासन
(गैर-योजना)

0001	निदेशन और प्रशासन	4,29.49	4,29.49	0.00
------	-------------------	---------	---------	------

मूल 5,77.94

पुनर्वि० (-) 1,48.45

प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

60 अन्य

106 क्षेत्र प्रचार
(गैर योजना)

0002	जिला इकाईयां	14,93.91	14,97.14	(+ 3.23)
------	--------------	----------	----------	----------

मूल 20,19.81

पुनर्वि० (-) 5,25.90

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

योजना (राज्य योजना)

0101	क्षेत्रीय प्रचार योजना	5,86.34	5,89.77	(+ 3.43)
------	------------------------	---------	---------	----------

मूल 8,36.82

पुनर्वि० (-) 2,50.48

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

योजना (राज्य योजना)

0102	क्षेत्रीय प्रचार योजना-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	1,76.30	1,76.30	0.00
------	--	---------	---------	------

मूल 2,00.00

पुनर्वि० (-) 23.70

प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

2251 सचिवालय - सामाजिक सेवाएं

00

090 सचिवालय
(गैर-योजना)

0014	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	31.49	31.62	(+ 0.13)
------	----------------------------	-------	-------	----------

मूल 66.61

पुनर्वि० (-) 32.12

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 25 - सूचना प्रावैधिकी विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व मुख्य शीर्ष			
2852 उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	2,03,98,13	2,03,98,13	80,99,35 (-) 1,22,98,78
अनुपूरक	शून्य		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			1,21,57,07
पूँजी मुख्य शीर्ष			
4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	47,00,00	47,00,00	18,80,63 (-) 28,19,37
अनुपूरक	शून्य		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			28,19,37
टीका एवं टिप्पणियाँ- राजस्व (दत्तमत)			

- (i) राजस्व प्रभाग के अंतर्गत ₹ 2,03,98.13 लाख का मूल प्रावधान, ₹ 1,22,98.78 लाख अधिक सिद्ध हुआ ।
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,21,57.07 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,22,98.78 लाख) से ₹ 1,41.71 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 25 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2852 उद्योग			
07 दूर-संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग			
202 इलेक्ट्रॉनिक योजना (राज्य योजना)			
0101 राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कॉमन सर्विस सेन्टर	0.00	0.00	0.00
मूल	12,00.00		
पुनर्वि०	(-) 12,00.00		
0102 मुख्यमंत्री सचिवालय में जन शिकायत कोषांग	0.00	0.00	0.00
मूल	64.56		
पुनर्वि०	(-) 64.56		
उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1163 दिनांक-18/03/2013 द्वारा योजना के आकार में कमी के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			
0103 ई-शासन परियोजनाओं के डी०पी०आर० हेतु	1,22.49	1,22.49	0.00
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,77.51		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0104 ई-क्रय योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,00.00		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1163 दिनांक 18/03/2013 द्वारा योजना के आकार में कमी के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			
0105 राज्य की पोर्टल योजना	89.10	89.10	0.00
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,10.90		
0106 ज्ञान सिटी परियोजना	6,49.32	6,49.32	0.00
मूल	40,00.00		
पुनर्वि०	(-) 33,50.68		
0108 स्टेट डाटा सेन्टर	7,71.37	7,71.37	0.00
मूल	17,72.00		
पुनर्वि०	(-) 10,00.63		

अनुदान संख्या - 25 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0109 ई०-शासन राज्य योजना	30,91.22	30,91.22	0.00
मूल	65,00.00		
पुनर्वि०	(-) 34,08.78		
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0101 राष्ट्रीय ई-शासन योजना (कॉमन सर्विस सेन्टर)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,92.00		
पुनर्वि०	(-) 1,92.00		
0102 स्टेट डाटा सेन्टर	0.00	0.00	0.00
मूल	1,20.00		
पुनर्वि०	(-) 1,20.00		
0103 ई-शासन राज्य योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	(-) 5,00.00		
0104 सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार-प्रसार योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,20.00		
पुनर्वि०	(-) 1,20.00		
उपर्युक्त चार मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1163 दिनांक-18/03/2013 द्वारा योजना के आकार में कमी के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (राज्य योजना)			
0118 सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	8,13.58	6,71.81	(-) 1,41.78
मूल	20,00.00		
पुनर्वि०	(-) 11,86.42		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0131 सूचना प्रावैधिकी विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.00	0.00	0.00
मूल	3,70.00		
पुनर्वि०	(-) 3,70.00		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1163 दिनांक-18/03/2013 द्वारा योजना के आकार में कमी के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 25 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(iii) इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत मूल प्रावधानित राशि ₹ 47,00.00 लाख, ₹ 28,19.37 लाख से अधिक सिद्ध हुआ ।

(iv) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

**4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक
उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय**

02 इलेक्ट्रॉनिक

004 अनुसंधान तथा विकास
योजना (राज्य योजना)

0101	बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	18,80.63	18,80.63	0.00
	मूल	45,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 26,19.37		

प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
योजना (राज्य योजना)

0101	बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	0.00	0.00	0.00
	मूल	2,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 2,00.00		

संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1163 दिनांक-18/03/2013 द्वारा योजना के आकार में कमी के फलस्वरूप निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।

अनुदान संख्या - 26 - श्रम संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230	श्रम तथा रोजगार			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल		1,92,38,60	1,95,27,24	1,78,47,57
अनुपूरक		2,88,64		(-) 16,79,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				15,25,48
पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :				
मूल		10,50,00	10,50,00	7,33,70
अनुपूरक		शून्य		(-) 3,16,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				3,16,30
टीका एवं टिप्पणियाँ -				
राजस्व (दत्तमत)				
(i)	₹ 16,79.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 2,88.64 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।			
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 15,25.48 लाख), अंतिम बचत (₹ 16,79.67 लाख) से ₹ 1,54.19 लाख कम था।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलापैथी

102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना

योजना (राज्य योजना)

0103	कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग	26.70	8.46	(-) 18.24
------	--	-------	------	-----------

मूल 33.00

पुनर्वि० (-) 6.30

प्रत्याशित बचत निविदा में अंकित शर्तों के अधीन निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण तथा मशीनें एवं उपस्कर क्रय नहीं किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

2230 श्रम तथा रोजगार

01 श्रम

001 निदेशन और प्रशासन

(गैर-योजना)

0001	श्रम आयुक्त	3,57.34	3,57.34	0.00
------	-------------	---------	---------	------

मूल 4,66.33

पुनर्वि० (-) 1,08.99

प्रत्याशित बचत पुनरीक्षित वेतन के बकाये राशि का भुगतान नहीं होने एवं कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।

101 औद्योगिक संबंध

(गैर-योजना)

0006	श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन	5,89.50	5,89.45	(-) 0.05
------	--------------------------------------	---------	---------	----------

मूल 7,71.48

पुनर्वि० (-) 1,81.98

प्रत्याशित बचत पुनरीक्षित वेतन के बकाये राशि का भुगतान नहीं होने एवं कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

योजना (राज्य योजना)

0108	श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु	41.94	36.54	(-) 5.40
------	------------------------------------	-------	-------	----------

प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण

मूल 1,00.00

पुनर्वि० (-) 58.06

प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0109 कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-) 50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत ए०वाई०डी०ए० से राशि की मांग नहीं होने तथा व्यय की विवरणी प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
102 सुरक्षा एवं कार्य स्थिति (गैर-योजना)			
0002 कारखानों के निरीक्षक	3,03.11	3,01.68	(-) 1.43
मूल	4,17.55		
पुनर्वि०	(-) 1,14.44		
प्रत्याशित बचत पुनरीक्षित वेतन के बकाये राशि का भुगतान नहीं होने एवं कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
103 सामान्य श्रम कल्याण (गैर-योजना)			
0001 शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन	1,77.18	1,77.92	(+) 0.74
मूल	2,06.90		
पुनर्वि०	(-) 29.72		
प्रत्याशित बचत कुछ कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना राज्य योजना			
0103 बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	78.30	74.63	(-) 3.67
मूल	1,75.00		
पुनर्वि०	- 96.70		
प्रत्याशित बचत समय पर विपत्र प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0103 अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	44.00	24.00	(-) 20.00
मूल	45.00		
पुनर्वि०	(-) 1.00		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 रोजगार सेवाएं			
101 रोजगार सेवाएं (गैर-योजना)			
0004 रोजगार कार्यालय की स्थापना	7,19.02	7,07.34	(-) 11.68
मूल	8,58.97		
पुनर्वि०	(-) 1,39.95		
प्रत्याशित बचत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण, कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध नहीं होने, किराया मद में वर्द्धित किराया का स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं होने, कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
03 प्रशिक्षण			
003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0607 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	2,40.00	1,97.36	(-) 42.64
मूल	1,50.00		
अनुपूरक	90.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण	2.48	2.25	(-) 0.23
मूल	25.00		
पुनर्वि०	(-) 22.52		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों का अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं होने तथा योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय कम किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0109 मशीन का आधुनिकीकरण	2,92.67	2,84.17	(-) 8.50
मूल	4,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,07.33		
प्रत्याशित बचत मुख्यतः मशीनों की आपूर्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0126 सूचना तंत्र का प्रबंधन	11.49	11.49	0.00
मूल	70.00		
पुनर्वि०	(-) 58.51		
प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कमी होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (गैर-योजना)			
0001 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद्	34,66.29	34,08.54	(-) 57.75
मूल	39,38.79		
पुनर्वि०	(-) 4,72.50		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं अनुबंध पर नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना	1,45.43	1,45.43	0.00
मूल	1,70.30		
पुनर्वि०	(-) 24.87		
प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई ।			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0008 श्रम संसाधन विभाग	3,01.54	3,01.54	0.00
मूल	3,59.25		
अनुपूरक	2.74		
पुनर्वि०	(-) 60.45		
प्रत्याशित बचत पदाधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण, पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दावा विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने, यात्रा में कमी, मशीन एवं उपस्कर मद में निर्णय नहीं होने के कारण तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2230 श्रम तथा रोजगार			
01 श्रम			
114 उत्प्रवासी श्रम कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0102 अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	1,62.50	1,54.00	(-) 8.50
मूल	1,25.00		
पुनर्वि०	37.50		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
03 प्रशिक्षण			
003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण योजना (राज्य योजना)			
0118 नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	5,72.68	5,56.73	(-) 15.95
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	72.68		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
2251 सचिवालय - सामाजिक सेवाएं			
00 संलग्न कार्यालय (गैर-योजना)			
091 सचिवालय जलपान गृह की स्थापना	5,64.07	5,69.19	(+) 5.12
मूल	4,68.49		
पुनर्वि०	95.58		
0002 विधानमंडल जलपान गृह की स्थापना	1,23.10	1,46.02	(+) 22.92
मूल	1,09.11		
पुनर्वि०	13.99		
उपर्युक्त दो मामलों में पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹ 10,50.00 लाख का मूल प्रावधान जो इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत प्रावधानित था, ₹ 3,16.30 लाख से अधिक सिद्ध हुआ ।

(vi) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

00

050 भूमि

योजना (राज्य योजना)

0101	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन	2,33.70	2,33.70	0.00
------	--	---------	---------	------

मूल 1,50.00

पुनर्वि० 83.70

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

051 निर्माण

योजना (राज्य योजना)

0101	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	0.00	0.00	0.00
------	--	------	------	------

मूल 4,00.00

पुनर्वि० (-) 4,00.00

संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत मुख्यतः योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई ।

**अनुदान संख्या - 27 - विधि विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	5,74,42,49	5,79,43,58	4,28,13,08 (-) 1,51,30,50
अनुपूरक	5,01,09		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			1,42,17,01
टीका एवं टिप्पणियाँ- राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 1,51,30.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 1,04.25 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 3,96.83 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,01.09 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,42,17.01 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,51,30.50 लाख) से ₹ 9,13.49 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2014 न्याय प्रशासन			
00			
003 प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 बिहार न्यायिक अकादमी	7,29.12	7,29.12	0.00
मूल	11,80.79		
पुनर्वि०	(-) 4,51.67		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
105 सिविल एवं सत्र न्यायालय (गैर-योजना)			
0001 सिविल एवं सत्र न्यायालय	3,64,63.55	3,55,62.65	(-) 9,00.90
मूल	4,17,05.79		
अनुपूरक	3,56.04		
पुनर्वि०	(-) 55,98.28		
प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0701 सिविल एवं सत्र न्यायालय	8,12.21	8,12.21	0.00
मूल	30,82.59		
पुनर्वि०	(-) 22,70.38		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
106 लघुवाद न्यायालय (गैर-योजना)			
0001 वित्त आयोग की अनुशंसा पर सुबह, शाम, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं शिफ्ट न्यायालयों का गठन	1,80.51	1,79.01	(-) 1.50
मूल	42,86.40		
पुनर्वि०	(-) 41,05.89		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0002 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ए०डी०आर० केन्द्र की स्थापना	4,13.64	4,09.30	(-) 4.34
मूल	8,15.20		
पुनर्वि०	(-) 4,01.56		
प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)			

अनुदान संख्या - 27 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
114	विधि सलाहकार और परामर्शदाता (गैर-योजना)		
0002	निर्धनों को कानूनी सहायता	7,27.73	7,27.73
	मूल	15,99.64	
	अनुपूरक	52.25	
	पुनर्वि०	(-) 9,24.16	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
117	परिवार न्यायालय योजना		
0101	परिवार न्यायालय	4,22.21	4,22.23
	मूल	7,90.56	
	अनुपूरक	0.01	
	पुनर्वि०	(-) 3,68.36	
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)		
0006	विधि आयोग	58.23	57.13
	मूल	94.91	
	अनुपूरक	2.00	
	पुनर्वि०	(-) 38.68	
	प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएं		
00			
090	सचिवालय (गैर-योजना)		
0018	विधि विभाग	4,67.46	4,67.65
	मूल	5,73.80	
	अनुपूरक	23.00	
	पुनर्वि०	(-) 1,29.34	
	प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

विनियोग संख्या - 28 - उच्च न्यायालय
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
प्रभारित:			
मूल	98,02,05	1,01,78,91	(-) 24,38,83
अनुपूरक	3,76,86		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			18,61,63
टीका एवं टिप्पणियाँ - राजस्व (प्रभारित)			

- (i) ₹ 24,38.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 3,73.36 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 3.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,76.86 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 18,61.63 लाख), अंतिम बचत (₹ 24,38.83 लाख) से ₹ 5,77.20 लाख कम था ।

विनियोग संख्या - 28 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2014 न्याय प्रशासन			
00			
102 उच्च न्यायालय (गैर-योजना)			
0001 उच्च न्यायालय, पटना	83,17.28	77,40.08	(-) 5,77.20
मूल	98,02.05		
अनुपूरक	3,76.86		
पुनर्वि०	(-) 18,61.63		

प्रत्याशित बचत न्यायाधीशों/अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने, अधि कारियों/कर्मचारियों द्वारा विपत्र समर्पित नहीं किये जाने तथा संबंधित फर्म द्वारा विद्युत, वर्दी, किराया एवं कर, मुद्रण तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ संबंधी विपत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

अनुदान संख्या - 29 - खान एवं भूतत्व विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत:			
मूल	15,99,31	16,99,31	(-) 4,30,98
अनुपूरक	1,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			4,17,30
टीका एवं टिप्पणियाँ - राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 4,30.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,17.30 लाख), अन्तिम बचत (₹ 4,30.98 लाख) से ₹ 13.68 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 29 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02 खानों का विनियमन तथा विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 खनन एवं भूतत्व स्थापना	12,43.28	12,29.45	(-) 13.83
मूल	15,46.83		
पुनर्वि०	(-) 3,03.55		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
004 अनुसंधान एवं विकास योजना (राज्य योजना)			
0101 जियोलॉजिकल एवं जी०पी०एस० लैब	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,00.00		
प्रत्याशित बचत प्रारूप योजना रिपोर्ट तैयार नहीं किये जाने के कारण हुई ।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0004 खनन एवं भूतत्व विभाग	38.73	38.88	(+) 0.15
मूल	52.48		
पुनर्वि०	(-) 13.75		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 30 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2053 जिला प्रशासन			
2202 सामान्य शिक्षा			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत:			
मूल	1,48,90,72	1,50,44,94	57,79,27 (-) 92,65,67
अनुपूरक	1,54,22		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			14,40,95
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश			
7465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज			
दत्तमत :			
मूल	4,35,60,00	4,50,60,00	1,14,43,56 (-) 3,36,16,44
अनुपूरक	15,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			49,52,44
टीका एवं टिप्पणियाँ - राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 92,65.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 (₹ 89.07 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 65.15 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,54.22 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,40.95 लाख), अंतिम बचत (₹ 92,65.67 लाख) से ₹ 78,24.72 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2202 सामान्य शिक्षा			
02 माध्यमिक शिक्षा			
107 छात्रवृत्तियाँ			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0603 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	40,00.00	10,50.87	(-) 29,49.13
मूल	40,00.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 अल्पसंख्यक छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	3,50.14	3,50.52	(+) 0.38
मूल	15,00.00		
पुनर्वि०	(-) 11,49.86		
प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग के द्वारा योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107 छात्रवृत्तियाँ			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्य हेतु छात्रवृत्ति	30,00.00	15,26.46	(-) 14,73.54
मूल	30,00.00		
0603 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति	35,00.00	1,68.15	(-) 33,31.85
मूल	35,00.00		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 कॉलेज में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00
मूल	30.00		
पुनर्वि०	(-) 30.00		
0106 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था	0.00	0.00	0.00
मूल	20.00		
पुनर्वि०	(-) 20.00		
उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा योजना उद्व्यय में कमी किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण		
03	पिछड़े वर्गों का कल्याण		
277	शिक्षा		
योजना	(राज्य योजना)		
0111	अल्पसंख्यक छात्रावासों में रखरखाव एवं आधुनिकीकरण योजना	51.74	49.74 (-) 2.00
	मूल	1,70.00	
	पुनर्वि०	(-) 1,18.26	

प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

2250 अन्य सामाजिक सेवाएं

00			
800	अन्य व्यय		
योजना	(राज्य योजना)		
0107	वक्फ सम्पत्ति के रख-रखाव, सुरक्षा तथा संवर्द्धन हेतु	0.00	0.00 0.00
	मूल	20.00	
	पुनर्वि०	(-) 20.00	
0108	वक्फ सम्पत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड की रिवोल्विंग फंड के रूप में अनुदान देने के संबंध में	0.00	0.00 0.00
	मूल	30.00	
	पुनर्वि०	(-) 30.00	

उपर्युक्त दो मामलों सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्व्यय में कमी किये जाने के कारण हुई ।

2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं

00			
090	सचिवालय		
	(गैर-योजना)		
0011	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,55.85	1,52.69 (-) 3.16
	मूल	2,07.06	
	अनुपूरक	6.61	
	पुनर्वि०	(-) 57.82	

प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुई । अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 3,36,16.44 लाख के अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 15,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 49,52.44 लाख) अंतिम बचत (₹ 3,36,16.44 लाख) से ₹ 2,86,64.00 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक बचत (+) व्यय (-)
	(₹ लाख में)		
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
80	सामान्य		
051	निर्माण		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	7,20.20	7,20.20
	मूल	26,75.00	
	पुनर्वि०	(-) 19,54.80	
	प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग बिहार,पटना द्वारा योजना उद्व्यय में कमी किये जाने के कारण हुई।		
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
00			
051	निर्माण		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0603	अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास योजना	3,50,00.00	63,46.56
	मूल	3,50,00.00	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
योजना	(राज्य योजना)		
0103	अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास योजना	22,37.36	22,26.80
	मूल	37,25.00	
	पुनर्वि०	(-) 14,87.64	
	प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना द्वारा योजना उद्व्यय में कमी किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
7465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज		
00			
190	सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज		
योजना	(राज्य योजना)		
0102	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना	0.00	0.00
	मूल	15,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 15,00.00	
	संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक-09/05/2012 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में हुई।		

**अनुदान संख्या - 31 - संसदीय कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	1,49,21	1,59,72	(-) 25,38
अनुपूरक	10,51		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			24,89
टीका एवं टिप्पणियाँ - राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 25.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 (₹ 5.81 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 4.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10.51 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 24.89 लाख), अंतिम बचत (₹ 25.38 लाख) से ₹ 0.49 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 31 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0022 संसदीय कार्य विभाग	1,34.83	1,34.34	(-) 0.49
मूल	1,49.21		
अनुपूरक	10.51		
पुनर्वि०	(-) 24.89		

प्रत्याशित बचत दो प्रशाखा पदाधिकारी, एक निजी सहायक, दो चालक एवं एक संयुक्त सचिव के सेवानिवृत्ति तथा संविदा पर कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा वापस करने, एक संविदा चालक के सेवा मुक्त होने एवं एक संविदा सहायक की सेवा विस्तार नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या - 32 - विधान मंडल

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
दत्तमत:				
मूल	1,05,72,19	1,11,37,61	99,56,47	(-) 11,81,14
अनुपूरक	5,65,42			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च, 2013)				10,50,64
प्रभारित :				
मूल	55,37	67,16	51,92	(-) 15,24
अनुपूरक	11,79			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च, 2013)				15,85
टीका एवं टिप्पणियाँ -				
राजस्व (दत्तमत)				
(i)	₹ 11,81.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 2,67.00 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 2,98.42 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,65.42 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।			
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,50.64 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,81.14 लाख) से ₹ 1,30.50 लाख कम था ।			

अनुदान संख्या - 32 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल		
02	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल		
101	विधान सभा (गैर-योजना)		
0004	3,37.73	3,37.73	0.00
	मूल 4,50.12		
	पुनर्वि० (-) 1,12.39		
	प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई ।		
0005	34,23.09	34,22.51	(-) 0.58
	मूल 36,90.00		
	अनुपूरक 1,40.00		
	पुनर्वि० (-) 4,06.91		
	प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
102	विधान परिषद् (गैर-योजना)		
0006	8,91.88	8,49.78	(-) 42.10
	मूल 11,12.52		
	पुनर्वि० (-) 2,20.64		
	प्रत्याशित बचत महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्यों के 12 सीटों का मई 2012 से खाली पड़े रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0007	1,93.71	1,93.71	0.00
	मूल 2,70.70		
	पुनर्वि० (-) 76.99		
	प्रत्याशित बचत मुख्य सचेतक (विरोधी दल) एवं उपनेता (सत्तारूढ़ दल) के आकस्मिक निधन के फलस्वरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं यात्रा व्यय विपत्रों के लंबित रह जाने के कारण हुई ।		

अनुदान संख्या - 32 - क्रमांत

राजस्व (प्रभारित)

- (iv) ₹ 15.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 11.79 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 15.85 लाख), अंतिम बचत (₹ 15.24 लाख) से ₹ 0.61 लाख अधिक था ।
- (vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	-------------	--------------------------------	--------------------------

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

101 विधान सभा

(गैर-योजना)

0001	अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते	24.40	25.01	(+) 0.61
	मूल	23.81		
	अनुपूरक	6.79		
	पुनर्वि०	(-) 6.20		

प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

102 विधान परिषद्

(गैर-योजना)

0001	सभापति एवं उप-सभापति के वेतन एवं भत्ते	26.91	26.91	0.00
	मूल	31.56		
	अनुपूरक	5.00		
	पुनर्वि०	(-) 9.65		

प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के दौरान सभापति का पद दो माह तक रिक्त रहने एवं अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0 से ससमय चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।

अनुदान संख्या - 33 - सामान्य प्रशासन विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			

दत्तमत :

मूल	3,74,16,54	3,87,30,24	2,77,21,07	(-) 1,10,09,17
अनुपूरक	13,13,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				73,41,60

प्रभारित :

मूल	3,80,10	3,94,51	3,41,03	(-) 53,48
अनुपूरक	14,41			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				58,74

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 1,10,09.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 11,72.22 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 1,28.73 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 12.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,13.70 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 73,41.60 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,10,09.17 लाख) से ₹ 36,67.57 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2051 लोक सेवा आयोग			
00			
103 कर्मचारी चयन आयोग (गैर-योजना)			
0001 बिहार कर्मचारी चयन आयोग	3,76.17	3,60.86	(-) 15.31
मूल	23,30.93		
अनुपूरक	9.00		
पुनर्वि०	(-) 19,63.76		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0005 सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग)	1,04.00	1,03.98	(-) 0.02
मूल	1,54.36		
पुनर्वि०	(-) 50.36		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0045 राज्य महादलित आयोग	1,42.30	1,42.30	0.00
मूल	1,97.09		
पुनर्वि०	(-) 54,79		
0051 उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग	76.59	76.59	0.00
मूल	1,40.00		
पुनर्वि०	(-) 63.41		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
2053 जिला प्रशासन			
00			
093 जिला स्थापना (गैर-योजना)			
0001 जिला प्रशासन	1,64,42.69	1,40,88.68	(-) 23,54.01
मूल	1,87,35.26		
अनुपूरक	4,58.54		
पुनर्वि०	(-) 27,51.11		

अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
094 अन्य स्थापनाएं (गैर-योजना)			
0001 अनुमंडलीय स्थापना	67,59.51	58,46.56	(-) 9,12.95
मूल	81,19.75		
अनुपूरक	2,90.43		
पुनर्वि०	(-) 16,50.67		
101 आयुक्त (गैर-योजना)			
0001 मुख्य कार्यालय	16,50.95	15,31.80	(-) 1,19.15
मूल	18,53.58		
पुनर्वि०	(-) 2,02.63		
उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु	2,23.34	2,22.59	(-) 0.75
मूल	2,17.16		
अनुपूरक	90.00		
पुनर्वि०	(-) 83.82		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0004 सुशासन केन्द्र सोसाइटी	1,40.00	1,40.00	0.00
अनुपूरक	2,25.00		
पुनर्वि०	(-) 85.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
115 अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि (गैर-योजना)			
0003 परिसदन	7,47.08	4,73.23	(-) 2,73.85
मूल	8,00.00		
अनुपूरक	1,46.25		
पुनर्वि०	(-) 1,99.17		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 33 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
00			
092	अन्य कार्यालय (गैर-योजना)		
0002	राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय	2,65.17	2,65.17
	मूल	3,57.00	
	पुनर्वि०	(-) 91.83	
	प्रत्याशित बचत सूचना आयुक्तों के दो पद रिक्त रहने के कारण हुई ।		

राजस्व (प्रभारित)

- (iv) ₹ 53.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 14.41 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 58.74 लाख), अंतिम बचत (₹ 53.48 लाख) से 5.26 लाख अधिक था ।
- (vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
00			
104	सतर्कता (गैर-योजना)		
0012	लोकायुक्त का कार्यालय	3,35.77	3,41.03
	मूल	3,80.10	
	अनुपूरक	14.41	
	पुनर्वि०	(-) 58.74	

प्रत्याशित बचत सचिव, उपसचिव तथा अन्य पदों के रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (अगस्त 2013)।

विनियोग संख्या - 34 - बिहार लोक सेवा आयोग
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
प्रभारित :			
मूल	13,15,56	14,03,56	(-) 35,91
अनुपूरक	88,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			30,65
टीका एवं टिप्पणियाँ- राजस्व (प्रभारित)			

- (i) ₹ 35.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 73.00 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 15.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 88.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 30.65 लाख) अंतिम बचत (₹ 35.91 लाख) से ₹ 5.26 लाख कम था ।

अनुदान संख्या-35-योजना एवं विकास विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3451 सचिवालय - आर्थिक सेवाएं			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
दत्तमत :			
मूल	8,17,03,85	8,19,37,41	1,51,12,71 (-) 6,68,24,70
अनुपूरक	2,33,56		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			6,64,47,12

पूँजी
मुख्य शीर्ष

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	12,19,97,60	15,45,02,60	3,86,02,60 (-) 11,59,00,00
अनुपूरक	3,25,05,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			11,42,20,34

टीका एवं टिप्पणियाँ-
राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 6,68,24.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 2,04.00 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 29.55 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,33.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,64,47.12 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,68,24.70 लाख) से ₹ 3,77.58 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0010 योजना एवं विकास विभाग	4,65.40	4,86.98	(+21.58)
मूल	7,80.23		
पुनर्वि०	(-) 3,14.83		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना			
(राज्य योजना)			
0103 योजना तंत्र का सुदृढीकरण	38.78	38.78	0.00
मूल	2,00.00		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	(-) 1,61.23		
प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
2053 जिला प्रशासन			
00			
093 जिला स्थापनाएं			
योजना			
(राज्य योजना)			
0105 वित्त आयोग जिला नवाचार निधि	7,00.00	6,12.69	(-) 87.31
मूल	19,00.00		
पुनर्वि०	(-) 12,00.00		
प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
094 अन्य स्थापनाएं			
(गैर-योजना)			
0007 योजना तंत्र का सुदृढीकरण	50,95.79	49,89.77	(-) 1,06.02
मूल	70,10.56		
पुनर्वि०	(-) 19,14.77		
प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति तथा संबंधित शीर्षों से उनका भुगतान नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना			
(राज्य योजना)			
0109 जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजना तंत्र का सुदृढीकरण	4,20.22	4,01.90	(-) 18.32
मूल	6,00.00		
अनुपूरक	2,00.00		
पुनर्वि०	(-) 3,79.78		
प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
101 योजना आयोग/योजना बोर्ड			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार राज्य योजना बोर्ड	2.24	2.24	0.00
मूल	4,11,39.33		
पुनर्वि०	(-) 4,11,37.09		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
111 जन्म-मृत्यु सांख्यिकी			
(गैर-योजना)			
0001 सामान्य सांख्यिकी का संग्रहण	5,10.69	5,07.53	(-) 3.16
मूल	7,79.02		
पुनर्वि०	(-) 2,68.33		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के स्थानांतरण/नियुक्ति तथा संबंधित शीर्षों से उनके वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
204 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन			
(गैर-योजना)			
0001 प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र	4,87.37	4,84.65	(-) 2.72
मूल	7,61.21		
पुनर्वि०	(-) 2,73.84		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के स्थानांतरण/नियुक्ति तथा संबंधित शीर्षों से उनके वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0401 आर्थिक गणना	1.64	1.59	(-) 0.05
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 9,98.36		
प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0408 क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण	99.32	93.98	(-) 5.34
मूल	1,71.92		
पुनर्वि०	(-) 72.60		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानांतरण अन्य स्थापनाओं में होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0409 फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना	68.97	68.60	(-) 0.37
मूल	1,36.31		
पुनर्वि०	(-) 67.34		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानांतरण अन्य स्थापनाओं में होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0603 लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना के अन्तर्गत सांख्यिकी प्रकोष्ठ का गठन	8.57	8.57	0.00
मूल	54.47		
पुनर्वि०	(-) 45.90		
प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई ।			
0605 लघु सिंचाई परियोजनाओं की गणना के अन्तर्गत न्यायदर्श सर्वेक्षण	12.60	12.60	0.00
मूल	1,90.21		
पुनर्वि०	(-) 1,77.61		
प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई ।			
0620 भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना	0.00	0.00	0.00
मूल	35,18.41		
पुनर्वि०	(-) 35,18.41		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत समय पर योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
योजना (राज्य योजना)			
0119 योजना कार्यों का मूल्यांकन	27.75	27.75	0.00
मूल	1,16.38		
पुनर्वि०	(-) 88.63		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0120 भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना	0.00	0.00	0.00
मूल	2,60.00		
पुनर्वि०	(-) 2,60.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
205 राज्य सांख्यिकी एजेंसी (गैर-योजना)			
0003 राज्य सांख्यिकी तंत्र का सुदृढीकरण-वित्त आयोग	0.00	0.00	0.00
मूल	7,60.00		
पुनर्वि०	(-) 7,60.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 स्थानीय स्तर पर विकास का सर्वेक्षण	64.38	64.38	0.00
मूल 2,00.00			
पुनर्वि० (-) 1,35.62			
प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 समग्र सांख्यिकी विकास योजना	5,76.80	4,11.97	(-) 1,64.83
मूल 77,40.00			
पुनर्वि० (-) 71,63.20			
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
206 अद्वितीय पहचान योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 वित्त आयोग-यू०आई०डी०कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
मूल 73,84.00			
पुनर्वि० (-) 73,84.00			
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 11,59,00.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 3,25,05.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 11,42,20.34 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,59,00.00 लाख) से ₹ 16,79.66 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0104 आपकी सरकार आपके द्वार	0.00	0.00	0.00
मूल 60,00.00			
पुनर्वि० (-) 60,00.00			
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0107 मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम	90,21.81	89,00.88	(-) 1,20.94
मूल	3,25,00.00		
अनुपूरक	1,95,05.00		
पुनर्वि०	(-) 4,29,83.19		
प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0109 जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजना तंत्र का सुदृढीकरण	1,13.12	1,13.12	0.00
मूल	9,00.00		
पुनर्वि०	(-) 7,86.88		
प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0111 मूल्यांकन कार्यालय के कार्य	1,16.38	0.00	(-) 1,16.38
मूल	4,91,83.60		
पुनर्वि०	(-) 4,90,67.22		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0102 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	8,53.71	7,06.52	(-) 1,47.19
मूल	9,62.10		
पुनर्वि०	(-) 1,08.39		
प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
102 सामुदायिक विकास योजना (राज्य योजना)			
0101 अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना	2,50,00.00	2,37,04.85	(-) 12,95.15
मूल	2,70,00.00		
अनुपूरक	1,30,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,50,00.00		
प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

**अनुदान संख्या - 36 - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2215	जलापूर्ति तथा सफाई			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल	3,34,50.73	3,89,35,44	3,29,09,62	(-) 60,25,82
अनुपूरक	54,84,71			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				59,75,93
पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :				
मूल	3,65,78,31	5,23,98,31	2,58,50,93	(-) 2,65,47,38
अनुपूरक	1,58,20,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				2,65,95,50
टीका एवं टिप्पणियाँ-				
राजस्व (दत्तमत)				
(i)	₹ 60,25.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 54,84.71 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।			
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 59,75.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 60,25.82 लाख) से ₹ 49.89 लाख कम था ।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
2215	जलापूर्ति तथा सफाई			
01	जलापूर्ति			
101	शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0006	सरकारी भवनों में जलापूर्ति	12,37.26	12,37.26	0.00
	मूल	18,21.24		
	पुनर्वि०	(-) 5,83.98		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
102	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0001	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1,04,66.68	1,04,66.68	0.00
	मूल	1,24,41.30		
	पुनर्वि०	(-) 19,74.62		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0002	हस्तचालित ट्यूबवेल्स, तालाब, कुएँ एवं उच्च प्रवाही नलकूप	1,02,86.91	1,02,38.04	(-) 48.87
	मूल	1,24,44.81		
	पुनर्वि०	(-) 21,57.90		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
198	ग्राम पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	ग्राम पंचायतों के नलकूपों की मरम्मती हेतु सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00
	मूल	7,20.00		
	पुनर्वि०	(-) 7,20.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
02	मल-जल तथा सफाई			
003	प्रशिक्षण योजना (राज्य योजना)			
0102	बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण -सह- शोधार्थ के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-) 50.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0016 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1,03.87	1,03.65	(-) 0.22
मूल	1,60.03		
पुनर्वि	(-) 56.16		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

पूँजीगत (दत्तमत)

- (iv) ₹ 2,65,47.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,58,20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,65,95.50 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,65,47.38 लाख) से ₹ 48.12 लाख अधिक था।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01 जलापूर्ति			
101 शहरी जलापूर्ति (गैर-योजना)			
0004 सरकारी आवासों में जलापूर्ति	3,55.94	3,75.75	(+) 19.81
मूल	8,18.00		
पुनर्वि०	(-) 4,62.06		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
102 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 10,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0603 त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना	7.00	7.00	0.00
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,93.00		
प्रत्याशित बचत नई योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई (अगस्त 2013)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	5,70.89	5,70.89	0.00
मूल	21,25.00		
पुनर्वि०	(-) 15,54.11		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0102 20,000 आबादी तक के ग्राम क्षेत्र/उप नगरी	8.00	8.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-) 42.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूब वेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	69,49.99	63,80.45	(-) 5,69.54
मूल	17,88.25		
अनुपूरक	1,09,51.40		
पुनर्वि०	(-) 57,89.66		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0112 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का राज्यांश भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-) 50.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0116 ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिये संरचना के विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	3,13.55	3,10.12	(-) 3.43
मूल	67,00.06		
पुनर्वि०	(-) 63,86.51		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0117 भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित/ आंशिक आच्छादित/जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु नलकूपों का निर्माण	5,47.67	5,47.67	0.00
मूल	11,70.00		
पुनर्वि०	(-) 6,22.33		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0119 निदेशन, प्रशासन एवं स्थापना	2,91.45	2,91.19	(-) 0.26
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 7,08.55		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल अनुदान			
0120	भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु जलापूर्ति का निर्माण	37,11.82	37,25.26	(+) 13.44
	मूल	57,80.00		
	पुनर्वि०	(-) 20,68.18		
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0121	अर्द्ध शहरी/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था	45.00	45.00	0.00
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 55.00		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0101	भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु जलापूर्ति का निर्माण	3,02.18	3,02.18	0.00
	मूल	16,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 12,97.82		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0102	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	2,50.00		
	पुनर्वि०	(-) 2,50.00		
0104	ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना के विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	0.00	0.00
	मूल	8,33.00		
	पुनर्वि०	(-) 8,33.00		
0105	भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु नलकूपों का निर्माण	0.00	0.00	0.00
	मूल	3,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 3,00.00		
	उपर्युक्त तीन मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 36- क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0106 प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति मूल 6,40.00 पुनर्वि० (-) 2,75.26 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	3,64.74	3,64.74	0.00
0111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप एवं नलकूप द्वारा) मूल 7,50.00 अनुपूरक 27,73.00 पुनर्वि० (-) 26,03.13 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	9,19.87	9,19.87	0.00
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप एवं नलकूप द्वारा) मूल 61.00 अनुपूरक 1,38.60 पुनर्वि० (-) 1,99.60 सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	0.00	0.00	0.00
0109 ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना के विकास हेतु नाबार्ड से ऋण मूल 31.00 पुनर्वि० (-) 31.00 सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	0.00	0.00	0.00
0110 भारत निर्माण कार्यक्रम अंतर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु नलकूपों का निर्माण मूल 30.00 पुनर्वि० (-) 30.00 सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	0.00	0.00	0.00
0111 प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति मूल 45.00 पुनर्वि० (-) 35.00 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	10.00	10.00	0.00
0115 ग्रामीण जलापूर्ति योजना मूल 25.00 पुनर्वि० (-) 25.00 संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या - 36 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0116	भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित/ आंशिक आच्छादित/जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु जलापूर्ति का निर्माण मूल 1,20.00 पुनर्वि० (-) 90.04 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	29.96	29.96	0.00
02	मल-जल तथा सफाई			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं विकास मूल 3,30.00 पुनर्वि० (-) 1,84.08 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	1,45.92	1,35.14	(-) 10.78
106	मल-जल सेवाएँ			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	ग्रामीण स्वच्छता मूल 20,70.00 संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	20,70.00	0.00	(-) 20,70.00
0104	शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण मूल 2,00.00 अनुपूरक 19,57.00 पुनर्वि० (-) 12,09.87 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	9,47.13	9,43.72	(-) 3.41
0105	लोहिया स्वच्छता अभियान मूल 30,00.00 संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	30,00.00	0.00	(-) 30,00.00
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	ग्रामीण स्वच्छता मूल 27,10.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	27,10.00	0.00	(-) 27,10.00
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0115	ग्रामीण स्वच्छता मूल 2,20.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	2,20.00	0.00	(-) 2,20.00

**अनुदान संख्या - 37 - ग्रामीण कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054	सड़क तथा सेतु			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल	5,62,27,76	5,62,27,76	4,23,00,08	(-) 1,39,27,68
अनुपूरक	शून्य			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				1,12,22,49
पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :				
मूल	15,33,69,45	19,27,12,01	16,39,22,73	(-) 2,87,89,28
अनुपूरक	3,93,42,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				2,57,86,16
टीका एवं टिप्पणियाँ -				
राजस्व (दत्तमत)				

- (i) ₹ 5,62,27.76 लाख का मूल प्रावधान जो इस अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत प्रावधानित था, ₹ 1,39,27.68 लाख से अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,12,22.49 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,39,27.68 लाख) से ₹ 27,05.19 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 37 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
00			
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)		
0009	69,01.40	54,11.27	(-) 14,90.13
	मूल 79,82.54		
	पुनर्वि० (-) 10,81.14		
	प्रत्याशित बचत इंजीनियरों के हड़ताल तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0108	97,58.61	94,40.17	(-) 3,18.44
	ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना		
	मूल 1,27,08.91		
	पुनर्वि० (-) 29,50.30		
	प्रत्याशित बचत इंजीनियरों के हड़ताल तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
3054	सड़क तथा सेतु		
04	जिला तथा अन्य सड़कें		
105	रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)		
0001	2,78,57.98	2,69,61.06	(-) 8,96.92
	मूल 3,50,00.00		
	पुनर्वि० (-) 71,42.02		
	प्रत्याशित बचत इंजीनियरों के हड़ताल तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
00			
090	सचिवालय (गैर-योजना)		
0029	3,87.28	3,87.58	(+) 0.30
	मूल 4,36.31		
	पुनर्वि० (-) 49.03		
	प्रत्याशित बचत इंजीनियरों के हड़ताल तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

अनुदान संख्या - 37 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 2,87,89.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 1,50,00.00 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 2,43,42.55 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,93,42.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,57,86.16 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,87,89.28 लाख) से ₹ 30,03.12 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00				
103	ग्राम विकास योजना (राज्य योजना)			
0101	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	3,93,28.85	3,93,28.85	0.00
	मूल	3,91,15.00		
	अनुपूरक	1,50,00.01		
	पुनर्वि०	(-) 1,47,86.16		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0103	मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क पथ योजना	5,00,00.00	4,98,00.00	(-) 2,00.00
	मूल	6,00,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 1,00,00.00		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
800	अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0101	आपकी सरकार आपके द्वार	50,00.00	30,00.00	(-) 20,00.00
	मूल	60,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 10,00.00		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 38 - निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2030 स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	1,14,66,53	1,16,25,04	(-) 27,81,32
अनुपूरक	1,58,51		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			32,64,30

टीका एवं टिप्पणियाँ-
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 27,81.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 1,53.59 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 2.51 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 2.41 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,58.51 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 32,64.30 लाख), अंतिम बचत (₹ 27,81.32 लाख) से ₹ 4,82.98 लाख अधिक था ।

अनुदान संख्या - 38 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण		
02	स्टाम्प-न्यायिकेतर		
101	स्टाम्प की लागत (गैर-योजना)		
0001	1,54.18	1,50.56	(-) 3.62
	केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत		
	मूल 3,00.00		
	पुनर्वि० (-) 1,45.82		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
2039	राज्य उत्पाद शुल्क		
00			
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	3,70.30	3,69.92	(-) 0.38
	मूल 5,60.25		
	अनुपूरक 2.41		
	पुनर्वि० (-) 1,92.36		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0002	39,74.35	38,97.22	(-) 77.13
	मूल 60,85.94		
	अनुपूरक 45.00		
	पुनर्वि० (-) 21,56.59		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0007	0.00	0.00	0.00
	मूल 20.00		
	पुनर्वि० (-) 20.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

अनुदान संख्या - 38 - क्रमांत

(iv) अधिक व्यय (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण		
01	स्टाम्प-न्यायिक		
101	स्टाम्प की लागत (गैर-योजना)		
0001	केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत	9.58	1,81.37
	अनुपूरक	9.59	(+) 1,71.79
	पुनर्वि०	(-) 0.01	
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
02	स्टाम्प न्यायिकेतर		
101	स्टाम्प की लागत (गैर-योजना)		
0002	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत	1,61.00	2,48.00
	मूल	62.00	(+) 87.00
	अनुपूरक	99.00	
	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

**अनुदान संख्या - 39 - आपदा प्रबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
दत्तमत :			
मूल	8,18,83,35	8,31,01,35	3,46,46,23 (-) 4,84,55,12
अनुपूरक	12,18,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			3,79,22,33
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
दत्तमत :			
मूल	3,00,00	3,00,00	31,21 (-) 2,68,79
अनुपूरक	शून्य		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			2,60,67
टीका एवं टिप्पणियाँ -			
राजस्व (दत्तमत)			
(i)	₹ 4,84,55.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 3,72.29 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 7,11.52 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 1,34.19 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,18.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।		
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,79,22.33 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,84,55.12 लाख) से ₹ 1,05,32.79 लाख कम था।		

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
00			
106	सिविल रक्षा		
योजना	(केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0608	नागरिक सुरक्षा संगठन का सम्बर्द्धन	2,92.16	2,92.16
	अनुपूरक	3,95.98	
	पुनर्वि०	(-) 1,03.82	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
01	पुनर्वास		
200	अन्य राहत उपाय (गैर-योजना)		
0003	शीत लहर से बचाव हेतु उपाय	42.95	37.74
	मूल	50.00	
	अनुपूरक	50.00	
	पुनर्वि०	(-) 57.05	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
01	सूखा		
101	आनुग्रहिक राहत (गैर-योजना)		
0001	निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान	0.00	0.00
	मूल	25,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 25,00.00	
0002	खाद्यान्न की आपूर्ति	0.00	0.00
	मूल	10,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 10,00.00	
	उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0005	अन्य कार्य	4.60	2.89
	मूल	5,00.00	
	अनुपूरक	(-) 4,95.40	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0006	अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	0.00	0.00
	मूल	13,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 13,00.00	
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 ट्रकों एवं टैंकरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति मूल 5,00.00 पुनर्वि० (-) 5,00.00	0.00	0.00	0.00
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
104 चारे की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 चारे की पूर्ति मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
105 पशु चिकित्सा (गैर-योजना)			
0001 पशुओं के लिए दवा मूल 50.00 पुनर्वि० (-) 50.00	0.00	0.00	0.00
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
282 लोक स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0002 जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मत मूल 5,00.00 पुनर्वि० (-) 5,00.00	0.00	0.00	0.00
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
02 बाढ़, चक्रवात आदि			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यवस्था मूल 3,00.00 पुनर्वि० (-) 2,33.67	66.33	64.83	(-) 1.50
प्रत्याशित बचत पूर्व चेतावनी प्रणाली विशेषज्ञ का चयन नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
101 आनुग्रहिक राहत (गैर-योजना)			
0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नकद भुगतान मूल 30,00.00 पुनर्वि० (-) 27,64.22	2,35.78	1,95.42	(-) 40.36

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0002	खाद्यान्न की आपूर्ति	3,60.52	1,06.13	(-) 2,54.39
	मूल	1,00,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 96,39.48		
0003	संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	2,63.85	2,42.56	(-) 21.29
	मूल	7,00.00		
	अनुपूरक	(-) 4,36.15		
	उपरोक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0004	प्रभावितों को वस्त्र एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	80.87	80.87	0.00
	मूल	10,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 9,19.13		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0005	आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान	4,10.38	3,33.07	(-) 77.31
	मूल	5,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 89.62		
0006	आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	2,82.88	1,98.99	(-) 83.89
	मूल	15,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 12,17.12		
0007	आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान	4,22.58	2,99.68	(-) 1,22.90
	मूल	10,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 5,77.42		
	उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0008	आग लगने से प्रभावितों को औषधियों की आपूर्ति	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-) 50.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0010	वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	1,96.00	1,58.00	(-) 38.00
	मूल	2,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 4.00		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0011 नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पयात भाग का क्षरण मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-) 2,00.00	0.00	0.00	0.00
0012 विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक क्विंटल खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार मूल 5,34.00 पुनर्वि० (-) 5,34.00	0.00	0.00	0.00
102 उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 पेयजल की आपूर्ति मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-) 1,79.12	20.88	0.99	(-) 19.89
104 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। चारे की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 चारे की पूर्ति मूल 2,50.00 पुनर्वि० (-) 2,50.00	0.00	0.00	0.00
105 संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। पशु चिकित्सा (गैर-योजना)			
0001 पशुओं के लिए दवा मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-) 2,00.00	0.00	0.00	0.00
106 संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना (गैर-योजना)			
0001 क्षतिग्रस्त सड़कों-पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना मूल 20,00.00 पुनर्वि० (-) 17,75.34	2,24.66	2,24.66	0.00
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
109	खराब जल-पूर्ति, जल-निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना (गैर-योजना)		
0001	क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल-प्रवाह प्रणाली की मरम्मती एवं पुनःस्थापना मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-) 17.26	1,82.74	35.75
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(-) 1,46.99
112	जनसंख्या का निष्क्रमण (गैर-योजना)		
0002	जनसंख्या का निष्क्रमण मूल 50,00.00 पुनर्वि० (-) 35,34.96	14,65.04	10,24.93
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(-) 4,40.11
0003	आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव तथा निष्क्रमण संयंत्रों का क्रय मूल 3,00.00 पुनर्वि० (-) 2,64.70	35.30	35.30
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		0.00
0004	संचार उपकरणों का क्रय मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 1,00.00	0.00	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		0.00
योजना	(राज्य योजना)		
0104	संचार उपकरणों का क्रय मूल 9,10.00 पुनर्वि० (-) 8,00.64	1,09.36	99.84
	प्रत्याशित बचत जल संसाधन विभाग द्वारा मोटर बोटों की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(-) 9.52
113	घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता (गैर-योजना)		
0001	बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/पुनःस्थापना मूल 50.00 पुनर्वि० (-) 45.82	4.18	4.18
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		0.00

शीर्ष	अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल अनुदान			
0003	अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनःस्थापना मूल 5,00.00 पुनर्वि० (-) 3,05.46	1,94.54	1,90.04	(-) 4.50
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
114	कृषि लागतों के क्रय हेतु किसानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) मूल 5,00.00 पुनर्वि० (-) 4,78.49	21.51	17.44	(-) 4.07
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0002	वार्षिक फसलों के लिए सहायता मूल 50.00 पुनर्वि० (-) 50.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0003	कृषि फसलों के लिए सहायता मूल 50.00 पुनर्वि० (-) 39.53	10.47	0.16	(-) 10.31
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
115	भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता मूल 50.00 पुनर्वि० (-) 50.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 44.26	55.74	55.74	0.00
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0003	जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 98.20	1.80	0.90	(-) 0.90
118	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। मछली पकड़ने के लिए खराब किशितयों तथा उपकरण की मरम्मत/प्रतिस्थापना के लिए सहायता (गैर योजना)			
0001	क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मती/नये नावों का निर्माण मूल 6,00.00 पुनर्वि० (-) 3,02.94	2,97.06	2,65.37	(-) 31.69
122	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यों का मरम्मत तथा पुनःस्थापना (गैर-योजना)			
0001	क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली तथा बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मती मूल 5,00.00 पुनर्वि० (-) 4,95.26	4.74	4.74	0.00
282	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। लोक स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0001	मानव दवाओं की आपूर्ति मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-) 2,00.00	0.00	0.00	0.00
0003	चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पी०ओ०एल० की आपूर्ति मूल 1,00.00 पुनर्वि० (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00
0004	उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)। कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति मूल 44.00 पुनर्वि० (-) 43.44	0.56	0.00	(-) 0.56
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)		
0008	क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु मूल 2,33.00 पुनर्वि० (-) 1,04.00	1,29.00	6.93
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(-) 1,22.07
80	<i>सामान्य</i>		
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना मूल 5,28.26 पुनर्वि० (-) 2,06.01	3,22.25	3,01.42
			(-) 20.83
0002	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मूल 2,95.67 अनुपूरक 25.50 पुनर्वि० (-) 45.37	2,75.80	2,74.46
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(-) 1.34
योजना	(राज्य योजना)		
0103	आपदा प्रबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण मूल 2,91.53 पुनर्वि० (-) 1,53.73	1,37.80	1,37.80
	प्रत्याशित बचत कार्यकारी कार्य विभाग द्वारा मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।		0.00
102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध (गैर-योजना)		
0007	शताब्दी अन्न कलश योजना का प्रबंधन मूल 10,00.00 पुनर्वि० (-) 10,00.00	0.00	0.00
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		0.00
योजना	(राज्य-योजना)		
0104	राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स मूल 16,00.00 पुनर्वि० (-) 13,09.32	2,90.68	2,90.68
	प्रत्याशित बचत राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स के सभी कर्मियों का योगदान नहीं दिए जाने के कारण हुई ।		0.00
0105	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण मूल 5,65.00 पुनर्वि० (-) 5,07.44	57.56	57.45
	प्रत्याशित बचत आपातकालीन संचालन केन्द्र हेतु मशीन एवं उपस्कर क्रय नहीं होने तथा जिलों द्वारा आपातकालीन संचालन केन्द्र के निर्माण हेतु मांग नहीं किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		(-) 0.11

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-) 50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए विशेषज्ञ का चयन नहीं किए जाने के कारण हुई ।			

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 2,68.79 लाख के अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 3,00.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,60.67 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,68.79 लाख) से ₹ 8.12 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0104 वेयर हाउस	39.33	31.21	(-) 8.12
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	(-) 2,60.67		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

(vii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
05 राज्य आपदा रिस्पॉस निधि			
101 आरक्षित निधि और जमा लेखों को अंतरण-राज्य आपदा रिस्पॉस निधि (गैर-योजना)			
0001 प्राकृतिक आपदा कोष	3,68,77.00	5,44,37.50	(+), 1,75,60.50
मूल	3,68,77.00		
अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
80 सामान्य			
102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध (गैर-योजना)			
0005 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	4,05.06	6,09.57	(+), 2,04.51
मूल	5,00.00		
अनुपूरक	6,71.72		
पुनर्वि०	(-) 7,66.66		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0102 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	2,70.09	2,89.07	(+), 18.98
मूल	11,40.00		
पुनर्वि०	(-) 8,69.91		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

(viii) आपदा राहत निधि/राज्य आपदा रिस्पॉस निधि

सकल बजट बनाने की पद्धति के अधीन विधानमंडल में उपस्थापित अनुदानों की माँग व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि के लिए होती है। फलतः वसूली की राशि, जिसे लेखे में व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया जाता है, को उपेक्षित किया जाता है एवं बजट में माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। योजना में निर्धारित किए गए बजट एवं लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार भी जितना राहत व्यय निधि से वित्त पोषित किया जाता है, उसे राज्य सरकार के अनुदानों की माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। इसके विपरीत, सकल राशि में से जितना राहत व्यय (₹ 3,68,77.00 लाख) राज्य आपदा रिस्पॉस निधि से वित्त पोषित किया जाता था, उसे घटाने के बाद निकले निवल राशि के लिए अनुदान प्राप्त किया गया था।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

नौवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की एक योजना बनाई, जो वित्तीय वर्ष 1990-91 से लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी रही। दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1995-96 से आपदा राहत निधि की योजना को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अंत तक जारी रखा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक कुछ संशोधनों के साथ आपदा राहत निधि योजना को पुनः जारी रखने की अनुशंसा की। तदोपरान्त, बारहवें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना का परिचालन एवं प्रशासन वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक जारी रखा। भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32-3/2010-एन०डी०एम०-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को अंगीभूत करते हुए राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुभाग 46 (I) एवं 48 (I) (क) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक जारी रहेगी। इस योजना के तहत राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया। 31 मार्च 2010 को आपदा राहत निधि के अवशेष राशि का स्थानान्तरण राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि में किया गया और आपदा राहत निधि का अस्तित्व 01/04/2010 से समाप्त हो गया।

इस योजना के अनुसार, इस निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार किया जाएगा, जबतक भारत सरकार द्वारा अन्यथा कोई निदेश जारी न की जाय :-

- (क) केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियाँ,
- (ख) नीलाम किए गए खजाना बिल,
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा।

बिहार के राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अंशदान की राशि निम्नवत होगी :-

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
	(₹ करोड़ में)					
केन्द्र का हिस्सा (75%)	250.87	263.41	276.58	290.41	304.93	1386.20
राज्य का हिस्सा (25%)	83.62	87.80	92.19	96.80	101.64	462.05
कुल -	334.49	351.21	368.77	387.21	406.57	1848.25

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये एस०डी०आर०एफ० में वार्षिक अंशदान के लिये केन्द्रांश की प्रथम एवं द्वितीय किश्त के मद में कुल ₹ 250.87 करोड़ (प्रत्येक किश्त ₹ 125.4350 करोड़) क्रमशः दिनांक 30/06/2010 एवं 13/09/2010 को विमुक्त की गई तथा राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश संख्या 1026 दिनांक 31/03/2011 के द्वारा राज्यांश ₹ 83.62 करोड़ सहित कुल राशि ₹ 334.49 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में जमा अंतरण हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया, जिसे राज्य सरकार के पत्र सं० 3828 दिनांक 15/11/2011 द्वारा समुचित सूचना प्राप्त होने के उपरांत वर्ष 2011-12 में

अनुदान संख्या - 39 - क्रमांत

एस०डी०आर०एफ० में जमा अंतरण किया गया। राज्य सरकार के पत्रांक 1025(ए) और 1025 दिनांक 31/03/2011 के द्वारा क्रमशः ₹ 44.53041 करोड़ तथा ₹ 10.51556 करोड़ आपदा राहत पर हुए व्यय को एस०डी०आर०एफ० के नामे अंतरण हेतु सूचित किया गया, जिसे राज्य सरकार के पत्रांक 3828 दिनांक 15/11/2011 द्वारा समुचित सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत वर्ष 2011-12 में एस०डी०आर०एफ० के नामे अंतरण किया गया। पुनः राज्य सरकार के पत्र सं० 2584 दिनांक 05/08/2011 के द्वारा ₹ 430.54573 करोड़, पत्रांक 3346 दिनांक 23/09/2011, द्वारा ₹ 14.4907377 करोड़, पत्रांक 1069 दिनांक 30/03/2012 के द्वारा ₹ 10.2795666 करोड़ एवं पत्रांक 1070 दिनांक 30/03/2012 द्वारा ₹ 31.8102263 करोड़ एस०डी०आर०एफ० के नामे अंतरण करने हेतु डेबिट नोट प्राप्त हुआ। तदनुसार उपर्युक्त राशि वर्ष 2011-12 के दौरान एस०डी०आर०एफ० के नामे अंतरण किया गया। पुनः भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त के मद में, प्रत्येक किश्त ₹ 131.705 करोड़ विमुक्त किया गया, किन्तु राज्य सरकार द्वारा मात्र प्रथम किश्त हेतु राज्य अंशदान ₹ 43.90 करोड़ कुल ₹ 175.605 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में अंतरण क्रेडिट करने की स्वीकृति पत्रांक 1033 दिनांक 28/03/2012 के द्वारा दी गई। तदनुसार ₹ 175.605 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में अंतरण क्रेडिट किया गया।

जैसा कि योजना के अंतर्गत अपेक्षित है, निधि के संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी है, राहत व्यय के लिए निधि से आवश्यक सहायता का निर्धारण समिति करती है। राहत व्यय के लिए प्रावधान राज्य सरकार के बजट में किया जाना है, निधि से वित्त पोषित किये जाने वाले राहत व्यय को समिति द्वारा तय हद तक निधि में अंतरित किया जाता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा रिस्पाँस निधि (एन०डी०आर०एफ०) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार को एस०डी०आर०एफ० में एन०डी०आर०एफ० से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अंतरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस०डी०आर०एफ० निधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा रिस्पाँस निधि से ₹ 3,68.01 करोड़ दिनांक 12/11/2011 को विमुक्त किया, यद्यपि राज्य सरकार ने पत्रांक 1024 दिनांक 31/03/2011 के द्वारा उक्त राशि के जमा हेतु स्वीकृति निर्गत किया गया, परन्तु राज्य सरकार के पत्रांक 3828 दिनांक 15/11/2011 द्वारा समुचित सूचना प्राप्त होने के उपरांत इस राशि को वर्ष 2011-12 में एस०डी०आर०एफ० में अंतरण क्रेडिट किया गया।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि ₹ 276.58 करोड़ (प्रत्येक किश्त ₹ 138.29 करोड़) एस०डी०आर०एफ० के लिए विमुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा भी राज्यांश के रूप में प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि ₹ 92.19 करोड़ (प्रत्येक किश्त ₹ 46.095 करोड़) विमुक्त किया गया। तदनुसार केन्द्रांश ₹ 276.58 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 92.19 करोड़, कुल ₹ 368.77 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में जमा किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹ 131.705 करोड़ (द्वितीय किश्त) एस०डी०आर०एफ० के लिए विमुक्त किया गया। जबकि राज्य सरकार के पत्रांक 187 दिनांक 13/07/2012 द्वारा आवश्यक स्वीकृति एवं तदनुसार राज्यांश की राशि ₹ 43.90 करोड़ के प्राप्त होने पर, कुल राशि ₹ 175.605 करोड़ को वर्ष 2012-13 के दौरान एस०डी०आर०एफ० में जमा किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 43.6198086 करोड़, ₹ 62.4365504 करोड़, ₹ 37.4776559 करोड़, ₹ 91.2026552 करोड़ तथा ₹ 33.7020374 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 268.4387075 करोड़ के डेबिटों के समायोजनों के पश्चात् वर्ष 2012-13 के अंत तक एस०डी०आर०एफ० का शेष ₹ 1792.3765119 करोड़ था।

अनुदान संख्या - 40 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
2029 भू-राजस्व			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075 विविध सामान्य सेवाएं			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			

दत्तमत :

मूल	4,46,82,00	4,84,77,95	4,12,25,66	(-) 72,52,29
अनुपूरक	37,95,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				66,42,57

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	44,22,21	48,22,21	17,47,90	(-) 30,74,31
अनुपूरक	4,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				29,71,59

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 72,52.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 36,69.39 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 85.90 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 40.66 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 37,95.95 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 66,42.57 लाख), अन्तिम बचत (₹ 72,52.29 लाख) से ₹ 6,09.72 लाख कम था ।

अनुदान संख्या – 40 – क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2014 न्याय प्रशासन			
00			
106 लघुवाद न्यायालय (गैर-योजना)			
0003 बिहार भूमि न्यायाधिकरण	1,10.61	1,10.61	0.00
अनुपूरक	1,34.91		
पुनर्वि०	(-) 24.30		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
2029 भू-राजस्व			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0102 जोतों की चकबंदी	9,59.50	9,35.25	(-) 24.25
मूल	20,18.00		
पुनर्वि०	(-) 10,58.50		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
102 सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य योजना (राज्य योजना)			
0101 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	19,84.14	19,60.16	(-) 23.98
मूल	32,66.90		
पुनर्वि०	(-) 12,82.76		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
103 भू-अभिलेख (गैर-योजना)			
0001 भू-अभिलेख स्थापना	6,78.08	6,68.90	(-) 9.18
मूल	7,69.45		
पुनर्वि०	(-) 91.37		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण एवं भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण योजना	10,96.44	10,96.44	0.00
अनुपूरक	13,97.58		
पुनर्वि०	(-) 3,01.14		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या – 40 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0104 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण एवं भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण योजना	6,30.22	6,30.22	0.00
मूल	7,20.22		
पुनर्वि०	(-) 90.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध (गैर-योजना)			
0001 राजस्व प्रशासन पर व्यय	3,26,18.04	3,21,66.24	(-) 4,51.80
मूल	3,41,63.29		
अनुपूरक	17,59.59		
पुनर्वि०	(-) 33,04.84		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0002 हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण	5,27.90	4,52.78	(-) 75.12
मूल	3,98.00		
अनुपूरक	1,36.70		
पुनर्वि०	(-) 6.80		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0003 जोतों की चकबंदी	2,34.01	2,32.19	(-) 1.82
मूल	3,60.98		
पुनर्वि०	(-) 1,26.97		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
099 राजस्व बोर्ड (गैर-योजना)			
0001 राजस्व पर्षद	2,63.26	2,61.61	(-) 1.65
मूल	2,80.63		
अनुपूरक	18.50		
पुनर्वि०	(-) 35.87		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या – 40 – क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0022 बिहार राज्य मेला प्राधिकार	3.28	3.24	(-) 0.04
मूल	42.31		
पुनर्वि०	(-) 39.03		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
01 जनगणना			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0402 कृषि गणना	25.70	25.68	(-) 0.02
मूल	58.82		
पुनर्वि०	(-) 33.12		
प्रत्याशित बचत राजकीय प्रेस से मुद्रण विपत्र की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
101 जनगणना आकड़ों का कम्प्यूटरीकरण (गैर-योजना)			
0002 जनगणना स्थापना-2011	2,63.27	2,37.98	(-) 25.29
अनुपूरक	2,90.53		
पुनर्वि०	(-) 27.26		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या – 40 – क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹ 30,74.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 4,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 29,71.59 लाख), अंतिम बचत (₹ 30,74.31 लाख) से ₹ 1,02.72 लाख कम था ।

(vi) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
00			
050	भूमि		
योजना	(राज्य योजना)		
0104	सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	4,65.18	3,93.54
	मूल	9,25.62	
	अनुपूरक	3,80.00	
	पुनर्वि०	(-) 8,40.44	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
051	निर्माण		
योजना	(राज्य योजना)		
0104	भूमि सुधार उप-समाहर्ताओं के न्यायालय कक्ष का निर्माण	1,21.80	1,21.80
	मूल	1,36.21	
	पुनर्वि०	(-) 14.41	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	12,35.94	12,32.56
	मूल	32,86.00	
	पुनर्वि०	(-) 20,50.06	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
0103	सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	27.70	0.00
	मूल	74.38	
	अनुपूरक	20.00	
	पुनर्वि०	(-) 66.68	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		

अनुदान संख्या - 41 - पथ निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व मुख्य शीर्ष			
3054 सड़क तथा सेतु			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत:			
मूल	6,64,50,78	6,64,50,79	(-) 1,09,31,94
अनुपूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			88,61,69

पूँजी
मुख्य शीर्ष

5054 सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :			
मूल	38,10,63,00	43,36,30,63	(-) 10,45,19,29
अनुपूरक	5,25,67,63		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			10,32,64,78

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 1,09,31.94 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 88,61.69 लाख), अन्तिम बचत (₹ 1,09,31.94 लाख) से ₹ 20,70.25 लाख कम था।

संख्या - 41 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3054 सड़क तथा सेतु			
03 राजकीय राजमार्ग			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 क्षमता विकास (बाह्य सम्पोषित)	56.00	56.00	0.00
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	(-) 2,44.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
052 मशीनरी तथा उपस्कर (गैर-योजना)			
0001 मशीनरी तथा उपस्कर	2,39.88	2,23.51	(-) 16.37
मूल	4,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,60.12		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
103 रख-रखाव एवं मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 कार्यभारित व्यय	6,48.88	6,48.29	(-) 0.59
मूल	8,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,51.12		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 पर्यवेक्षण	1,72,92.47	1,70,29.57	(-) 2,62.90
मूल	2,19,39.87		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	(-) 46,47.41		
प्रत्याशित तथा अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0006 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना-निदेशन	20,71.86	0.00	(-) 20,71.86
मूल	50,00.00		
पुनर्वि०	(-) 29,28.14		
प्रत्याशित तथा अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0010 बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण	45.96	45.85	(-) 0.11
मूल	77.14		
पुनर्वि०	(-) 31.18		
प्रत्याशित तथा अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

00

090 सचिवालय
(गैर-योजना)

0014 पथ निर्माण विभाग 1,95.04 1,94.22 (-) 0.82

मूल 2,64.31

पुनर्वि० (-) 69.27

प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹ 10,45,19.29 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 5,25,67.63 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित रखा जा सकता था।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,32,64.78 लाख), अन्तिम बचत (₹ 10,45,19.29 लाख) से ₹ 12,54.51 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

5054 सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय

02 महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें

337 सड़क कार्य

योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना)

0601 भारत-नेपाल सीमा सड़क 0.00 0.00 0.00

मूल 2,00,00.00

पुनर्वि० (-)2,00,00.00

संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से प्राप्त सुझाव के कारण हुई जिसके अनुसार योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का व्यय बजट प्रावधान से न होकर भारत सरकार से बैंक खाता में प्राप्त राशि से किया जाना था।

योजना (राज्य योजना)

0101 भारत-नेपाल सीमा सड़क 66,50.00 43,22.50 (-) 23,27.50

मूल 66,50.00

अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

शीर्ष	अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
03 राजकीय राजमार्ग			
101 सेतु			
योजना (राज्य योजना)			
0104 मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	1,60,84.00	1,53,14.30	(-) 7,69.70
मूल	4,00,00.00		
पुनर्वि०	(-) 2,39,16.00		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
337 सड़क निर्माण कार्य			
योजना (राज्य योजना)			
0107 राष्ट्रीय सम विकास योजना	4,42,00.00	4,42,00.00	0.00
मूल	7,84,23.92		
अनुपूरक	15,76.08		
पुनर्वि०	(-) 3,58,00.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0109 बाजार एवं पार्श्ववर्ती क्षेत्रों से जोड़े जाने हेतु	50,00.00	44,66.45	(-) 5,33.55
सड़कों एवं पुलों का निर्माण (बिहार व्यापार			
विकास कोष से)			
मूल	1,00,00.00		
पुनर्वि०	(-) 50,00.00		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 वृहद् सड़कें	79,99.94	56,63.60	(-) 23,36.34
मूल	2,25,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,45,00.06		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
80 सामान्य			
003 प्रशिक्षण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 प्रशिक्षण एवं शोध	50.00	42.34	(-) 7.66
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 50.00		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(vii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

5054 सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय

03 राजकीय राजमार्ग

052 मशीनरी तथा उपस्कर

योजना (राज्य योजना)

0101	मशीनरी तथा उपस्कर	10.41	18.07	(+)	7.66
	मूल	50.00			
	पुनर्वि०	(-) 39.59			

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।

(viii) **उचंत लेन-देन :** (क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 5173.88 लाख (निवल) का उपयोग उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघुशीर्ष उचंत के चार उप-प्रभाग होते हैं, यथा -(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचंत।

प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देनों की प्रकृति निम्नलिखित है -

(i) **स्टॉक :-** इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गयी सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक में रखी गयी सामग्रियों के मूल्य का सूचक है।

(ii) **क्रय :-** जब मास के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किये बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, उसका मूल्य यथा स्थिति लेखा के उस विशिष्ट “कार्य” शीर्ष में या “स्टॉक” उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर क्रय में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि का “क्रय” शीर्ष में नामे डालकर प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यदि यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है तो यह प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को “8658-उचंत लेखा, 129-सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा” में दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा - भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पहले के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

(iii) **विविध निर्माण कार्य अग्रिम :-** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय की गई राशि, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष अंतर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमांत

(iv) **कार्यशाला उचंत :-** (क) लोक निर्माण विभाग के विभागीय कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार, उनकी वसूली या उनके समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं ।

(ख) इनमें से प्रत्येक उप-प्रभागों के अन्तर्गत 2012-13 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अंतशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2012 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2013 को अंतशेष
(₹ लाख में)					
(i) 3054 - सड़क तथा सेतु					
क्रय	(-) 40,47.20	(-)40,47.20
स्टॉक	(-) 6,90.43	(-) 6,90.43
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	26,35.99	54.13	...	54.13	26,90.12
जोड़	(-)21,01.64	54.13	...	54.13	(-)20,47.51

(ii) 5054- सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय

क्रय	(-) 4.43	(-) 4.43
स्टॉक
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 26,29.19	35,76.27	...	35,76.27	62,05.46
जोड़	(-)26,24.76	35,76.27	...	35,76.27	62,01.03

(ix) **पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा :-** लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय, सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2010-11 से 2012-13 के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता (₹ लाख में)
2010-11	45,08,91.48	1,78,13.73	3.95	7,10.47	0.16
2011-12	45,94,64.87	2,75,67.89	5.99	6,99.98	0.15
2012-13	27,86,33.49	1,67,18.00	5.99	2,41.58	0.09

अनुदान संख्या - 42 - ग्रामीण विकास विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2216 आवास			
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505 ग्राम रोजगार			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			

दत्तमत :

मूल	17,41,32,68	18,75,80,30	14,53,36,25	(-) 4,22,44,05
अनुपूरक	1,34,47,62			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				3,74,71,43

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	5,00,00	5,00,00	3,02,68	(-) 1,97,32
अनुपूरक	शून्य			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				1,72

टीका एवं टिप्पणियाँ -

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 4,22,44.05 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 4,33.72 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 1,30,13.90 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,34,47.62 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,74,71.43 लाख), अन्तिम बचत (₹ 4,22,44.05 लाख) से ₹ 47,72.62 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2216 आवास			
03 ग्रामीण आवास			
105 इंदिरा आवास योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बीपीएल कार्य	39,60.00	39,60.00	0.00
मूल	1,20,00.00		
पुनर्वि०	(-) 80,40.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0104 इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण	12,69.93	12,36.61	(-) 33.32
एवं तकनीकी सहयोग			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि०	(-) 7,30.07		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0105 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास	0.00	0.00	0.00
जीर्णोद्धार योजना			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 10,00.00		
0106 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास	0.00	0.00	0.00
प्रोत्साहन योजना			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 10,00.00		
उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 इंदिरा आवास योजना	3,45,99.11	2,93,85.30	(-) 52,13.81
मूल	2,82,95.37		
अनुपूरक	78,08.34		
पुनर्वि०	(-) 15,04.60		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय + बचत -
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
001	निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)		
0104	बिजिनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग	1,13.28	1,13.28
	मूल 10,00.00		
	पुनर्वि० (-) 8,86.72		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
101	जिला ग्राम विकास एजेंसियों को आर्थिक सहायता योजना (राज्य योजना)		
0103	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-डी०आर०डी०ए० प्रशासन	9,42.74	9,17.27
	मूल 12,00.00		
	पुनर्वि० (-) 2,57.26		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
02	सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम		
101	लघु सिंचाई योजना (राज्य योजना)		
0101	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम	19.55	4.21
	मूल 43.30		
	पुनर्वि० (-) 23.75		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
06	स्वरोजगार कार्यक्रम		
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)		
0101	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	16,19.68	15,46.53
	मूल 69,60.00		
	पुनर्वि० (-) 53,40.32		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796 जन जातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	27,29.65	16,74.17	(-) 10,55.48
मूल 50,40.00			
पुनर्वि० (-) 23,10.35			
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
2505 ग्राम रोजगार			
01 राष्ट्रीय कार्यक्रम			
701 राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम योजना (राज्य योजना)			
0102 मुख्यालय स्थापना	1,96.06	1,96.05	(-) 0.01
मूल 2,35.00			
पुनर्वि० (-) 38.94			
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
00			
003 प्रशिक्षण योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	0.00	0.00	0.00
मूल 4,10.00			
पुनर्वि० (-) 4,10.00			
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
102 सामुदायिक विकास (गैर-योजना)			
0001 प्रखण्ड स्थापना	2,23,09.51	2,12,32.81	(-) 10,76.70
मूल 2,39,37.39			
अनुपूरक 4,33.68			
पुनर्वि० (-) 20,61.56			
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
3451 सचिवालय- आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0010 ग्रामीण विकास विभाग	5,21.24	5,26.15	(+) 4.90
मूल 7,11.31			
अनुपूरक 0.04			
पुनर्वि० (-) 1,90.11			
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जो इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत प्रावधानित था ₹ 1,97.32 लाख से अधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1.72 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,97.32 लाख) से ₹ 1,95.60 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत : निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय
00

103 ग्राम विकास
योजना (राज्य योजना)

0102	प्रखण्ड लघु निर्माण कार्य	4,98.28	3,02.68	(-) 1,95.60
	मूल	5,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 1.72		

प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

- (vii) अधिक व्यय (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत : निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	--------------------------

2216 आवास

03 ग्रामीण आवास

796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
योजना (राज्य योजना)

0102	इंदिरा आवास योजना	69,16.63	81,93.72	(+) 12,77.09
	मूल	1,75,89.00		
	पुनर्वि०	(-) 1,06,72.37		

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

2501 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

06 स्वरोजगार कार्यक्रम

101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
योजना (राज्य योजना)

0101	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	69,60.93	79,90.69	(+) 10,29.76
	मूल	1,20,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 50,39.07		

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

अनुदान संख्या - 43 - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2203 तकनीकी शिक्षा				
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं				
दत्तमत :				
मूल	63,31,25	67,36,25	63,52,45	(-) 3,83,80
अनुपूरक	4,05,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				7,69,60

पूँजी
मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :				
मूल	48,97,00	1,73,97,00	80,58,08	(-) 93,38,92
अनुपूरक	1,25,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				1,03,37,58

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 3,83.80 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 3,03.75 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 1,01.25 लाख)में प्राप्त किया गया ₹ 4,05.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,69.60 लाख), अन्तिम बचत (₹ 3,83.80 लाख) से ₹ 3,85.80 लाख अधिक था ।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2203 तकनीकी शिक्षा			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 तकनीकी शिक्षा निदेशालय	2,42.09	2,34.55	(-) 7.54
मूल	2,79.40		
पुनर्वि०	(-) 37.31		
105 पॉलीटेक्निक योजना (राज्य योजना)			
0101 स्नातक स्तर पाठ्यक्रम (विश्व बैंक सम्पोषित)-पॉलीटेक्निक शिक्षा की सुदृढीकरण परियोजना	38.24	36.56	(-) 1.68
मूल	63.21		
पुनर्वि०	(-) 24.97		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
112 अभियंत्रण/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान योजना (राज्य योजना)			
0101 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	1,50.20	1,50.20	0.00
मूल	1,98.91		
पुनर्वि०	(-) 48.71		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0003 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	73.23	72.27	(-) 0.96
मूल	94.92		
पुनर्वि०	(-) 21.69		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 93,38.92 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 1,23,00.00 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 2,00.00 लाख) में प्राप्त किया ₹ 1,25,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,03,37.58 लाख), अन्तिम बचत (₹ 93,38.92 लाख) से ₹ 9,98.66 लाख अधिक था ।
- (vi) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
02 तकनीकी शिक्षा			
104 पॉलीटेक्निक योजना (राज्य योजना)			
0102 पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	5,29.98	5,29.98	0.00
मूल	6,51.00		
पुनर्वि०	(-) 1,21.02		
			प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान योजना (राज्य योजना)			
0102 पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	14,29.44	13,28.10	(-) 1,01.34
मूल	17,51.00		
पुनर्वि०	(-) 3,21.56		
			प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	0.00	0.00	0.00
मूल	24,95.00		
पुनर्वि०	(-) 24,95.00		
			सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना उद्ध्यय के पुनरीक्षण के कारण हुई ।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमांत

(vii) अधिक व्यय (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2203 तकनीकी शिक्षा			
00			
004 अनुसंधान योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना रिमोट सेंसिंग केन्द्र/इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर, प्लेनेटोरियम, पटना	4,87.31	7,31.91	(+),2,44.60
मूल	8,57.00		
पुनर्वि०	(-) 3,69.69		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
103 तकनीकी विद्यालय (गैर-योजना)			
0001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	71.43	72.84	(+),1.41
मूल	1,02.94		
पुनर्वि०	(-) 31.51		
प्रत्याशित बचत विभिन्न शीर्षों में प्रत्यर्पण के द्वारा पुनर्विनियोग किये जाने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
104 अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	0.00	2,00.00	(+),2,00.00
बिना बजट प्रावधान के किये गये व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
(viii) अधिक व्यय (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
02 तकनीकी विद्यालय			
104 पॉलीटेक्निक योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0403 नये पॉलीटेक्निकों की स्थापना एवं वर्तमान पॉलीटेक्निकों का उन्नयन/सुदृढीकरण	49,00.00	60,00.00	(+),11,00.00
अनूपूरक	1,23,00.00		
पुनर्वि०	(-)74,00.00		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

**अनुदान संख्या - 44 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
दत्तमत :			
मूल	10,01,88,23	11,72,13,17	9,20,55,87
अनुपूरक	1,70,24,94		(-) 2,51,57,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			2,41,85,65

**पूँजी
मुख्य शीर्ष**

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय		
दत्तमत :			
मूल	1,00,00	1,00,00	1,00,00
अनुपूरक	शून्य		0.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			शून्य

**टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) ₹ 2,51,57.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 55,00.04 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 4,27.30 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 1,10,97.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,70,24.94 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,41,85.65 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,51,57.30 लाख) से ₹ 9,71.65 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 44- क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	(₹ लाख में)
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01	अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	निदेशन तथा प्रशासन	24,17.07	24,17.07	0.00
	मूल	28,12.75		
	अनुपूरक	0.02		
	पुनर्वि०	(-) 3,95.70		
	प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 के आलोक में निधि की निकासी नहीं किए जाने तथा मांग में कमी के कारण हुई ।			
102	आर्थिक विकास योजना (राज्य योजना)			
0101	परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-) 50.00		
	संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत वर्तमान योजना उद्व्यय में परिवर्तन के कारण हुई ।			
0115	महादलित विकास हेतु	2,07,75.60	2,07,75.60	0.00
	मूल	2,92,75.60		
	अनुपूरक	20,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 1,05,00.00		
	प्रत्याशित बचत वर्तमान योजना उद्व्यय में परिवर्तन के कारण हुई ।			
0116	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	2,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 2,00.00		
	संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत वर्तमान योजना उद्व्यय में परिवर्तन के कारण हुई ।			
277	शिक्षा (गैर-योजना)			
0002	छात्रावासों का संधारण	3,51.62	3,51.62	0.00
	मूल	5,65.57		
	पुनर्वि०	(-) 2,13.95		
	प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 के आलोक में निधि की निकासी नहीं किए जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0003 आवासीय विद्यालय	49,49.89	48,50.49	(-) 99.40
मूल	58,41.80		
पुनर्वि०	(-)8,91.91		
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 के आलोक में निधि की निकासी नहीं किए जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0007 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	3,70.53	3,65.50	(-) 5.03
मूल	5,25.00		
पुनर्वि०	(-) 1,54.47		
प्रत्याशित बचत मांग की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0011 छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	46.07	46.07	0.00
मूल	1,30.00		
पुनर्वि०	(-) 83.93		
प्रत्याशित बचत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने तथा मांग में कमी के कारण हुई ।			
0012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना	78.85	78.83	(-) 0.02
मूल	1,86.47		
पुनर्वि०	(-) 1,07.62		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0606 अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक स्तर तक छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,00.00		
0609 मेरिट उन्नयन योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-) 50.00		
उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
0613 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	10,01.43	9,82.31	(-) 19.12
मूल	30,00.00		
पुनर्वि०	(-) 19,98.57		
प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0617 छात्रवृत्तियां और वृत्तियां अनुपूरक पुनर्वि०	43,34.11 54,67.24 (-) 11,33.13	36,99.53	(-) 6,34.58
प्रत्याशित बचत जिलों से मांग पत्र की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 शिक्षा मूल पुनर्वि०	4,11.60 5,00.00 (-) 88.40	4,11.60	0.00
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 के आलोक में निधि की निकासी नहीं किये जाने तथा मांग में कमी के कारण हुई (अगस्त 2013) ।			
793 अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0401 अनुसूचित जाति का बहुमुखी विकास योजना मूल पुनर्वि०	0.00 40,00.00 (-) 40,00.00	0.00	0.00
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग मूल पुनर्वि०	97.00 1,42.89 (-) 45.89	97.00	0.00
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से प्राप्त निर्देश के कारण हुई ।			
102 आर्थिक विकास योजना (राज्य योजना)			
0101 अनुसूचित जनजातियों का बहुमुखी विकास-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त मूल पुनर्वि०	0.00 11,03.00 (-) 11,03.00	0.00	0.00
0102 अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मूल अनुपूरक पुनर्वि०	0.00 12,19.00 87.00 (-) 13,06.00	0.00	0.00
उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने तथा वर्तमान उद्व्यय में परिवर्तन के कारण हुई ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 44 - क्रमांत		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल	अनुदान		
277	शिक्षा (गैर-योजना)			
0004	आवासीय विद्यालय	9,93.67	9,93.47	(-) 0.20
	मूल	12,13.34		
	पुनर्वि०	(-) 2,19.67		
	प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 के आलोक में निधि की निकासी नहीं किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	शिक्षा	4,89.89	4,89.89	0.00
	मूल	6,25.00		
	पुनर्वि०	(-) 1,35.11		
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
800	अन्य व्यय			
योजना	(गैर-योजना)			
0001	खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों के कल्याण के निमित्त विशेष योजनाएं	8.06	8.06	0.00
	मूल	40.31		
	पुनर्वि०	(-) 32.25		
	प्रत्याशित बचत संस्थान के अकार्यरत रहने के कारण हुई।			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
00				
090	सचिवालय (गैर-योजना)			
0023	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2,28.31	2,14.37	(-) 13.94
	मूल	2,83.35		
	अनुपूरक	0.02		
	पुनर्वि०	(-) 55.06		
	प्रत्याशित बचत मांग में कमी के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 45 - गन्ना उद्योग विभाग
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2059	लोक निर्माण कार्य			
2401	फसल कृषि-कर्म			
2852	उद्योग			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल	1,14,93,00	1,18,54,82	81,66,04	(-) 36,88,78
अनुपूरक	3,61,82			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				36,14,73

पूँजी
मुख्य शीर्ष

6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

दत्तमत :				
मूल	21,17	22,58,16	8,94,96	(-) 13,63,20
अनुपूरक	22,36,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				13,63,20

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 36,88.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 74.56 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 2,87.26 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,61.82 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 36,14.73 लाख), अंतिम बचत (₹ 36,88.78 लाख) से ₹ 74.05 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2401 फसल कृषि-कर्म			
00			
108 वाणिज्यिक फसलें योजना (राज्य योजना)			
0109 ईख विकास	32,02.48	32,02.48	0.00
मूल	59,16.24		
पुनर्वि०	(-) 27,13.76		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0108 ईख विकास	4,09.49	4,07.93	(-) 1.56
मूल	11,40.48		
पुनर्वि०	(-) 7,30.99		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0129 ईख विकास	37.24	36.85	(-) 0.39
मूल	71.28		
पुनर्वि०	(-) 34.04		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
2852 उद्योग			
08 उपभोक्ता उद्योग			
201 चीनी (गैर-योजना)			
0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण एक्ट-1937 से संबंधित व्यय-जिला	1,47.59	1,48.02	(+) 0.43
मूल	1,90.46		
अनुपूरक	8.25		
पुनर्वि०	(-) 51.12		
प्रत्याशित बचत योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्रावधान में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 45 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0103 आर्थिक सहायता	28,42.85	28,42.85	0.00
मूल	23,67.16		
पुनर्वि०	4,75.69		
₹ 4,75.69 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 आर्थिक सहायता	0.00	0.00	0.00
मूल	4,56.32		
पुनर्वि०	(-) 4,56.32		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 आर्थिक सहायता	0.00	0.00	0.00
मूल	28.52		
पुनर्वि०	(-) 28.52		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 13,63.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 5.99 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 22,31.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 22,36.99 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज			
04 चीनी			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज (गैर-योजना)			
0001 चीनी मिलों को कर्ज	8,94.96	8,94.96	0.00
मूल	21.17		
अनुपूरक	22,36.99		
पुनर्वि०	(-) 13,63.20		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

**अनुदान संख्या - 46 - पर्यटन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3452	पर्यटन			
दत्तमत :				
मूल		17,41,28	27,86,52	26,86,26
अनुपूरक		10,45,24		(-) 1,00,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				98,63

पूँजी

मुख्य शीर्ष

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल		26,06,66	79,06,66	78,59,18	(-) 47,48
अनुपूरक		53,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)					शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ -

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 1,00.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 10,28.90 लाख), नवम्बर 2012 (₹ 10.04 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 6.30 लाख)में प्राप्त किया गया ₹ 10,45.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 98.63 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,00.26 लाख) से ₹ 1.63 लाख कम था ।

पूँजी (दत्तमत)

- (iii) ₹ 47.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 53,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (iv) अंतिम बचत के किसी भाग का अभ्यर्पण नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या - 47 - परिवहन विभाग
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2041	वाहन कर			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
3055	सड़क परिवहन			
3075	अन्य परिवहन सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल		32,07,11	33,24,21	26,60,97
अनुपूरक		1,17,10		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				6,18,80

पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
दत्तमत :				
मूल		13,68,31	13,68,31	4,99,57
अनुपूरक		शून्य		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				8,68,74

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 6,63.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 (₹ 18.10 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 99.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,17.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,18.80 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,63.24 लाख) से ₹ 44.44 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2041 वाहन कर			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 राज्य परिवहन प्राधिकरण	4,34.18	4,34.18	0.00
मूल	5,15.72		
अनुपूरक	7.00		
पुनर्वि०	(-) 88.54		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
101 संग्रहण प्रभार (गैर-योजना)			
0001 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण	1,53.34	1,53.34	0.00
मूल	2,76.05		
अनुपूरक	0.10		
पुनर्वि०	(-) 1,22.81		
प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण हुई ।			
102 मोटर वाहनों का निरीक्षण (गैर-योजना)			
0001 मोटर वाहनों का निरीक्षण	2,11.95	1,83.85	(-) 28.10
मूल	2,97.49		
पुनर्वि०	(-) 85.54		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0035 परिवहन विभाग	98.78	98.78	0.00
मूल	1,06.43		
अनुपूरक	5.00		
पुनर्वि०	(-) 12.65		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 47 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3055	सड़क परिवहन		
00			
003	प्रशिक्षण योजना (राज्य योजना)		
0101	ड्राईविंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट	0.00	0.00
	मूल	1,54.90	
	पुनर्वि०	(-) 1,54.90	

संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

3075	अन्य परिवहन सेवाएं		
60	अन्य		
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	गंगा प्रशिक्षण कार्य	36.37	33.60
	मूल	66.14	
	पुनर्वि०	(-) 29.77	

प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 8,68.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 13,68.31 लाख का मूल प्रावधान जो इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत प्रावधानित किया गया था, अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय		
00			
051	निर्माण योजना (राज्य योजना)		
0101	जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण	1,22.91	1,22.91
	मूल	9,91.64	
	पुनर्वि०	(-) 8,68.73	

प्रत्याशित बचत जिलाधिकारियों से जिला परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।

**अनुदान संख्या - 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2015	निर्वाचन			
2215	जलापूर्ति तथा सफाई			
2217	शहरी विकास			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल	15,51,86,13	16,68,43,60	12,63,71,93	(-) 4,04,71,67
अनुपूरक	1,16,57,47			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				3,82,73,47

पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :				
मूल	2,00,00	2,00,00	2,00,00	0.00
अनुपूरक	शून्य			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				शून्य

**टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)**

- (i) ₹ 4,04,71.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 82,04.01 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 34,53.46 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,16,57.47 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,82,73.47 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,04,71.67 लाख) से ₹ 21,98.20 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2015 निर्वाचन			
00			
109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार (गैर-योजना)			
0001 नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव	15,29.46	15,26.03	(-) 3.43
मूल	40,00.00		
पुनर्वि०	(-) 24,70.54		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
01 जलापूर्ति			
191 नगर निगम को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	12,96.32	12,96.32	0.00
मूल	16,27.00		
पुनर्वि०	(-) 3,30.68		
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	3,27.27	3,27.00	0.00
मूल	4,00.00		
पुनर्वि०	(-) 72.73		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
02 मल-जल तथा सफाई			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 नाली निर्माण तथा मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	2,40.00	40.00	(-) 2,00.00
मूल	2,40.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0102 गंगा जल प्रदूषण का निवारण शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00
मूल	4,80.00		
पुनर्वि०	(-) 4,80.00		

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0104 गंगा जल प्रदूषण का निवारण	0.00	0.00	0.00
मूल 30.00			
पुनर्वि० (-) 30.00			
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की समतुल्य राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
2217 शहरी विकास			
01 राज्य की राजधानी का विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 नगरपालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	1,94.91	1,96.24	(+) 1.33
मूल 3,06.94			
पुनर्वि० (-) 1,12.03			
प्रत्याशित बचत, पदाधिकारियों के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
191 नगर निगम को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0107 शहरी समेकित विकास हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1,11.87	0.00	(-) 1,11.87
मूल 22,37.40			
पुनर्वि० (-) 21,25.53			
प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की समतुल्य राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0110 शहरी आधारभूत संरचनाओं, समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/ प्राधिकरणों एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	1,23.00	94.00	(-) 29.00
मूल 1,23.00			
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0111 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना हेतु	5,83.96	3,00.00	(-) 2,83.96
मूल 9,02.20			
पुनर्वि० (-) 3,18.24			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना हेतु	17,98.83	11,51.32	(-) 6,47.51
मूल 18,04.40			
पुनर्वि० (-) 5.57			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0103 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना हेतु	5,25.00	4,00.00	(-) 1,25.00
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 4,75.00		
उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की समतुल्य राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
191 नगर निगम को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 नगर निगमों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान	90.00	62.88	(-) 27.12
मूल	90.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0104 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना	5,12.77	4,00.00	(-) 1,12.77
मूल	9,02.20		
पुनर्वि०	(-) 3,89.43		
0107 शहरी समेकित विकास हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	6,00.86	0.00	(-) 6,00.86
मूल	22,37.40		
पुनर्वि०	(-) 16,36.54		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की समतुल्य राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
192 नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0106 शहरी आधारभूत संरचनाओं, समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/ प्राधिकरणों एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	7,38.00	5,53.50	(-) 1,84.50
मूल	7,38.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0107 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना हेतु	41,46.93	39,59.27	(-) 1,87.66
मूल	54,13.20		
पुनर्वि०	(-) 12,66.27		
प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की समतुल्य राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल अनुदान			
193	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101	नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान	54.26	54.26	0.00
	मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 45.74		
0102	नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता हेतु	38.43	38.43	0.00
	मूल	65.00		
	पुनर्वि०	(-) 26.57		
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0103	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	40,55.75	39,64.81	(-) 90.94
	मूल	44,74.80		
	पुनर्वि०	(-) 4,19.05		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0105	शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित	2,46.00	1,84.50	(-) 61.50
	मूल	2,46.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0103	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना	3,89.75	3,86.55	(-) 3.20
	मूल	7,18.00		
	पुनर्वि०	(-) 3,28.25		
	प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की समतुल्य राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (राज्य योजना)			
0101	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	52.94	52.77	(-) 0.17
	मूल	90.00		
	पुनर्वि०	(-) 37.06		
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
04 गन्दी बस्तियों का विकास			
191 नगर निगम को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 समेकित आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम	51,48.00	43,33.20	(-) 8,14.80
मूल	51,48.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
05 अन्य शहरी विकास योजनाएं			
191 नगर निगम को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 बी०पी०एल० सूची तैयार करने के लिए पारिवारिक सर्वेक्षण	0.00	0.00	0.00
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 10,00.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत योजना के शुरूआत नहीं होने के कारण हुई ।			
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार नगरीय विकास परियोजना-बाह्य संपोषित परियोजना	79,75.56	79,75.56	0.00
मूल	1,10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 30,24.44		
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार नगरीय विकास परियोजना-बाह्य संपोषित परियोजना	0.00	0.00	0.00
मूल	58,00.00		
पुनर्वि०	(-) 58,00.00		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की समतुल्य राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
192 नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	44,50.49	44,21.44	(-) 29.05
मूल	51,90.00		
पुनर्वि०	(-) 7,39.51		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0119 शहरी आधारभूत संरचनाओं, समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान मूल 9,00.00	9,00.00	6,75.00	(-) 2,25.00
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0131 अभियंत्रण कोषांग हेतु मूल 6,15.00	4,78.35	4,76.94	(-) 1.41
पुनर्वि० (-) 1,36.65			
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
0133 अल्प लागत जलवाही शौचालय मूल 50.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि० (-) 50.00			
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत, योजना के अनुमोदन नहीं होने के कारण हुई, क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन था।			
2251 सचिवालय-समाजिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0005 नगर विकास एवं आवास विभाग मूल 5,62.96	4,37.12	4,34.12	(-) 3.00
अनुपूरक 4.00			
पुनर्वि० (-) 1,29.84			
प्रत्याशित बचत, पदाधिकारियों तथा कर्मियों के स्थानांतरण/पदोन्नति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
00			
108 शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम योजना (राज्य योजना)			
0101 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए सहायक अनुदान मूल 92,83.00	41,80.76	35,80.76	(-) 6,00.00
पुनर्वि० (-) 51,02.24			
प्रत्याशित बचत, केन्द्रांश की समतुल्य राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल अनुदान			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0101	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00
	मूल	4,00.00		
	पुनर्वि०	(-) 4,00.00		
	संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत, केन्द्रांश की समतुल्य राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
(iv)	अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
	कुल अनुदान			
2215	जलापूर्ति तथा सफाई			
01	जलापूर्ति			
192	नगर पालिकाओं/नगर निगमों को सहायता (राज्य योजना)			
0101	पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	2,00.00	8,00.00	(+) 6,00.00
	मूल	2,00.00		
	अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
193	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता (राज्य योजना)			
0101	पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	4,20.00	4,20.00	0.00
	मूल	2,00.00		
	पुनर्वि०	2,20.00		
	₹ 2,20.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0103 शहरी समेकित विकास हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	79,91.68	98,01.81	(+) 18,10.13
मूल	1,34,24.40		
पुनर्वि०	(-) 54,32.72		
प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की समतुल्य राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
04 गंदी बस्तियों का विकास			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0101 राजीव आवास योजना (नुरूम)	9,51.38	10,44.72	(+) 93.34
मूल	40,00.00		
पुनर्वि०	(-) 30,48.62		
प्रत्याशित बचत योजना के प्रारंभिक चरण में रहने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना	22.32	33.99	(+) 11.67
मूल	1,15.18		
अनुपूरक	4.01		
पुनर्वि०	(-) 96.87		
प्रत्याशित बचत पदाधिकारियों और कर्मियों के स्थानांतरण/पदोन्नति के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
193	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता (गैर-योजना)		
0001	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	32,08.77	32,46.52
	मूल	37,25.00	
	पुनर्वि०	(-) 5,16.23	
0007	नगर प्रबंधकों हेतु	1,12.48	1,73.99
	अनुपूरक	1,17.60	
	पुनर्वि०	(-) 5.12	

उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

अनुदान संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक बचत (+) व्यय बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2700 मुख्य सिंचाई			
2701 मध्यम सिंचाई			
2705 कमान क्षेत्र विकास			
2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	8,06,79,22	8,09,23,23	6,64,70,33 (-) 1,44,52,90
अनुपूरक	2,44,01		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			1,39,87,46

पूँजी
मुख्य शीर्ष

4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	21,50,46,99	24,48,79,14	17,76,06,16 (-) 6,72,72,98
अनुपूरक	2,98,32,15		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			6,72,53,17

टीका एवं टिप्पणियाँ -
राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 1,44,52.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 0.01 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 2,44.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,44.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित रखा जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,39,87.46 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,44,52.90 लाख) से ₹ 4,65.44 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2700 मुख्य सिंचाई			
01 कोसी बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 स्थापना	46,37.06	46,23.23	(-) 13.83
मूल	55,03.31		
अनुपूरक	20.01		
पुनर्वि०	(-) 8,86.26		

प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने हेतु निकासी पर रोक लगाये जाने तथा संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति/सेवा विस्तार पर रोक लगाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

101 रख-रखाव और मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	13,38.39	13,38.41	(+) 0.02
मूल	20,00.00		
पुनर्वि०	(-) 6,61.61		

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

02 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 स्थापना	78,08.80	77,88.35	(-) 20.45
मूल	89,93.61		
अनुपूरक	75.00		
पुनर्वि०	(-) 12,59.81		

प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने हेतु निकासी पर रोक लगाये जाने तथा संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति/सेवा विस्तार पर रोक लगाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

101 रख-रखाव और मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	17,97.37	17,38.57	(-) 58.80
मूल	21,60.00		
पुनर्वि०	(-) 3,62.63		

प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2701 मध्यम सिंचाई			
01 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव और मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय (कमला एवं उत्तर बिहार हेतु)	1,48.66	1,49.39	(+) 0.73
मूल	2,60.00		
पुनर्वि०	(-) 1,11.34		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव और मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	21,04.02	20,84.25	(-) 19.77
मूल	26,50.00		
पुनर्वि०	(-) 5,45.98		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
04 किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 स्थापना	28,86.81	28,89.77	(+) 2.96
मूल	32,40.40		
पुनर्वि०	(-) 3,53.59		
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने हेतु निकासी पर रोक लगाये जाने तथा संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति/सेवा विस्तार पर रोक लगाने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
101 रख-रखाव और मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	7,08.89	6,59.32	(-) 49.57
मूल	12,00.00		
पुनर्वि०	(-) 4,91.11		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2705 कमान क्षेत्र विकास			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना			
0101 क्षेत्र विकास-मुख्यालय स्तर	54.93	54.92	(-) 0.01
मूल	80.00		
पुनर्वि०	(-) 25.07		
प्रत्याशित बचत अधीक्षण अभियंता तथा प्रशाखा पदाधिकारी के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0102 क्षेत्र विकास कमांड स्तर	51,50.00	51,50.00	0.00
मूल	89,20.00		
पुनर्वि०	(-) 37,70.00		
प्रत्याशित बचत योजना प्राधिकृत समिति द्वारा कार्य मद की राशि पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
01 बाढ़ नियंत्रण			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना			
0105 बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना	2,00.00	0.00	(-) 2,00.00
(विश्व बैंक के डी0एफ0आई0डी0 अनुदान राशि द्वारा सम्पोषित)			
मूल	2,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
03 जल-निकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(गैर-योजना)			
0001 क्षेत्रीय स्थापना	22,66.26	22,16.54	(-) 49.72
मूल	24,76.44		
अनुपूरक	2.00		
पुनर्वि०	(-) 2,12.18		
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने हेतु निकासी पर रोक लगाये जाने तथा संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति/सेवा विस्तार पर रोक लगाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	2,08.23	78.16	(-) 1,30.07
मूल	3,30.00		
पुनर्वि०	(-) 1,21.77		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 6,72,72.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 2,98,32.15 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,72,53.17 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,72,72.98 लाख) से ₹ 19.81 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0102 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (ए0 आई0 बी0 पी0)	1,54,61.99	1,49,69.71	(-) 4,92.28
मूल	1,80,00.16		
अनुपूरक	1,00,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,25,38.17		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	22.82	9.53	(-) 13.29
मूल	12,00.37		
पुनर्वि०	(-) 11,77.55		
02 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0103 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	10,48.79	2,71.64	(-) 7,77.15
मूल	6,00.00		
अनुपूरक	5,00.00		
पुनर्वि०	(-) 51.21		

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना	3,76.58	3,51.66	(-) 24.92
मूल	15,00.00		
पुनर्वि०	(-) 11,23.42		
उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0101 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	25,38.10	21,56.15	(-) 3,81.95
मूल	27,27.21		
पुनर्वि०	(-) 1,89.11		
0102 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (ए० आई० बी० पी०)	1,25,64.23	39,24.75	(-) 86,39.48
मूल	1,77,09.00		
पुनर्वि०	(-) 51,44.77		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0103 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	12,05.65	12,05.65	0.00
मूल	7,50.00		
अनुपूरक	15,91.31		
पुनर्वि०	(-) 11,35.66		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
04 किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 स्थापना	6,74.97	6,68.35	(-) 6.62
मूल	8,28.50		
पुनर्वि०	(-) 1,53.53		
प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने हेतु निकासी पर रोक लगाये जाने तथा संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति/सेवा विस्तार पर रोक लगाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0101 किऊल- बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	3,46.83	3,46.74	(-) 0.09
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	46.83		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0102 किऊल- बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (ए०आई०बी०पी०)	37,13.15	26,03.90	(-) 11,09.25
मूल	40,00.00		
पुनर्वि०	(-) 2,86.85		
0103 किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	8,36.98	6,90.62	(-) 1,46.36
मूल	19,75.17		
पुनर्वि०	(-) 11,38.19		
80 सामान्य			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0101 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	1,29,85.73	1,20,43.75	(-) 9,41.98
मूल	2,83,29.30		
पुनर्वि०	(-) 1,53,43.57		
उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0102 नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	40.00	40.00	0.00
मूल	1,50.00		
पुनर्वि०	(-) 1,10.00		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0101 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	2,42.22	2,42.26	(+) 0.04
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	(-) 57.78		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0102 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (ए0आई0बी0पी0) मूल 5,00.00 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	5,00.00	2,40.05	(-) 2,59.95
0103 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना) मूल 27,62.50 पुनर्वि० (-) 21,63.95 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	5,98.55	5,81.20	(-) 17.35
04 किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 स्थापना मूल 3,02.17 पुनर्वि० (-) 30.64 प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के पत्रांक-1115 दिनांक-04/02/2013 द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनावश्यक खर्च नियंत्रित करने हेतु निकासी पर रोक लगाये जाने तथा संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति/सेवा विस्तार पर रोक लगाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	2,71.53	2,71.19	(-) 0.34
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0101 किऊल- बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-) 1,13.55	86.45	2.48	(-) 83.97
0103 किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना) मूल 23,87.33 पुनर्वि० (-) 16,11.23	7,76.10	7,72.73	(-) 3.37
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0101 किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई की परियोजना मूल 35,30.00 पुनर्वि० (-) 16,76.01 उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	18,53.99	15,65.33	(-) 2,88.66

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियंत्रण			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0103 बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (कार्य) (ए0आई0बी0पी0)	5,99,85.04	4,49,50.20	(-) 1,50,34.84
मूल	5,00,00.00		
अनुपूरक	1,42,40.84		
पुनर्वि०	(-) 42,55.80		
0104 बाढ़ नियंत्रण-तटबंध सड़क परियोजना- (कार्य)(नाबार्ड सम्पोषित योजना)	14,70.58	11,57.55	(-) 3,13.03
मूल	73,08.69		
पुनर्वि०	(-) 58,38.11		
0105 जल निस्सरण परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	12.79	0.00	(-) 12.79
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	(-) 4,87.21		
0106 जमींदारी बाँधों का जीर्णोद्धार	15,50.99	14,53.37	(-) 97.62
मूल	16,30.41		
पुनर्वि०	(-) 79.42		
उपर्युक्त चार मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0107 वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण परियोजना	0.00	0.00	0.00
मूल	83,25.00		
पुनर्वि०	(-) 83,25.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0102 जल निस्सरण परियोजना (कार्य)	4,77.72	4,61.48	(-) 16.24
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	(-) 5,22.28		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(vii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास		
01	बाढ़ नियंत्रण		
103	सिविल कार्य (गैर-योजना)		
0002	अन्य रख-रखाव व्यय	69,26.88	(+) 56.75
	मूल	1,00,00.00	
	अनुपूरक	(-) 30,73.12	

प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमांत

(viii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
02 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0102 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)(ए0आई0बी0पी0)	61,51.14	62,23.67	(+) 72.53
मूल	70,00.00		
अनुपूरक	15,00.00		
पुनर्वि०	(-) 23,48.86		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	54,26.20	55,49.12	(+) 1,22.92
मूल	46,29.64		
पुनर्वि०	7,96.56		
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।			
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0102 जल निस्सारण परियोजना (कार्य)	1,14.64	5,50.07	(+) 4,35.43
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	(-) 3,85.36		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0103 जमींदारी बाँधों का जीर्णोद्धार	17,88.00	19,16.15	(+) 1,28.15
मूल	28,41.21		
पुनर्वि०	(-) 10,53.21		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 50 - लघु जल संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2702 लघु सिंचाई			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	3,56,50,56	3,57,16,16	2,64,35,63
अनुपूरक	65,60		(-) 92,80,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			88,05,72
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	2,78,55,74	2,94,14,48	1,66,90,66
अनुपूरक	15,58,74		(-) 1,27,23,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			1,24,05,67
टीका एवं टिप्पणियाँ - राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 92,80.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 65.60 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 88,05.72 लाख), अंतिम बचत (₹ 92,80.53 लाख) से ₹ 4,74.81 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2702 लघु सिंचाई			
02 भू-जल			
005 अन्वेषण (गैर-योजना)			
0001 सर्वेक्षण और जाँच	74,65.26	74,57.06	(-) 8.20
मूल	86,08.99		
अनुपूरक	62.00		
पुनर्वि०	(-) 12,05.73		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0002 उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	1,92.68	75.93	(-) 1,16.75
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	(-) 5,07.32		
प्रत्याशित बचत सत्यापित बिजली विपत्रों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सर्वेक्षण और जाँच	20.52	20.52	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 79.48		
प्रत्याशित बचत अधिकांश योजनाओं में अनुसूचित दर से कम दर पर निविदा निष्पादन होने के कारण हुई ।			
03 रख-रखाव			
101 जल टंकी (गैर-योजना)			
0001 कार्यभारित व्यय	48.71	0.00	(-) 48.71
मूल	1,54.55		
पुनर्वि०	(-) 1,05.84		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	1,89.91	1,62.94	(-) 26.97
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	(-) 5,10.09		
प्रत्याशित बचत सत्यापित बिजली विपत्रों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 उत्थान सिंचाई योजनाएं (गैर-योजना)			
0004 कार्यभारित व्यय	1,61.31	67.15	(-) 94.16
मूल	2,47.44		
पुनर्वि०	(-) 86.13		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0005 अन्य रख-रखाव व्यय	1,55.59	71.98	(-) 83.61
मूल	13,44.65		
पुनर्वि०	(-) 11,89.06		
प्रत्याशित बचत गैर-योजना मद पर रोक एवं विद्युत दोष से योजनाओं के बंद रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
103 नलकूप (गैर-योजना)			
0002 राजकीय नलकूप	1,47,76.79	1,47,76.96	(+) 0.17
मूल	1,74,71.94		
पुनर्वि०	(-) 26,95.15		
प्रत्याशित बचत अभियंताओं/कर्मियों के पद रिक्त रहने, ए०सी०पी० स्वीकृत नहीं होने, सत्यापित विद्युत विपत्र प्राप्त नहीं होने तथा किराया स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0007 अन्य रख-रखाव व्यय	24,38.65	24,18.53	(-) 20.12
मूल	30,00.00		
पुनर्वि०	(-) 5,61.35		
प्रत्याशित बचत गैर-योजना मद पर रोक एवं विद्युत दोष से योजनाओं के बंद रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 निजी नलकूप	10,40.59	10,34.75	(-) 5.84
मूल	23,52.00		
पुनर्वि०	(-) 13,11.41		
प्रत्याशित बचत अधिकांश योजनाओं में अनुसूचित दर से कम दर पर निविदा निष्पादन होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 निजी नलकूप	1,10.34	80.39	(-) 29.95
मूल	4,48.00		
पुनर्वि०	(-) 3,37.66		

प्रत्याशित बचत अधिकांश योजनाओं में अनुसूचित दर से कम दर पर निविदा निष्पादन होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं
00

090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0030 लघु जल संसाधन विभाग	2,89.20	2,64.29	(-) 24.91
मूल	4,80.66		
अनुपूरक	3.60		
पुनर्वि०	(-) 1,95.06		

प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के पद रिक्त रहने तथा विपत्रों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 1,27,23.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 15,58.74 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,24,05.67 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,27,23.82 लाख) से ₹ 3,18.15 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

00

101 सतही जल

योजना (राज्य योजना)

0101 लघु सिंचाई	34,99.83	34,11.89	(-) 87.94
-----------------	----------	----------	-----------

मूल 88,23.95

पुनर्वि० (-) 53,24.12

0102 सतही सिंचाई योजना (ए0आई0बी0पी0)	27,37.48	25,38.95	(-) 1,98.53
--------------------------------------	----------	----------	-------------

मूल 34,91.26

अनुपूरक 9,58.74

पुनर्वि० (-) 17,12.52

उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती तथा अधिकांश योजनाओं में अनुसूचित दर से कम दर पर निविदा निष्पादन के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

102 भू-जल

योजना (राज्य योजना)

0101 नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	1,37.89	1,38.91	(+) 1.02
---	---------	---------	----------

मूल 10,00.00

पुनर्वि० (-) 8,62.11

प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

योजना (राज्य योजना)

0101 लघु सिंचाई योजना	6,48.86	3,38.02	(-) 3,10.84
-----------------------	---------	---------	-------------

मूल 16,14.66

पुनर्वि० (-) 9,65.80

प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती तथा अधिकांश योजनाओं में अनुसूचित दर से कम दर पर निविदा निष्पादन के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमांत

(vii) अधिक व्यय (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
101 सतही जल			
योजना (राज्य योजना)			
0103 वॉटर बॉडीज की मरम्मती, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन की योजना (ए0आई0बी0पी0)	24,97.05	26,38.54	(+) 1,41.49
मूल	30,00.00		
अनुपूरक	6,00.00		
पुनर्वि०	(-) 11,02.95		
प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती तथा अधिकांश योजनाओं में अनुसूचित दर से कम दर पर निविदा निष्पादन के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0102 नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	74,87.70	77,64.39	(+) 2,76.69
मूल	99,25.87		
पुनर्वि०	(-) 24,38.17		
प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती एवं योजना स्थल पर जल-जमाव के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 51 - समाज कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
2236 पोषण				
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं				
दत्तमत :				
मूल	33,53,30,88	38,18,86,97	29,26,83,08	(-) 8,92,03,89
अनुपूरक	4,65,56,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				8,15,18,98
पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
दत्तमत :				
मूल	2,27,45,07	2,34,45,07	0.00	(-) 2,34,45,07
अनुपूरक	7,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				2,34,45,07
टीका एवं टिप्पणियाँ - राजस्व (दत्तमत)				

- (i) ₹ 8,92,03.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2012 (₹ 4,65,56.08 लाख) तथा नवम्बर 2012 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,65.56.09 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,15,18.98 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,92,03.89 लाख) से ₹ 76,84.91 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 समाज कल्याण			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन तथा प्रशासन	74.78	75.89	(+) 1.11
मूल	1,42.36		
पुनर्वि०	(-) 67.58		
प्रत्याशित बचत संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण (गैर-योजना)			
0001 नेत्रहीन विद्यालय, पटना	99.30	99.08	(-) 0.22
मूल	1,52.16		
पुनर्वि०	(-) 52.86		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0002 मूक एवं बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण	1,58.10	1,44.28	(-) 13.82
मूल	2,11.93		
पुनर्वि०	(-) 53.83		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0106 निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	0.00	0.00	0.00
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	(-) 7,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0112 आयुक्त निःशक्तता के लिए कार्यालय की स्थापना	43.29	43.29	0.00
मूल	90.00		
पुनर्वि०	(-) 46.71		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (संबल)	26,29.19	25,27.90	(-) 1,01.29
मूल	37,80.00		
पुनर्वि०	(-) 11,50.81		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 बाल कल्याण (गैर-योजना)			
0001 परिवार और बाल कल्याण	0.00	0.00	0.00
मूल	45.35		
पुनर्वि०	(-) 45.35		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0002 विशेष पौष्टिक आहार की योजना	35.14	35.14	0.00
मूल	51.32		
अनुपूरक	10.00		
पुनर्वि०	(-) 26.18		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0602 समेकित बाल विकास योजना	5,61,43.28	5,44,57.38	(-) 16,85.90
मूल	6,57,75.47		
पुनर्वि०	(-) 96,32.19		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0615 समेकित बाल संरक्षण योजना	8,71.78	8,71.78	0.00
मूल	33,00.00		
अनुपूरक	1,15.22		
पुनर्वि०	(-) 25,43.44		
प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0618 आर०जी०एस०ई०ए०जी०-“सबला”	30,50.80	30,33.32	(-) 17.48
मूल	1,04,57.80		
पुनर्वि०	(-) 74,07.00		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 समेकित बाल विकास योजना	52,01.06	49,43.44	(-) 2,57.62
मूल	73,08.38		
पुनर्वि०	(-) 21,07.32		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0105 समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम हेतु	4,68.86	3,81.37	(-) 87.49
मूल	5,67.60		
पुनर्वि०	(-) 98.74		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0115 समेकित बाल संरक्षण योजना	9,36.23	0.90	(-) 9,35.33
मूल	11,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,63.77		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0118 आर०जी०एस०ई०ए०जी० “सबला”	41,75.96	40,33.35	(-) 1,42.61
मूल	49,83.25		
अनुपूरक	14,11.00		
पुनर्वि०	(-) 22,18.29		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0119 स्वस्थ पोषण से संबन्धित निगरानी एवं अनुश्रवण (बाह्य संपोषित)	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	37,00.00		
पुनर्वि०	(-) 37,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
103 महिला कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0110 नारी शक्ति योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	24,00.00		
पुनर्वि०	(-) 24,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0111 कन्या सुरक्षा योजना	10,00.00	6,56.15	(-) 3,43.85
मूल	40,00.00		
अनुपूरक	12,00.00		
पुनर्वि०	(-) 42,00.00		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0113 स्वस्थ पोषण से संबन्धित निगरानी एवं अनुश्रवण (बाह्य संपोषित)	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	20,00.00		
पुनर्वि०	(-) 20,00.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
104 वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0103 मदर टेरेसा पेंशन योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	(-) 1,00.00		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत वर्ष 2012-13 के लिए योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
106 सुधारक सेवाएं (गैर-योजना)			
0001 प्रतिप्रेक्षण गृह	2,05.02	1,51.92	(-) 53.10
अनुपूरक	3,56.35		
पुनर्वि०	(-) 1,51.33		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 प्रतिप्रेक्षण गृह	0.00	0.00	0.00
मूल	5,70.02		
पुनर्वि०	(-) 5,70.02		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	1,02.97	1,03.16	(+) 0.19
मूल	2,20.00		
पुनर्वि०	(-) 1,17.03		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0107 बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	1,50.00	1,10.45	(-) 39.55
मूल	1,50.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0108 बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद्	0.00	0.00	0.00
मूल	2,55.96		
पुनर्वि०	(-) 2,55.96		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
200 अन्य कार्यक्रम			
योजना (राज्य योजना)			
0104 बिहार परिवार लाभ योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	(-) 5,00.00		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्याशित बचत वर्ष 2012-13 के लिए योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 आर0जी0ए0स0ई0ए0जी0-“सबला”	7,59.53	6,08.07	(-) 1,51.46
मूल	10,20.66		
अनुपूरक	2,89.00		
पुनर्वि०	(-) 5,50.13		
प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0108	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना मूल 6,00.00 पुनर्वि० (-) 6,00.00	0.00	0.00
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0109	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना मूल 20,00.00 पुनर्वि० (-) 20,00.00	0.00	0.00
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0111	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (संबल) मूल 7,20.00 पुनर्वि० (-) 2,12.80	5,07.20	4,55.98
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)		
0002	अंतर्जातीय विवाह-सहायक अनुदान मूल 50.00 पुनर्वि० (-) 50.00	0.00	0.00
योजना	(राज्य योजना)		
0101	प्रदर्शनी, सेमीनार, सम्मेलन इत्यादि मूल 50.00 पुनर्वि० (-) 50.00	0.00	0.00
	उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013)।		
03	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम		
101	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना योजना (राज्य योजना)		
0102	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना मूल 4,12.00 अनुपूरक 75.00 पुनर्वि० (-) 84.58	4,02.42	4,02.42
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
102	राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना योजना (राज्य योजना)		
0101	राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना मूल 30,00.00 अनुपूरक 12,00.00 पुनर्वि० (-) 6,50.50	35,49.50	32,47.00
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

शीर्ष	अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)		
0101	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1,63,63.17	1,63,63.26 (+) 0.09
	मूल	1,81,45.00	
	अनुपूरक	1,26,56.13	
	पुनर्वि०	(-) 1,44,37.96	
	प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0102	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	26,47.43	25,64.60 (-) 82.83
	मूल	21,62.00	
	अनुपूरक	7,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 2,14.57	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0103	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	1,29.15	1,29.15 0.00
	मूल	1,37.00	
	अनुपूरक	25.00	
	पुनर्वि०	(-) 32.85	
	प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
0104	राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना	12,95.30	12,08.11 (-) 87.19
	मूल	11,68.00	
	अनुपूरक	5,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 3,72.70	
	प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102	समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन (गैर-योजना)		
0001	वृद्धावस्था पेंशन	21,83.51	21,80.97 (-) 2.54
	मूल	24,94.15	
	अनुपूरक	2.00	
	पुनर्वि०	(-) 3,12.64	
योजना	(राज्य योजना)		
0101	वृद्धावस्था पेंशन	10,22.75	9,67.59 (-) 55.16
	मूल	14,00.00	
	पुनर्वि०	(-) 3,77.25	
	उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।		

शीर्ष	अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)		
0102	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मूल 41,00.00 अनुपूरक 8,00.00 पुनर्वि० (-) 7,12.49 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	41,87.51	41,05.52 (-) 81.99
0103	बिहार राज्य विकलांगता समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मूल 27,00.00 अनुपूरक 6,00.00 पुनर्वि० (-) 4,55.77 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	28,44.23	27,29.89 (-) 1,14.34
0104	राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना मूल 6,00.00 पुनर्वि० (-) 1,87.53 प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	4,12.47	4,12.47 0.00
2236 पोषण			
02	पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण		
101	विशेष पोषण कार्यक्रम योजना (राज्य योजना) योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)		
0602	गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलानेवाली माँ के लिए पौष्टिक आहार वितरण की योजना मूल 5,85,98.59 पुनर्वि० (-) 1,17,71.28 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	4,68,27.31	4,55,39.08 (-) 12,88.23
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)		
0101	गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माँ के लिए पौष्टिक आहार वितरण की योजना मूल 46,06.83 अनुपूरक 22,78.00 पुनर्वि० (-) 6,60.10 प्रत्याशित तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।	62,24.73	59,52.35 (-) 2,72.38

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0015 समाज कल्याण विभाग	2,43.20	2,41.66	(-) 1.54
मूल	2,69.61		
अनुपूरक	(-) 26.41		
प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के पद रिक्त रहने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) मूल प्रावधान (₹ 2,27,45.07 लाख) तथा अगस्त 2012 में प्राप्त अनुपूरक प्रावधान (₹ 7,00.00 लाख) कुल प्रावधान (₹ 2,34,45.07 लाख) पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
02 सामाजिक कल्याण			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 समाज कल्याण प्रक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न भवनों का निर्माण	0.00	0.00	0.00
मूल	8,60.00		
पुनर्वि०	(-) 8,60.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
102 बाल-कल्याण			
योजना (राज्य योजना)			
0103 समेकित बाल विकास योजना (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	0.00	0.00	0.00
मूल	2,18,35.07		
पुनर्वि०	(-) 2,18,35.07		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0105 स्वस्थ आँगनबाड़ी केन्द्र (बाह्य सम्पोषित)	0.00	0.00	0.00
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	(-) 7,00.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			
0106 पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-) 50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

(vi) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 सामाजिक कल्याण			
103 महिला कल्याण योजना (केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना)			
0612 इंदिरा मातृत्व सहयोग योजना	25,89.05	28,84.50	(+) 2,95.45
मूल	44,97.79		
पुनर्वि०	(-) 19,08.74		
प्रत्याशित बचत तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।			

परिशिष्ट

वर्ष 2012-13 के लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियों का अनुदानवार विवरण
(पृष्ठ xvi पर विनियोग लेखे के सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट
			अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
(₹ हजार में)			
1 कृषि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	58,60,92	58,60,92
2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,50,82	1,50,82
3 भवन निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,92	5,92
पूँजी	0	25,16	25,16
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,99	3,99
6 निर्वाचन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	13,72,71	13,72,71
8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,38,90	1,38,90
9 सहकारिता विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	64	64
10 ऊर्जा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,52,23	2,52,23

परिशिष्ट - क्रमशः

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट
			अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
(₹ हजार में)			
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	26,11	26,11
12 वित्त विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1,71	1,71
पूँजी	0	20	20
13 सूद भुगतान प्रभारित			
राजस्व	(-) 20	2,04,54,25	2,04,54,05
15 पेंशन दत्तमत			
राजस्व	0	5,47,60	5,47,60
16 पंचायती राज विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	56,30	56,30
17 वाणिज्य-कर विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1,92	1,92
18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	13,22	13,22
19 पर्यावरण एवं वन विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1	1
20 स्वास्थ्य विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1,60,05,31	1,60,05,31
पूँजी		39,12	39,12

परिशिष्ट - क्रमशः

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट
			अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
(₹ हजार में)			
21 शिक्षा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	67,95,87	67,95,87
पूँजी	0	2,35,95	2,35,95
22 गृह विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	10,04,17	10,04,17
पूँजी	0	8,54,93	8,54,93
23 उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	7,91,15	7,91,15
24 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	32	32
पूँजी	0	18	18
26 श्रम संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	29,28	29,28
27 विधि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	40,26	40,26
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	89,60,58	89,60,58
पूँजी	0	5,20,07	5,20,07
32 विधान मंडल			
दत्तमत			
राजस्व	0	4,53	4,53

परिशिष्ट - क्रमशः

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट
			अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
(₹ हजार में)			
33 सामान्य प्रशासन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,45	3,45
35 योजना एवं विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,36,67,42	3,36,67,42
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग			
दत्तमत			
पूँजी	0	13,63	13,63
37 ग्रामीण कार्य विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,19,99	3,19,99
पूँजी	0	4,90,36	4,90,36
38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	17	17
39 आपदा प्रबंधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,20,97,97	1,20,97,97
40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	90,82	90,82
पूँजी	0	10,06,16	10,06,16
41 पथ निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,07	2,07
पूँजी	0	85	85
42 ग्रामीण विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	37,32,56	37,32,56

परिशिष्ट - क्रमशः

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट
			अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
(₹ हजार में)			
43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	9	9
पूँजी	0	40,91	40,91
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	14,23,44	14,23,44
पूँजी	0	1,08,67	1,08,67
46 पर्यटन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	37	37
पूँजी	0	5,55	5,55
47 परिवहन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	65	65
पूँजी	0	10,04,41	10,04,41
48 नगर विकास एवं आवास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	36,95,53	36,95,53
49 जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	4,76	4,76
पूँजी	0	2,92,65	2,92,65
50 लघु जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	43	43

परिशिष्ट - क्रमांत

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट
			अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
(₹ हजार में)			
51 समाज कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	40,53,38	40,53,38
पूँजी	0	6,93	6,93
योग			
दत्तमत			
राजस्व	0	10,11,57,57	10,11,57,57
पूँजी	0	46,45,73	46,45,73
प्रभारित			
राजस्व	(-) 20	2,04,54,25	2,04,54,05
पूँजी			
कुल योग	(-) 20	12,62,57,55	12,62,57,35

टीका एवं टिप्पणियाँ -

उपर्युक्त मामलों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2013) ।

